राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का चतुर्थ दिवस | संख्या ४

दिनांक १३ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा-भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, समाज कल्याण, गृह, विधि, चिकित्सा, स्वायत्त शासन, वन, आयुर्वेद, एवं श्रम-विभाग]

दूध वितरण योजना

९९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में मिल्क सप्लाई स्कीम कहां कहां पर प्रारम्भ की गई है? इस स्कीम को प्रारम्भ करने का आधार क्या है?

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना में डेयरीज़ व दूध वितरण योजना के लिये कितने रुपये की धन-राशि रखी गई थी? इसमें से कितनी खर्च की गई है?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) अभी कहीं नहीं।

(२) ११.९० लाख की धनराशि रखी गई थी, जिसमें ५.९० लाख खर्च हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : यह स्कीम कहां प्रारम्भ की गई?

कृषि मंत्री (श्री नाथराम मिर्धा) : कहीं नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : कहीं पर लागू नहीं की गई तो ५॥ लाख रुपये कहां खर्च किये गये?

श्री नाथराम मिर्धा : सेन्ट्रल मिल्क डेयरी के लिये मन्जूर हुए थे। रकम जो खर्च हुई है वह इक्विपमेन्ट पर खर्च हुई है। यह डेयरी जयपुर में बन रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोग्राम के अनुसार जयपुर में सेन्ट्रल डेयरी कब तक बन जानी चाहिये थी?

Page No.2

श्रीमती कमला बेनीवाल : दूसरी पंच-वर्षीय योजना में ही यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिये था, इक्विपमेन्ट पाश्चरिंग की मशीन आदि उपलब्ध नहीं हुई है। अभी भी इसमें साल भर की देरी लगेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत बीकानेर से हजारों मन दूध दिल्ली चला जाता है, नियमित रूप से जाता है, तो मेरा निवेदन है कि जब यहां से दूध दिल्ली को जाता है तो बीकानेर में ही यह दूध काम में आ जाय, उसके लिये गवर्नमेन्ट क्या सोचती है ? दूध दिल्ली चले जाने के कारण राजस्थान की जनता को वह नहीं मिलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर में डेयरी स्कीम शुरू करने की योजना नहीं है। दिल्ली में जो योजना है उसके लिये यहां से दूध चला जाता है तो वे वहां युटिलाइज़ करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : दिल्ली स्कीम के अन्तर्गत बीकानेर से दूध वहां जाता है और हजारों मन जाता है, तो बीकानेर की जनता के वह दूध काम आ सके इसके लिये बीकानेर में यह योजना प्रारम्भ क्यों नहीं की जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर से हजारों मन दूध प्रतिदिन जाता हो, यह बात नहीं, एक दिन में सवा सौ मन दूध जाता है। वे लोग गांवों से दूध खरीद करके दिल्ली मिल्क सप्लाई वाले दूध को फ्रीज़ करके दिल्ली पहुंचाते हैं। वे लोग गांवों से जो बीकानेर से तीस, चालीस मील की दूरी पर हैं, वहां से लेकर भेजते हैं। बीकानेर के लिये डेयरी की स्कीम नहीं है। दूसरे शहरों के अन्दर दूध सप्लाई होना चाहिये, उसके लिये थर्ड प्लान में कुछ रुपया है। उसी के अन्तर्गत जयपुर में स्कीम है। पहले यहां शुरू होने के बाद ज्यों ज्यों पैसा मिलेगा दूसरी जगहों पर भी स्कीम चालू करने की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा तो निवेदन यह है कि दिल्लीवाले यहां से दूध ले जाते हैं तो उसी प्रकार की स्कीम बीकानेर में क्यों नहीं प्रारम्भ कर देते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर में दूध की कमी नहीं है, बीकानेर में काफी दूध मिलता है। वे लोग तीस-चालीस मील दूर से दूध ले जाते हैं। पाश्चराइज्ड करके ले जाते हैं, उसमें लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट होता है। इसलिये अभी संभव नहीं कि बीकानेर में यह योजना प्रारम्भ कर सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : दूध मिलता तो है, लेकिन वह दिल्लीवालों के लिये है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावतराम।

हरिजन बस्ती, रतनगढ़ में कुंए पर विद्युत लगाने हेतु प्रदत्त अनुदान

१००. **श्री रावतराम** (सादुलपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने रतनगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं० १५ व १६ की हरिजन बस्ती में हरिजनों के कुंए पर बिजली लगाने हेतु ५,००० रु० का अनुदान दिया था ? यदि हां, तो इसकी किस तारीख को स्वीकृति दी गई ?

Page No.3

(श्री रावतराम)

(२) क्या रतनगढ़ नगरपालिका ने उक्त धनराशि को सम्बन्धित कार्य पर खर्च कर दिया है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में वहां के नागरिकों ने सरकार से काफी लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : १. जी हां, हरिजन बस्ती, रतनगढ़ में बिजली व पानी की सुविधा के लिए २,००० रु० की स्वीकृति दिनांक २२-३-५८ को व ३,००० रु० की स्वीकृति दिनांक ६-२-६० को दी गई थी।

२. जी नहीं। समाज कल्याण विभाग ने संचालक, लोकल बोडीज़ को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा है।

३. जी नहीं।

श्री रावतराम : आवश्यक कार्यवाही से क्या मतलब है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो धन दिया गया वह इस्तेमाल नहीं किया उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए है।

श्री रावतराम: अभी तक म्यूनिसिपैलिटी ने खर्च क्यों नहीं किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसीलिये तो लोकल बोडीज़ को लिखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जब वह पहले के दो हजार ही खर्च नहीं कर सके तो फिर तीन हजार रुपये और क्यों दिये गये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दो हजार रुपये जिस काम के लिये मांगे गये थे उसके लिये अपर्याप्त थे इसलिये तीन हजार और दिये गये। बाद में यह मालूम पड़ा कि वह रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया गया है तो डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ को उचित कार्यवाही के लिये लिखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह रुपया अब कब तक खर्च हो जायेगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब खर्च नहीं किया गया तो उसमें अड़चन क्या है, जिसके कारण वह खर्च नहीं हुआ ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : जो रुपया समाज कल्याण विभाग से दिया गया है उसका सदुपयोग होना चाहिये, इसीलिये डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज का ध्यान आकर्षित किया गया है कि वे देखें कि वह रुपया क्यों काम में नहीं लिया गया।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): समाज कल्याण विभाग का रुपया म्यूनिसिपैलिटीज खर्च नहीं करती, इसकी आपने कभी जांच भी की है कि क्यों नहीं खर्च करती ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : और कामों में खर्च कर देते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ को कब लिखा गया ?

श्री भीखाभाई : १०-५-६२ को।

श्री भैरोंसिंह : पहला अमाउन्ट भी खर्च नहीं हुआ। जब उसकी सूचना पहले मिल गई थी तो उस समय तक विभाग द्वारा क्यों नहीं डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ को लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पुलिस थाना गंगाशहर के निलम्बित अधिकारी

१०१.श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगाशहर (बीकानेर) थाने के कितने अधिकारी मौअत्तिल हैं व किस जुर्म में?

(२) क्या उन अधिकारियों पर लगाये गये अभियोगों की जांच की गई है ? यदि हाँ, तो किसके द्वारा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : गंगाशहर थाने के तीन अधिकारी मोअत्तिल हैं, जिनमें एक थानेदार तथा दो कॉन्स्टेबिल हैं। थानेदार के खिलाफ ४४८ आई. पी. सी. तथा कॉन्स्टेबिलों के खिलाफ ४५७ आई. पी. सी. के तहत जुर्म लगाये गये हैं।

(२) जी हां। श्रीखंगारसिंह, उप-अधीक्षक आरक्षी, बीकानेर ने मुकदमे की तफतीश की एवं गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने इसकी जांच की है।

श्री मुरलीधर व्यास : मोअत्तिल कितने दिनों से हैं ?

श्री भीमसिंह : जिस दिन वाकया हुआ, तफतीश के दौरान में बयान लिये गये, तभी से।

श्री मुरलीधर व्यास : तारीख क्या है ?

श्री भीमसिंह : २५-५.

श्री मुरलीधर व्यास: इनका प्रोसीक्यूशन कर दिया गया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : रिपोर्ट आ गई है क्या ?

श्री भीमसिंह : मामला सब-जुडिस है, चालान हो चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ४५७ के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पलेन्ट होनी चाहिये। क्या यह जो चालान पेश किया गया, सही पेश किया गया ?

प्रश्न संख्या १०२

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमरसिंह

(अनुपस्थित)

सैशन्स कोर्ट, प्रतापगढ़ में निम्बाहेड़ा के मुकदमें

१०३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सेशन्स कोर्ट, प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) में निम्बाहेड़ा के कितने केसेज़ पिछले तीन साल में दायर हुए हैं ? आंकड़े बताने की कृपा करें।

(२) सर्किट कोर्ट जब चित्तौड़गढ़ में लगती है तो निम्बाहेड़ा को प्रतापगढ़ ही के साथ क्यों रखा जाता है ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): (१) सेशन्स कोर्ट, प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) में निम्बाहेड़ा क्षेत्र के मुकदमात सन् १९५९-१९६० व १९६१ में जो दायर हुए हैं उनका विवरण निम्नलिखित है:-

(१)	सेशन्स केसेज़	१७
(२)	फौजदारी अपील व रिवीज़न	६४
(३)	सिविल सूट	२
(४)	रेगुलर सिविल व मिस्लेनियस अपील	६४

(२) चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई के लिये सर्किट कोर्ट चित्तौड़गढ़ में लगती है और सेशन्स जज, प्रतापगढ़ प्रति माह १० दिन के लिये चित्तौड़गढ़ जाते हैं। यदि निम्बाहेड़ा का काम भी चित्तौड़गढ़ में किया जावे तो सेशन्स जज को अधिक समय तक ठहरना पड़ेगा, जिससे प्रतापगढ़ अदालत का काम अस्तव्यस्त (dislocate) हो जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : इकोनोमी को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ की दूरी को ध्यान में रखते हुये निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ में कोर्ट लगाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपत्ति यह है कि अभी दस दिन कोर्ट चित्तौड़गढ़ में बैठती है और सेशन्स जज, प्रतापगढ़ प्रति माह दस रोज के लिये चित्तौड़गढ़ जाते हैं। अगर निम्बाहेड़ा का काम चित्तौड़गढ़ किया जावे तो कोर्ट का पूरा काम डिसलोकेट हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप यह समझते हैं कि निम्बाहेड़ा के केसेज़ प्रतापगढ़ के कोर्ट से ले लिये जावें तो कोर्ट के हैड-क्वार्टर्स में कोई काम नहीं बचता ?

श्री परसराम मदेरणा : कोर्ट के पास काम तो रहेगा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ वगैरह के केस हैं, पर काम कम रहेगा। हैड-क्वार्टर्स पर काम कम रखा जावे और सर्किट कोर्ट में ज्यादा काम दे दिया जावे, यह एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ठीक नहीं होगा।

श्री अब्दुलजब्बार : ऐसी हालत में क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि प्रतापगढ़ से कोर्ट का हैड-क्वार्टर चित्तौड़ ले आया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मुनासिब नहीं समझते।

जिला चिकित्सालयों में कम्पलेन्ट बुक

१०४. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ऐसे आदेश हैं कि जिला चिकित्सालय में कम्पलेन्ट बुक रखी जाय ?

(२) यदि हां, तो क्या रतनगढ़ जिला चिकित्सालय में कम्पलेन्ट बुक रहती है ? यदि हां, तो पिछले एक साल में कम्पलेन्ट बुक में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। कम्पलेन्ट बुक हमेशा मेडिकल ऑफिसर, इन्चार्ज अस्पताल की टेबल पर उपलब्ध रहती है; परन्तु एस० एम० जे० अस्पताल एवं आर० ओ० हॉस्पिटल, रतनगढ़ में दिनांक २२-५-५५ से अब तक इस कम्पलेट बुक में कोई कम्पलेट दर्ज नहीं की गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या ऐसी कम्पलेन्ट बुक जनता को अवेलेबल रहती है, हर टाइम ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

आदिवासी भील कॉलोनी–पंचायत समिति, मनोहरथाना का शिलान्यास

१०५. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) आदिवासी भील कॉलोनी–पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ का शिलान्यास किस तारीख को किया गया था ?

(२) उपरोक्त कॉलोनी के निर्माण हेतु कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी ? उसमें से कितनी खर्च हो चुकी है ?

(३) अब तक इस कॉलोनी का कितना काम हो चुका है और कितना शेष रहा ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायत व विकास विभाग से है, इसलिये इसका उत्तर विकास मन्त्रीजी अपनी टर्न पर देंगे।

मूलियां बान्ध

१०६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील निम्बाहेड़ा में मूलियां बान्ध के अन्तर्गत कितनी जमीन डूब में आई है ?

(२) जिन-जिन काश्तकारों की जमीनें डूब में आई हैं उन्हें कितना कितना मुआवजा चुकाया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इस बान्ध का पानी कब रोका जाएगा ?

(४) इस बान्ध की नहर व वेस्ट वेयर की खुदाई में कितना पत्थर निकला ? वह पत्थर किसको और कितने में बेचा गया ?

(५) क्या पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा ने पत्थर बालाबाला उठा लिया था ? क्या इस संबंध में कार्यवाही चल रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस बान्ध में ८५८ एकड़ जमीन डूब में आवेगी।

(२) कुल ५७,१३० रुपयों का चुकार जमीन, कुंए इत्यादि के लिये किया गया है। सूची बहुत लम्बी होने से बताना कठिन है।

(३) सन् १९६३ में पानी रोका जावेगा।

(४) नहर व वेस्ट वेयर की खुदाई में से लगभग तीस हजार घन फुट पत्थर निकला है। इसको अभी तक नहीं बेचा गया है।

(५) पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा ने बिना पूछे २००० घन फुट पत्थर उठा लिये थे। उसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : मुआवजा ५७ हजार का बताया, उसमें से कितना चुका दिया और कितना चुकाना बाकी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सारा का सारा ही चुका दिया गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो पत्थर पंचायत समिति ने बालाबाला उठा लिया, तो क्या उसके खिलाफ इसके लिये क्रिमिनल केस लगाया गया-या डिपार्टमेन्टल ही कार्यवाही कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

इसका उत्तर मिलना चाहिये, साहब । बहुत नुकसान पहुँचा है । नहर व वेस्ट वेयर की खुदाई में काफी पत्थर निकला है । उसे पंचायत समिति उठा कर ले गई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

पशुओं की नस्ल—जालोर

१०७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर में पशुओं की सबसे अच्छी नस्ल पाई जाती है ?

(२) अगर हां, तो इस नस्ल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिये सरकार ने लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की हैं और इस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

(३) इस नस्ल को सुधारने के लिये सरकार भविष्य में तहसील सांचोर में क्या क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह सच है कि सरकार ने सांचोर में स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलने के लिये पहले कुछ जानकारी हासिल की थी ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या किया गया है ? भविष्य में कब तक सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय लेगी ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सबसे अच्छी तो नहीं, पर सरकार द्वारा स्वीकृत अच्छी नस्लों में से कांकरेज नाम की गायों की नस्ल पाई जाती है ।

(२) नस्ल को सुधारने के लिये इस नस्ल के सांड पंचायतों को भी दिये जाते हैं । सांचोर में इसी उद्देश्य से एक की-विलेज ब्लॉक भी खोला गया है ।

(३) कोई अन्य विशेष कार्य-क्रम नहीं है ।

(४) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या सांचोर की नस्ल को आप सबसे अच्छी नस्ल नहीं मानते ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राजस्थान की दृष्टि से सबसे अच्छी नहीं मानते, जालौर की दृष्टि से सबसे अच्छी हो सकती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तहसील में यह सबसे अच्छी है या नहीं, इसका मतलब यह है ?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में सबसे अच्छी नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पर वह जो कांकरेज ब्रीड की नस्ल है वह सबसे अच्छी है या नहीं, यह प्रश्न है ?

Page No.8

श्रीमती कमला बेनीवाल: राजस्थान में सबसे अच्छी नहीं है। आपके जिले में सबसे अच्छी है और उसके विकास के कार्यक्रम के बारे में मैंने निवेदन किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ऐसी नस्ल आमतौर से इस तहसील में पाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल मुकदमात

१०८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान हाई कोर्ट में जुलाई, १९५७ से जून, १९५८ तक जयपुर एवं जोधपुर बैन्चेज में अलग अलग नये मुकदमात के दाखिल होने की संख्या क्या थी? इनमें दीवानी के मुकदमे कितने थे, फौजदारी के कितने थे और दीगर कितने थे?

(२) जुलाई, १९५८ से जून, १९५९ तक, जुलाई, १९५९ से जून, १९६० तक तथा जुलाई, १९६० से जून, १९६१ में यह संख्या क्रमश: क्या क्या रही है?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): (१) जुलाई, सन् १९५७ से जून, १९५८ तक राजस्थान हाई कोर्ट में नये मुकदमों के दाखिल होने की संख्या इस प्रकार है:

(i) जयपुर बैंच:

दीवानी	फौजदारी	रिट	विविध
९१४	७६३	२६५	

(ii) जोधपुर बैंच:

दीवानी	फौजदारी	रिट	विविध
७९९	७४६	१९१	८५९

मिस्लेनियस के अलग अलग नहीं किये गये हैं, दोनों ही के ५७-५८ में ८५९ थे।

(२) बाद के सालों में हाई कोर्ट में जो नये मुकदमे दाखिल हुए उनकी संख्या जुलाई से जून वाइज इस प्रकार है:—

	दीवानी	फौजदारी	रिट	विविध
१९५८।५९	२०१८	१९९७	५०५	२०८९
१९५९।६०	२१०१	१९२९	४६१	२८२९
१९६०।६१	२०९३	१९८२	५७९	१२९२

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): इन मुकदमों के दाखिले का तरीका जयपुर में और था और जोधपुर में दूसरा। जयपुर में अपील ओरीजिनल जो होती थी उसे और उसके साथ एप्लीकेशन को—दोनों को एक ही नम्बर दिया जाता था, जबकि जोधपुर में तरीका दूसरा था, ओरीजिनल अपील को एक नम्बर दिया जाता था और एप्लीकेशन को दूसरा नम्बर। तो एक ही अपील के इस तरह दो नम्बर हो गये। तो आप क्या बताने की कृपा करेंगे कि दोनों का नम्बर डालने का तरीका क्या था?

न्याय मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): पहले जो तरीके थे वे अब बदल गये हैं। पहले जोधपुर में जो तरीका था वही हाई-कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अब सही स्थिति का ज्ञान करने के लिये कौनसा आधार रह जाता है फिर आंकड़ों का?

श्री परसराम मदेरणा: आंकड़ों के आधार पर ही मैंने निवेदन किया है।

Page No.9

श्री रामानन्द अग्रवाल: जोधपुर बैंच के अलावा जयपुर बैंच में जो आंकड़ों का आधार था उस आधार पर संख्या क्या है, यह आप बताने की कृपा करें ?

श्री परसराम मदेरणा : जब दोनों बैंचें युनीफाइड नहीं हुई तब तक का तो बता दिया, ५८ के बाद जयपुर बैंच के तरीके के आधार पर आंकड़े बता देता हूं।

	दीवानी	फौजदारी	रिट	विविध
१९५८–५९				
जोधपुर	१०६५	७०३	२४८	२०८९
जयपुर	९५३	९९४	२५७	इसका अलग ब्रेक-अप नहीं किया
१९५९-६०				
जोधपुर	१०८२	६८३	२२०	२०००
जयपुर	१०१९	९४०	२४१	इसका अलग ब्रेक-अप नहीं किया
१९६०-६१				
जोधपुर	१००७	७७१	२९९	१२६२
जयपुर	१००३	९११	२८०	इसका अलग ब्रेक-अप नहीं किया

ये आंकड़े जुलाई से जून तक के हैं और विविध के आंकड़े दोनों ही एरियाओं के कन्सोलिडेटेड हैं। इनका ब्रेक-अप नहीं किया गया है।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : इसको देखते हुए क्या जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच लाने के लिए सरकार के सामने प्रश्न विचाराधीन हो सकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : कतई नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर हॉस्पिटल में साधनों की कमी

१०९. **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)**: क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थियेटर्स व बैड्स व आवश्यक साधनों की कमी से प्रति वर्ष हजारों मरीज ऑपरेशन व इलाज से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो फिर सरकार ने इस पर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(२) बीकानेर हॉस्पिटल में सन् १९४७ के पहले क्या बजट था तथा अब सन् १९६२ में कितने का बजट रखा गया है ?

(३) सन् ४७ में कुल कितने मरीजों का इलाज होता था तथा कितने बड़े ऑपरेशन होते थे तथा अब उनकी संख्या क्या है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) बीकानेर अस्पताल में सन् १९४७ के लिए १२,३६,०११ का बजट था और सन् १९६२-६३ में १५,१८,०४० का बजट रखा गया है।

(३) सन् ४७ की संख्या इस प्रकार है :—

मरीजों की संख्या	१,६५,७१८
मेजर ऑपरेशन्स	१,३३४

१-१-६२ से ३०-९-६२ तक की संख्या निम्न प्रकार है :—

मरीजों की संख्या	२,९१,७४८
मेजर ऑपरेशन्स	३,१९०

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो बजट दिया गया है क्या इसमें मेडीकल कॉलेज बनने के बाद उसके पहले जैसा कि १२ लाख, ६० हजार था तो मेडीकल कॉलेज बनने के बाद उसका खर्चा जो लगता है वह इसमें शामिल है या अलग है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो हॉस्पिटल का खर्चा है जो आपने पूछा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा इसमें बताया गया है कि पहले १२ लाख था और अब १५ लाख के करीब हो गया है, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि मरीजों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गयी है और जैसा आपने बताया कि पहले १ लाख ६५ हजार था और अब वह मरीजों की संख्या २ लाख ११ हजार है और जहां पहले १ हजार ऑपरेशन्स होते थे वहां अब ३ हजार होते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में जो बजट आज रखा है उसको सरकार उपयुक्त समझती है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप बहस शुरू कर रहे हैं । प्रश्नों के द्वारा तो आपको तथ्य मिल सकते हैं, जो कि बहस का आधार बन सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है 'जी नहीं'; तो उसमें यह पूछना चाहता हूं कि यह किस आधार पर कहा है कि अब जो ऑपरेशन्स हैं वे बिना ऑपरेशन्स के नहीं रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि वहां पर हजारों मरीज बिना ऑपरेशन्स के रह जाते हैं । उसके लिए मैं उनसे कहता हूं कि ऑपरेशन्स क्यों नहीं हुए, तो कहते हैं कि बैड्स नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : देखिये बैड्स की कमी है, स्थान की कमी है; इसको तो सब स्वीकार करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्होंने नहीं कहा है कि कमी है ।

श्री अध्यक्ष : जैसी कि दूसरे हॉस्पिटल्स की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं है, इसलिए यह प्रश्न उठाना कि क्या यह उचित है, वह उचित है, ठीक नहीं है । आप बजट ज्यादा चाहते हैं तो उसको मौके पर कहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : तभी तो कह रहा हूँ.........

श्री अध्यक्ष : यह मौका नहीं है ।

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

तहसील लाडपुरा व दीगोद के ग्रामों में माइनर कैनाल में आई भूमि की अवाप्ति

११०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** [कोटा—श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा व दीगोद के कई ग्रामों में चम्बल की राइट मेन कैनाल डिविजन नं० १ में माइनर कैनाल दो वर्ष पूर्व खोदी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जा चुकी है और अब उससे खेतों को पानी दिया जाने लगा है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उस भूमि को जो माइनर कैनाल में आई है अभी तक नियमानुसार अवाप्त नहीं की है और न उस भूमि के खातेदारों को अभी तक कोई मुआवजा ही दिया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि यह भूमि जो माइनर कैनाल के अन्तर्गत आई है अभी तक संबंधित खातेदारों के खातों में ही दर्ज हैं और इन खातेदारों से इस खोई हुई भूमि का भी लगान लिया जा रहा है ?

(४) अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं।

(३) जी हां, कुछ मामले ऐसे भी हैं।

(४) इस संबंध में सरकार लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को इन मामलों को शीघ्र तय करने का तकाजा कर रही है और सारे असंगत लगान की वापसी का प्रबन्ध उनके एवार्ड में किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह जिस समय लैण्ड एक्वायर की गयी उस समय लैण्ड एक्वीजिशन ऑफिसर के द्वारा रेवेन्यू ऑथोरिटीज को इस प्रकार की सूचना क्यों नहीं दी गयी कि इस जमीन का लगान वसूल नहीं किया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेवेन्यू ऑफिसर्स को ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट से कितने बिस्वा किस जमीन के खेत में से लगान काटना चाहिए यह लिस्ट भेज चुके हैं और कहीं पर गलती से पटवारियों के कारण वसूली हो गयी है इसलिए अब यह कह दिया है कि आगे से सावधानी बरती जाये और उनका लगान नहीं लिया जाये और जिस किसी खेत में से २-४ बिस्वा काटी है तो साल में ८ आने या रुपया लगान का फर्क पड़ता है तो हमने अब लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को यह कह दिया है कि यह पैसा जो साल का ज्यादा वसूल हो गया है उस पैसे को एवार्ड के टोटल में जोड़ कर दे दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : अब तक कम्पेन्सेशन क्यों नहीं मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम्पेन्सेशन क्यों नहीं मिला, यह तो रोज आप कहते हैं लेकिन जो लैण्ड एक्वीजीशन कानून बना हुआ है वह काफी लम्बा-चौड़ा कानून है। उसमें दो-दो और तीन-तीन दफा नोटिसेज शाया कराने पड़ते हैं और अदालत की तरह पेशी होती है, सुनवाई होती है। उसके बाद में अपील होती है और यदि असन्तोष होता है तो अपील होती है। यह बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है और उसको फोलो करने में काफी समय लग जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि यह जमीन १९५३ में एक्वायर की गयी थी और इस जमीन के एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्ज को पूरा करने के लिए ९ वर्ष हो गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९५३ की साल का तो नहीं कहता कि सारी जमीन ५३ में ही एक्वायर की गयी। वह तो जैसे जैसे कैनाल खुदी है, कैनाल तो लास्ट ईयर तक खुद रही थी इसलिए सब जमीन ५३ में ली गयी हो, ऐसी बात नहीं है और ५३ से ही मामले पेन्डिग हों ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए कौन से साल के कितने मामले पेन्डिग हैं उसका अलग से प्रश्न पूछें तो अलग से बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि कैनाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि उस कैनाल की लैण्ड कब एक्वायर की गयी है तो आपने तो सारे लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट का प्रोसीजर बता दिया लेकिन आप ड्यूरेशन का मालूम करते तो तकाजे के साथ काम हो सकता था।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी आया था कि अवाप्ति की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाये लेकिन बराबर देरी होती है और बार-बार यही कह दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर तो अब भी मिल रहा है।

श्री हरिराम शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि मुआवजा देना तो दूर रहा, अधिकारियों द्वारा वहां पर किसानों को बुलाया जाता है और वहां पहुंचने के लिए किसान रुपया खर्च करता है और अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते।

श्री नाथूराम मिर्धा : पेशियां तो कानून में जितनी पड़ने की होती हैं उतनी पड़ेंगी ही। अधिकारियों को भी तो आना-जाना पड़ता हैं। हम जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑफिसर्स ज्यादा मुकर्रर कर दिये जाते, this is a very serious problem. यह हाउस में कई बार प्रश्न उठ चुका है, and the same unsatisfactory answer is coming.

श्री नाथूराम मिर्धा : जब कभी एक्वीजीशन का प्रश्न आता है तो जो ऑब्जर्वेशन्स हैं वे काफी दिमाग में हैं और उन्ही को ध्यान में रखते हुए काफी ताकीद कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स भी बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जितना तकाजा बन सके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मामलों का जल्दी ही निबटारा किया जाये।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, यह मालूम कर लिया जाये कि ऑफिसर्स बढ़ाये गये हैं या घटाये गये हैं। शायद जयपुर डिविज़न में दो ऑफिसर्स थे और दोनों की ही पोस्ट खत्म कर दी गयी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो आम एस० डी० ओज० को पॉवर्स दे दी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् ५३ के कितने केसेज पेन्डिग हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगरपालिका के प्रशासक द्वारा करों में वृद्धि

१११. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर नगरपालिका के प्रशासक ने वस्तुओं पर करों की कोई बढ़ोतरी की है ? यदि हां, तो किसके हुक्म से ?

(२) क्या इस प्रकार के प्रस्तावित करों के पूर्व उन्होंने वहां के जन-प्रतिनिधियों या भूतपूर्व सदस्यों से कोई राय ली थी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) प्रशासक ने चीजों पर करों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। प्रस्ताव के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं है।

(२) इसकी जरूरत नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रस्ताव इसके पहले भी जब नगरपालिका ने नामन्जूर कर दिया तो उसके बाद में प्रशासक महोदय जब कि जनतांत्रिक तरीके से नगरपालिका जिन प्रस्तावों को नामन्जूर करती है उनको किस प्रकार से कर सकता है ?

श्री बरकतुल्लाखां: नगरपालिका अपना एक रिज़ोल्यूशन पास करने के बाद दूसरा रिज़ोल्यूशन पास कर सकती है। परन्तु एडमिनिस्ट्रेटर्स को पॉवर्स हैं कि कर-वृद्धि के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री हरिराम शर्मा (पाटन): क्या प्रस्ताव में बढ़ोतरी करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : वह कह चुके हैं, 'जी हां'।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को पुराने करों में बढ़ोतरी का कोई हक नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो कार्यवाही की गयी है यह बिलकुल कानून के खिलाफ है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मगर उस बढ़ोतरी के लिए प्रपोज़ल्स भेज सकते हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेन्ट के पास अधिकार हैं कि वह बढ़े हुए करों को एक्सेप्ट करती है या नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ हाउस टैक्स लग रहा है और दूसरी तरफ दूसरे दूसरे कर बढ़ाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात का एसेसमेंट नहीं किया है कि जो प्रस्तावित कर बढ़ाए हैं उनसे कितनी रेवेन्यू म्युनिसिपल बोर्ड्स को होगी। उन्होंने हाउस टैक्स प्रोपोज कर रखा है इसलिए सरकार को चाहिए कि उन प्रोपोज़ल्स पर बड़ी गम्भीरता से विचार करे और यह बताया जाये कि जो लिस्ट दी है वह किन किन करों की है ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोपोज़ल्स किस किस तरह के आये हैं वे गवर्नमेन्ट के सामने आयेंगे तो उसको गवर्नमेंट स्क्रुटिनाइज़ करेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रोपोज़ल्स गवर्नमेंट ने इन्वाइट किये थे या एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने आप भेजे थे ?

श्री बरकतुल्लाखां : On his own.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कानून के अनुसार इस प्रकार के वे प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेज सकते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : प्रस्ताव भेज सकते हैं उसमें पर्मीशन की जरूरत नहीं है।

श्री भंरोंसिह : इसमें जो फन्क्शन्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के उनमें वह खास तौर से पाबन्द है कि वह केवल अमुक अमुक काम कर सकता है। उन कामों के अन्दर इस प्रकार के प्रस्ताव जिनसे किसी प्रकार से टैक्सेज़ में वृद्धि की आवश्यकता हो वह नहीं भेज सकता है, तो उसने अपने आप कैसे भेज दिये ?

श्री बरकतुल्लाखां : प्रस्ताव भेजने का जहां तक सवाल है वे टैक्सेज़ गवर्नमेंट ने कम्पल्सरी लगा रखे हैं। उन टैक्सेज के लिए अगर म्युनिसिपेलिटी की कन्डीशन्स ऐसी हैं कि डे-टू-डे का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है तो वह प्रस्ताव करके गवर्नमेंट को भेज सकता है और यही उन कन्डीशन्स् को मीट आउट करने का ऑल्टरनेटिव है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या यह लोकतन्त्र के विपरीत नहीं है कि चुनी हुई म्युनिसिपेलिटी ने जिन टैक्सेज़ को रद्द कर दिया उसके बावजूद भी आपका ऑफिसर उसको लगाये तो कहां तक ठीक है ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्षजी, सच बात कहते हुए मुझे शर्म आती है। वह यह कि कोई भी म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगाना नहीं चाहती। जब हाउस टैक्स लगाने की बात आई तो काफी सारी म्युनिसिपेलिटीज़ इस बात की कोशिश कर रही हैं कि हाउस टैक्स नहीं लगायें। टैक्स नहीं लगाने का म्युनिसिपेलिटीज़ का प्रयास हो रहा है इससिए हर म्युनिसिपेलिटी यह कोशिश करती है कि किसी तरह से टैक्सेज़ को इवेड करें। ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रेटर जब होता है तो डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रोग्रेस तो दूर रही, उसको मजबूरन ऐसे प्रोपोज़ल्स भेजने पड़ते हैं ताकि सिचुएशन मीट आउट हो सके।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे प्रोपोज़ल्स भेजे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हाउस टैक्स के बजाय दूसरे प्रोपोज़ल्स हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

भरतपुर जिले में वर्षा के प्रभाव

११२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले में इस वर्ष कितनी वर्षा हुई है और इस वर्षा का उन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है जिनमें पहले से ही पानी होने के कारण उपजाऊ भूमि पानी में डूबी हुई थी।

(२) क्या जिले की बाढ़ समस्या के हल के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या ?

(उप-मंत्री, सिंचाई द्वारा बोलना प्रारम्भ करने पर)

माननीय उप-मंत्रीजी जरा जोर से बोलें

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) भरतपुर जिले में इस वर्ष औसतन १८ इंच वर्षा हुई है। वर्षा कम होने के कारण इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

(विराम)

अब आपको सुनाई पड़ा।

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री दिनेशराय डांगी : (२) जी हां। सरकार ने बाढ़ समस्या ो हल करने के लिए जो कार्य किये हैं व करने वाली है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह सूची नहीं मिली है। कल भी यही हुआ था।

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस ऑफिस में जाकर ले लें। इसका पता वहां लगा लें।

श्री रामकिशन : इसका कैसे मालूम पड़े कि सूची है।

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस ऑफिस में जाकर देखें, अगर आपके प्रश्न का नेचर ऐसा हो कि उसमें सूची की आवश्यकता है तो वहां जाकर पूछें।

श्री रामकिशन : यह इन्टेन्शन कैसे मालूम हो कि सूची दे रहे हैं? यह होना चाहिए कि जब कोई सूची देना चाहें तो पूछने वाले को सूचित कर दें।

एक माननीय सदस्य : यह परम्परा बनानी चाहिए कि वहां जाकर सूची ले लें क्लर्क से।

श्री अध्यक्ष : क्लर्क का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि नोटिस ऑफिस में आप जाते हैं तो वहां पर आपके लिए सारी सामग्री होती है। वहीं से इसको लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब उत्तर में बताई गई सूची सामने नहीं है तो आगे कैसे पूछें?

श्री रामकिशन : या तो वह सूची मिले तभी जानकारी मिल सकती है या पढ़कर सुना दें तो पता लगे।

श्री अध्यक्ष : बड़ी लम्बी सूची होती है उसमें सदन का काफी समय लगेगा।

श्री रामकिशन : आपने यह कहा कि १८ इंच की वर्षा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी ३० हजार बीघा जमीन पानी में डूबी हुई है। जब १८ इंच वर्षा हुई तो यह प्रभाव पड़ गया।

श्री दिनेशराय डांगी : औसतन १८ इंच वर्षा हुई है, उससे बाढ़ नहीं आई है और कन्स्ट्रक्शन वर्क जब हो जायेंगे तो बाढ़ और कम हो जायगी।

श्री रामकिशन : कब तक हो जायेंगे? वहां तो पानी भरा हुआ है, ३० हजार बीघा जमीन डूबी हुई है। सरकार एक निश्चित समय बता दे कि कब तक वह पानी कम होगा?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि एक लम्बी सूची है। कुल मिलाकर २४ काम हैं, इनमें से १५ काम लिये हैं और रुपयों की स्वीकृति हो चुकी है। दूसरे प्रान्तों की तरह जैसा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने कहा है राजस्थान सरकार भी फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनाने का विचार कर रही है। तो वहां का भी प्रतिनिधि लिया जायेगा जैसे कि गंगानगर का प्रतिनिधि लिया जाता है। यह सारी स्कीम सेन्ट्रल वाटर बोर्ड और प्लानिंग कमीशन से आने पर उस पर एक्शन होगा।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी ने यही जबाव आज से ६ महीने पहले भी दिया था। जहां तक बोर्ड का संबंध है मंत्रीजी ने पहले भी यही कहा था और ६ महीने तक उसका निर्माण नहीं हो सका तो

Page No.16

(श्री रामकिशन)

क्या पता कि वह ६ साल तक नहीं हो सके। कम से कम मंत्रीजी यह आश्वासन दें कि यह बोर्ड ५ महीनों में, ६ महीनों में या ६७–६८ तक बन जायेगा।

श्री भीखाभाई : बोर्ड का इस काम से कोई संबंध नहीं है। यह तो फेक्चुअल पिक्चर सारे राजस्थान के फ्लड कन्ट्रोल के बारे में होगी। आपके यहाँ जैसे कि भरतपुर जिले में मैंने निवेदन किया कि २४ काम सेन्क्शन्ड हुए हैं उनमें से १५ कामों के लिए रुपये की स्वीकृति हो चुकी है। अगर आप फर्मावेंगे तो सारी डिटेल बता दूंगा, धनराशि। अगर जवाब से आपको संतोष नहीं हुआ है तो संतोष होगा।

श्री रामकिशन : आपने २४ काम बतलाये, तो उसमें बाणगंगा के काम की सेन्क्शन नहीं है। कामा तहसील के लिए कह रहा हूँ कि बाणगंगा से नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री भीखाभाई : बाणगंगा के लिए फ्लड रेग्यूलेटिंग वर्क्स फोर बाणगंगा एण्ड गम्भीरी रिवर्स इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें २,९८,०००) रु० प्रोवाइड किया गया है।

श्री रामकिशन : १७ मील के एरिया में जमीन फ्लड में है, क्या उसके लिए यह रुपया काफी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सांचोर राजकीय डिस्पेन्सरी

११३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि सांचोर राजकीय डिस्पेन्सरी में मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी दवाइयों का बजट उतना ही है जो पहले कम मरीजों की हालत में था ? अगर हां, तो क्या सरकार अब बजट बढ़ाने का विचार रखती है ?

(२) सांचोर डिस्पेन्सरी में सालाना कुल कितनी राशि की दवाइयां दी जाती हैं और दवाइयों की मांग अब सालाना कितने रुपयों की है ? दवाइयों की कमी किस प्रकार पूरी की जाती है ?

(३) क्या यह सच है कि डिस्पेन्सरी के इन्डोर पेशेन्ट्स के वार्ड की हालत अच्छी नहीं है ? अगर हां, तो उसकी हालत ठीक करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं। सन् १९६१–६२ में मरीजों की रोजाना औसत ६१ थी और अब ८६ है।

(२) सांचोर डिस्पेन्सरी को सालाना दवाइयों की धनराशि २५००) रु० है और इतनी ही धनराशि दवाइयों की दी जाती है। इस पर भी अगर डॉक्टर विशेष दवाइयों की मांग करता है तो उनकी पूर्ति डी० एम० एच० ओ० के जनरल स्टोर से कर दी जाती है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास मांगने पर और दवाई दी जा सकती है।

(३) डिस्पेन्सरी के वार्ड की हालत खराब नहीं है। जिला अधिकारी (चिकित्सा) ने सालाना रिपेयर करवाने की स्वीकृति चाही थी वह उनको भेजी जा चुकी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पांच साल से कोई स्वीकृति हुई है वहां पर ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने आपको बतलाया कि स्वीकृति मांगी गई थी वह भेजी जा चुकी है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां पर पांच साल से मरम्मत हुई है, यही प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

वन विभाग द्वारा निर्मित नर्सरी, तहसील भीम

११४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में वन विभाग द्वारा जो नर्सरी बनाई गई थी वह पानी की कमी के कारण कामयाब नहीं रही ?

(२) अब तक उस नर्सरी पर कितना व्यय हुआ है और कितने सालों में कितने पेड़ लगे हैं ?

(३) यदि वहां पानी की कमी है तो नर्सरी वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं लगाई जाती ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां, कुछ समय पूर्व नर्सरी में पानी की कुछ कमी थी ।

(२) इस नर्सरी में सन् ५७-५८ से आज तक १९,२५६ पौधे लगाये गये व २,५६,८२०) रु० खर्च हुए ।

(३) अब पानी की कमी नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पानी की कमी अपने आप पूरी हो गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जमीन बड़ी बहादुर है लेकिन कोमल नहीं है, बड़ी सख्त जमीन है और पानी बड़ा नीचा है । जमीन में नमी की कमी रही, पानी की कमी रही, वर्षा की कमी रही; इसलिये पानी की कमी को अब पूरा किया गया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: जब से कूंआ बना तब से वही हालत है या उसमें कुछ सुधार हुआ है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पानी ठीक हो गया, लेकिन आर्थिक संकट के प्रश्न पर बंद कर दिया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: वहां लगाये तो इतने हजार पेड़ थे लेकिन बहुत कम क्यों पनपे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि इतने लगाये गये, लेकिन कुछ खराब हो गये ।

खराबी का कारण माननीय सदस्या जानती हैं, बड़ी सख्त जमीन है, कीड़े-मकोड़े, पानी की कमी आदि कई आधार हैं जिनके कारण नहीं लगे । नर्सरी लग गई, यही बहुत बड़ा आधार है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तब फिर वहां क्यों लगाये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह क्या बात थी, यह माननीय सदस्या जानती हैं । माननीय सदस्या को इसके लिये शिकायत रही है और वह पिछड़ा हुआ सब डिस्ट्रिक्ट है । हमने यह सोचा कि जगह जगह पेड़ लगें इसलिये वहां लगाये गये ।

Page No.18

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पेड़ धरती पर लगे हैं या कागजों पर ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब वहां पर पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है फिर पेड़ क्यों नहीं लगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : देवगढ़ ऐसा स्थान जरूर है बमुकाबले भीम के, लेकिन देवगढ़ में माननीय सदस्या की ओर से भी बड़ा सजग प्रयत्न है इसलिये कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिये हर तरह से इसको मान्यता दी गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह उप-मंत्रीजी का गलत ख्याल है, देवगढ़ के अलावा भीम के कई स्थान ऐसे हैं जहां की जमीन ज्यादा अच्छी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां बरसात का पानी पहाड़ों की वजह से कन्द्राओं में रहता है वहां की हालत कुछ अच्छी हो सकती है लेकिन वर्षा की कमी से यह क्षेत्र कुछ ऐसा ही रहता है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : बहादुर जमीन जिसे आप बता रहे हैं उसमें पौधे अच्छे लगते हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'बहादुर' से मतलब कठोर जमीन से था कोमल से नहीं था।

श्री श्योपतसिंह : माननीय उप-मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे क्या कि बहादुर उपज से है या निकम्मी होने से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपजाऊ कम है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस समय नर्सरी खोलने का डिसीजन लिया उस समय सरकार को मालूम था क्या कि पानी की कठिनाई है और यह खंड ऐसा है जो उपज के लिये बाधा पहुंचाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राकृतिक समस्याओं से उपजाऊ है या नहीं, हर जगह का प्रश्न रहता है। सरकार को मालूम था कि इस जमीन में पानी की कमी है, लेकिन सरकार को विश्वास था कि अच्छा कूआं खुदवाने से पानी निकल जाय तो कठिनाई का मुकाबला कर सकते हैं। सरकार ने प्रयत्न किया और अब इस कूए में पानी की बहुलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या यह उचित नहीं था कि पानी की पहले व्यवस्था करके नर्सरी खोलते ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने पेड़ लगाये हैं और उनमें से कितने उग आये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब हमने व्यवस्था कर दी है कि कितने पौधे पनपते हैं उनके आंकड़े आ जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये पौधे कागज पर हैं या धरती पर हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी माननीय सदस्या बोल रही हैं आप धैर्य रखें। कितने पनपते हैं, हमारे पास आंकड़े नहीं है।

Page No.19

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं आंकड़े पेश कर सकती हूं, हजारों रुपये खर्च करने के बाद उठे सौ-एक नीमड़े रा पेड़ उगियोड़ा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्या को इसमें दिलचस्पी है, लेकिन आपने आंकड़ों में बहुत कमी कर दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उप-मंत्रीजी के पास आंकड़े मालूम तो पड़ते हैं, लेकिन देने में हिचकिचाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सामान्य ज्ञान है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : २५ हजार रुपये खर्च करने के बाद पेड़ लगे या नहीं या रुपये कीड़े मकोड़े खा गये; इसलिये जानना चाहते हैं। सदन के सामने जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको मंत्रीजी नहीं छिपावें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये आंकड़े रकम खर्च होने के देखकर माननीय सदस्य कुछ परेशान हैं। यह रकम खर्च हुई उसका विश्लेषण किया जाय तो खर्चा ज्यादा नहीं है। कूएं का प्रश्न है, कीड़ों का मुकाबला करने का प्रश्न है, इन्सेक्ट्स का मुकाबला करने का प्रश्न है, कुआं खुदवाने का प्रश्न है। ऐसे कई फेक्टर्स हैं जिनमें रुपये खर्च हुए हैं, खाली पौधों पर ही यह खर्चा न समझा जावे।

श्री अध्यक्ष : आपने यह ओब्स्टेकल रेस खड़ी क्यों की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह किस किस्म की योजना समझी जावे; सही माने में योजना समझी जावे या और परिभाषा या शब्दावली में इसे परिणत करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वृक्ष लगाने की योजना इस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन देने की है। भीम क्षेत्र से माननीय लीडर ओफ ऑपोजिशन स्वयं पास होते हैं। वे जानते हैं कि वह क्षेत्र कितना रूखा-सूखा है, वहां अमूमन फेमिन रहता है। इसलिये वहां वृक्ष लगाकर इसको हरा भरा करने की योजना कितनी बड़ी और एप्रिशियेट करने लायक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह करेक्ट प्लानिंग है या मडल हैडेड प्लानिंग है ?

श्री अध्यक्ष : यह इन-एफिशियेन्ट इम्प्लीमेन्टेशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उस दृष्टिकोण से मैं नहीं देखता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

प्रसूति-गृह, कस्बा उदावल

११५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि कस्बा उदावल, तहसील रूपबास (भरतपुर) में करीब दो लाख रुपये की लागत से एक दानी ने प्रसूति गृह का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो इसे चलाया क्यों नहीं जा रहा है ?

Page No.20

स्वास्थ्य, उप-मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : हां, निर्माण कराया है। प्रसूति गृह खोलने की आज्ञा १०-१०-६२ को भेज दी गई है। आशा है शीघ्र ही यह प्रसूति गृह चालू हो जावेगा।

श्री रामकिशन : यह प्रसूति गृह कब निर्मित हुआ था और राज्य सरकार के पास कब आवेदन-पत्र आया था इसको प्रारम्भ करने के लिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रसूति गृह काफी पहले बन चुका था लेकिन बिना पर्मिशन के बना था। इसलिये वैधानिकरूप से ठीक नहीं था। इसलिये खोलने का आदेश नहीं दिया जा सका। पीछे और विचार करने के बाद खोलने का आदेश दिया जा चुका है।

श्री रामकिशन : यह आदेश कब दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १०-१०-६२ को।

श्री रामकिशन : क्या यह सही है कि इससे पूर्व मुख्य मंत्रीजी द्वारा उद्घाटन करने के समय का कार्य-क्रम आ चुका था लेकिन राजनैतिक कारणों से उद्घाटन रुक गया ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दानी ने २ लाख रुपये खर्च करके प्रसूति गृह बनाया क्वार्टर्स बनाये, सब कुछ तैयारी की; लेकिन राजनैतिक कारणों से नहीं खोला गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बिल्डिंग कोई भी बनाकर दे सकता है। आजकल खाली बिल्डिंग बनाकर देने से ही काम नहीं चलता। हमारा एक पेटर्न है उसके माफिक चीज होती है तब खोला जाता है। लेकिन लोग बाग सरकार को सूचित किये वगैर, आउट ऑफ वे जाकर मेर्टर्निटी होम और चाइल्ड वैलफेयर सेन्टर खोल देते हैं; तब बजाय इसके और कोई उपाय नहीं है कि उसको बंद कर दें, बजाय इसके कि पेटर्न के बाहर जाकर उनको अकोमोडेट करें।

श्री रामकिशन : क्या सरकार के आश्वासन पर यह बिल्डिंग नहीं बनायी गयी थी ?

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने पूरा प्रोग्राम उद्घाटन का दे दिया था, पूरा स्टाफ पहुंच चुका था, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी; फिर एक टेलिफोन दिल्ली से आया, उसकी करामात से, राजनैतिक कारणों से वे दिल्ली चले गये और उद्घाटन रुक गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसको खोलने के लिये गवर्नमेन्ट की कोई पर्मिशन नहीं ली गई थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल: क्या मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम उद्घाटन करने का नहीं पहुंचा था ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी के पास लोग पहुंचे उससे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट की पर्मिशन खोलने के लिये नहीं ली गई थी। जब मेडिकल डिपार्टमेंट को मालूम हुआ कि

(श्री बरकतुल्लाखां)

चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी चीज को इनआॅग्युरेट करने जा रहे हैं जो प्लान में नहीं है और जिसका एप्रूवल नहीं लिया गया है; फिर भी कोशिश यह की गई कि आस-पास की डिस्पेन्सरीज से छोटा-मोटा स्टाफ भेज कर लगा दिया। उसके बाद जब सी० एम० साहब को यह मालूम हुआ कि गवर्नमेंट की पर्मिशन खोलने के लिये नहीं ली गई है तो उन्होंने वहां जाने से इन्कार कर दिया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

रुगरामसागर तालाब की पाल की मरम्मत

११६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील में कालागुण का रुगरामसागर तालाब सिंचाई विभाग के अधीन है और उसकी पाल टूट-फूट रही है जिससे पानी निकल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यह तालाब टूट जायगा ?

(३) यदि हां, तो उसकी मरम्मत कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस तालाब से मामूली सीवेज होता है।

(२) तालाब में ऐसी कोई टूट-फूट नहीं है जिससे बांध के टूटने का खतरा हो।

(बारह बजने के भौंपू की ध्वनि)

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय उप-मंत्री पर कोलाहल नियंत्रण कानून लागू हो गया मालूम पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी जाति पर भौंपू की कृपा नजर आती है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, भौंपू बन्द हो जाय।

(विराम)

(१) इस तालाब से मामूली सीवेज होता है।

(२) तालाब में ऐसी कोई टूट-फूट नहीं है जिससे बांध के टूटने का खतरा हो।

(३) सीवेज को कम करने के लिए कुछ काम करवा दिया गया है और इस साल सीवेज देखने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो मरम्मत करा दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य ध्यान से सुनते नहीं हैं, उनका ध्यान दूसरी जगह रहता है और...

श्री अध्यक्ष : आपका कहना बिल्कुल ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों की सीनियोरिटी पर असर किये वगैर माननीय उप-मंत्री को आगे बैठने की इजाजत दे दी जाय तो सुविधा रहेगी।

श्री अध्यक्ष : यह सजेश्सन पहले दे दिया था।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : वे खुद भी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रयत्न तो और भी बहुत करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन अभी तक आपके प्रयत्न कामयाब नहीं हुए हैं, फेल हुए हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर आप इधर आ जायं तो वहां बैठाने को तैयार हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपमंत्रीजी ने कहा कि मामूली सीवेज हो रहा है। यह किस एजेन्सी से मालूम किया कि मामूली सीवेज हो रहा है? मैं देख कर आई हूं कि तालाब की पाल में टूट-फूट हुई है। चार महीने पहले तार दिया था कि तालाब टूट जायगा, उस पर क्या किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ रेत डाल दिया गया है और बरसात के बाद मालूम होगा कि सीवेज होगा तो और रेत डलवा देंगे। वैसे ३० एकड़ से यह कम है, इसलिए पंचायत समिति को हैंड-ओवर करने के लिए कहा गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस साल बरसात कम हुई है फिर भी तालाब टूट गया है। अभी तक पानी निकल रहा है। पंचायत समिति को सौंपेंगे लेकिन इर्रिगेशन डिपार्टमेंट तो आपके अन्डर में है, इसकी मरम्मत में क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा कि रेत डलवा दी गई है, इसके बाद जरूरत पड़ी तो और कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसका मतलब यह है कि अगली बरसात में टूटेगा तब मरम्मत करा देंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ लोग डूबेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

आयुर्वेद औषधालय, जिला जालौर

११७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या यह सच है कि जिला जालौर में दूसरे जिलों की अपेक्षा आयुर्वेद औषधालय कम हैं ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ख) इस वर्ष जिला जालौर में आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां खोलने की सरकार की योजना है ?

(ग) क्या तहसील सांचोर (जिला जालौर) में भी कोई औषधालय खोले जावेंगे ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(घ) क्या यह सच है कि जहां जहां औषधालय खोले गये हैं उनमें से काफी जगह अभी तक चिकित्सक नियुक्त नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक सारी जगहों पर चिकित्सक भेज देगी ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई):
(क) जी नहीं ।

(ख) इस वर्ष नवीन औषधालय नहीं खोले जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निम्बलाना और पुनासा के अतिरिक्त सब स्थानों पर चिकित्सक नियुक्त किये जा चुके हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक यह था...

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसे मंत्री रख दिये हैं कि उप-मंत्रीजी की तो कम स्पीड है और आपकी ज्यादा है । विभागों में हेर-फेर किया जाय तो ठीक होगा और सुविधा होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : रेगुलेटर्स मंगा लिये जायं ।

श्री भीखाभाई : कभी तेजी की शिकायत रहती है, कभी कम स्पीड की शिकायत रहती है, मैं क्या करूं ? मैं फिर निवेदन कर देता हूं ।

(क) जी नहीं ।

(ख) इस वर्ष नवीन औषधालय नहीं खोले जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निम्बलाना और पुनासा के अतिरिक्त सब स्थानों पर चिकित्सक नियुक्त किए जा चुके हैं ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि 'जी नहीं' और 'प्रश्न नहीं उठता' में क्या फ़र्क है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : नियुक्त तो किये जा चुके हैं, लेकिन वे अपनी जगह पर पहुंचते हैं या नहीं, यह जानकारी की है ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री भीखाभाई : नियुक्ति की जा चुकी है, इससे समझते हैं कि वे पहुंच गये होंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रश्न नहीं है । आपके यहां से नियुक्ति बराबर होती है, लेकिन वे वहां दो-दो वर्ष तक पहुंचते नहीं हैं और तनख्वाह लेते हैं । वे जगह पर पहुंचते हैं या नहीं, इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान देंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मतलब है.........

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य किसी का नाम बतायें जो नहीं पहुंचा है तो पहुंचाने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने यह कहा कि नियुक्ति कर दी है, तो यह मान लेते हैं कि वह जगह पर पहुंच गया । क्या सरकार ने रिपोर्ट मंगाने की व्यवस्था नहीं की है कि जिस आदमी को ट्रान्सफर किया गया है वह जगह पर पहुंचा है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : सरकार की व्यवस्था साफ है, हर एक आदमी जानता है कि एक आदमी की नियुक्ति होती है, वह जगह पर पहुंचता है और पहुंचने पर हैंड-ओवर, टेक-ओवर होता है । यह सब लोग जानते हैं । एक नीति का मामला हो जाता है कि वे पहुंच गये हैं या नहीं, उन्होंने पूछा उसके अनुसार मैंने निवेदन किया । उन्होंने कहा कि वहां आदमी की नियुक्ति हुई, उस नियुक्ति के सवाल पर मैंने कहा ।

Page No.24

श्री दुर्गालाल बाहदार (हवामहल, जयपुर) : इसका मतलब है कि सरकार नहीं जानती। अगर सरकार जानती तो कहती कि पहुंच गये हैं। गोलमाल जवाब है।

श्री भीखाभाई : इसीलिए आपकी आवश्यकता है कि आपके द्वारा हम जानें और ठीक करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो समय पर नहीं पहुंचते हैं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का फैसला किया है ?

श्री भीखाभाई : किया है और किया जाता है। कभी आदमी समय पर नहीं पहुंच पाता है तो जवाब तलब किया जाता है। अगर नहीं पहुंचता है और लम्बे अर्से तक नहीं पहुंचता है और लम्बी छुट्टी ले ले तो दूसरा आदमी भेजते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिए भी नहीं पहुंचता कि पहुंचने के पहले ही दूसरा आर्डर मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

जिला हैड क्वार्टर्स पर दाइयों का प्रशिक्षण

११८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जिला हैड-क्वार्टर्स पर दाइयों को ६ महीने के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है ?

(२) यदि हां, तो गांवों से दाइयों को काम सीखने के लिये जाने की प्रेरणा देने के लिये सरकार या पंचायत समितियां क्या उपाय काम में ला रही हैं ?

(३) क्या सरकार को इस क्षेत्र में सफलता मिली है ?

(४) इस समय कितनी दाइयों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ?

(५) अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत कितनी दाइयों ने लाभ उठाया है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। राजस्थान में केवल १६ जिले हैड-क्वार्टर्स पर ५ महीने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। इसके अतिरिक्त १६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकार ने काम सीखने की प्रेरणा के लिए इन दाइयों को प्रशिक्षण काल तक ३०) रु० मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है।

(३) जितनी सफलना मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है।

(४) इस समय ५७६ दाइयों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

(५) अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत ६५१ दाइयों ने लाभ उठाया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

जंगलात से जलाने की लकड़ी लाने हेतु छूट

११९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अलवर रियासत के जमाने में अलवर शहर के नजदीक के जंगलात से जलाने की लकड़ी लाने की लकड़हारों और दूसरे गरीब लोगों को पास बनवा कर जाने की खुली इजाजत थी?

(२) क्या यह सही है कि अब उन लकड़हारों और अन्य गरीब लोगों के लकड़ी लाने पर पाबन्दी लगा दी गई है और एक निश्चित तादाद में ही पास काटे जाते हैं ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि सरकार की इस नीति के कारण बहुत से गरीब लोग बेरोजगार हो गए हैं ?

(४) क्या सरकार अपने इस हुक्म को वापिस लेकर लकड़हारों तथा दूसरे गरीबों को वही सुविधाएं देने का विचार रखती है जो उन्हें पहले हासिल थीं ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य):

(१) जी हां।

(२) जी हां। चूंकि अब अलवर के आस-पास के वनों में लकड़ी नहीं रही है अतः निर्धारित संख्या में लकड़हारों को निर्धारित जंगलों से लकड़ी लाने दी जाती है ताकि वनों का ह्रास कम हो।

(३) यह सही नहीं है।

(४) जी नहीं। लिस्ट में उन सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जिनका मुख्यतया धन्धा उस समय लकड़ी का रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस लिस्ट में कितने लोग हैं, उनकी संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ८६।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह समझती है कि केवल ८६ लोग ही पहले इस रोजगार के ऊपर निर्भर थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी ही मान्यता नहीं है, लेकिन १९५७, १९५८, १९५९ ; इन तीनों वर्षों में जो लोग इस पर अपना धन्धा करते थे, उनकी स्क्रीनिंग करके अधिक से अधिक ८६ तक हमने व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि शुरू में संख्या ८२ थी और उसमें चार बाद में जोड़े गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सम्भव हो सकता है कि पहले संख्या कम हो, लेकिन बाद में स्क्रीनिंग करने पर यह संख्या बढ़ी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या सरकार, इस प्रकार के और लोग हैं, उनकी दरख्वास्तों पर विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार बड़ी सहृदयता से विचार कर सकती है, लेकिन अलवर के नजदीक वाले वन मूल्यवान हैं। ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती जायेगी त्यों त्यों ह्रास वन का होगा, वन पर असर पड़ेगा इसलिए वन और व्यक्ति-दोनों के बीच का संघर्ष है, जिस पर सरकार अब विचार करने की स्थिति में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने यह रिकमन्ड किया था कि शहर के पांच मील के रेडिअस में कोई पाबन्दी इस प्रकार की लकड़ी लाने पर नहीं लगाई जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सम्बन्ध में प्रगति बड़ी किस्म है। पहले हैड लोड से ले जाते रहे। उसके बाद सहूलियत को रखे रहीं सरकार, तो साइकिल पर ले जाने लगे। साइकल को रखा तो वन का ह्रास होने लगा। इस स्थिति में वन की रक्षा करने के लिए कुछ सहूलियत को नहीं, कठोरता रखी जाय ऐसा निर्णय किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं कि सैकड़ों वर्ष से जब अलवर रियासत थी, इस प्रकार की लकड़ी लोग लाते रहे और वन सम्पदा खत्म नहीं हुई। अब आजादी आने के बाद गरीब तबके का जो रोजगार है वह खत्म कर दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है, अलवर जब रियासत थी तब यह सहूलियत थी, लेकिन उसके बाद साइकल पैदा हुई, ट्रक्स पैदा हुए और वन उपज के ह्रास के लिए कई तरीके बने, आबादी बढ़ गई। उस आबादी को यह सहूलियत नहीं दी जा सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप ख्याल करते हैं कि १९४७ के बाद साइकिल की तादाद एक दम से बहुत बढ़ गई है और आबादी इतनी भारी बढ़ गई है कि नीति में बुनियादी परिवर्तन कर पाबन्दी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है ? फिर गवर्नमेंट ने ऑल्टर्नेटिव रोजगार के लिए क्या सोचा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजनैतिक चेतना भी बढ़ी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह सूची है, इस सूची को बनाने के लिए सरकार कोई प्रोसीजर ले डाउन कर रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: १९५७, १९५८, १९५९ के हैड लोड लाने वालों का स्क्रीनिंग किया है कि कौन बोनाफाइड है, कौन नहीं है। इसके आधार पर डिस्क्रीशन से यह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस प्रकार की एप्लीकेशन्स इनवाइट की हैं या १९५७, १९५८, १९५९ के हैड लोड से लकड़ी ले जाने वालों का रेकॉर्ड मेन्टेन किया था, जिसके बेसिस पर, एप्लीकेशन के बेसिस पर स्क्रीनिंग करके यह निर्णय लिया कि ८६ इस रोजगार में काम करने वाले थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६ नये पैसे रॉयल्टी पर हैड लोड पर ली जाती है। यह स्थिति सरकार के सामने थी। उसके आधार पर यह किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह लिस्ट पहले ८२ की थी, बाद में कांग्रेस के दफ्तर से हरिजन सेवा संघ की चिट्ठी लेकर आने पर इसमें परिवर्तन किया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य । ऐसी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चिट्ठियां तो आप ही काटा करते थे।

Page No.27

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिस्ट बनी है सन् ५७ में। पहले वन विभाग के दफ्तर में लिस्ट हमने देखी। कांग्रेस के दफ्तर में हरिजन सेवा संघ है उसने चिट्ठी लिखी थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कमाल है आपका कि वह काम आप करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कांग्रेस की जड़ें काटा करते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जड़ें मजबूत ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष : तभी तो प्रश्न पूछे जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार ने इस नीति से हजारों लोगों को जो लकड़ी काट कर फायदा उठाते थे उनको इस फायदे से वंचित रखा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कतई निराधार है। मजदूरों को एजिटेशन करने का मौका नहीं मिला है। बाकी सबको मिल गया है।

एक माननीय सदस्य : हजारों की तादाद में लोग लकड़ी लाते थे, उन लोगों को इस नीति से फायदा नहीं मिला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई असंतोष नहीं है। सभी को इस प्रश्न पर संतोष है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इल्लीगल तरीके से लोगों पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाकर चोरी करना नहीं सिखाते?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ लोग सिखाते हैं, हम उस पर रोक लगाते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रतापगढ़ गोली-काण्ड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां के भील वगैरह बेकार हो गये और उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर गोली कांड हुआ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे ख्याल नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह चित्तौड़ का मसला है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के पास का है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र।

जयपुर नगर परिषद का सन् १९६२-६३ का बजट

१२०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिकाओं का बजट सरकार को कब तक स्वीकृति के लिये प्राप्त हो जाना चाहिये?

(२) क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् ने सन् १९६२-६३ का बजट अभी तक सरकार के पास स्वीकृति के लिये नहीं भेजा है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह भी सही है कि जयपुर नगर परिषद् की बैठक में भी कोई बजट पास नहीं कराया गया है?

(४) बजट-स्वीकृति नहीं होने की दशा में नगर परिषद किस अधिकार से खर्चा कर रही है?

(५) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

Page No.28

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) नगरपालिका का आगामी साल का बजट चालू साल के १ नवम्बर से १ जनवरी के बीच पारित कर लिए जाने चाहिये और पारित होने की तारीख से १० दिन के अन्दर सरकार को मंजूरी के लिये भेज दिये जाने चाहिये ।

(२) जी हां, यह सही है । परिषद् द्वारा अभी तक बजट पास नहीं किया गया है ।

(३) जी हां, यह सही है ।

(४) खर्चा करने का अधिकार नहीं है ।

(५) नगर परिषद् को बराबर बजट भेजने के लिये लिखा जा रहा है । परिषद् ने बजट बना कर अर्थ-समिति के सामने पेश कर दिया है जो विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तो इससे क्या यह समझा जावे कि जिस समय म्युनिसिपैलिटी को बजट पेश करना चाहिये उस समय से लेकर अब तक नगरपालिका ने जो खर्चा किया है वह गैरकानूनी और अनधिकृत है ?

श्री बरकतुल्लाखां : बजट जैसा कि मैंने अर्ज किया म्युनिसिपैलिटी को पास करके भेजना चाहिये, मगर अभी तक नहीं भेजा है । इसका मतलब यह है कि जो खर्चा किया गया है वह उनके अधिकार के बाहर है ।

श्री भैरोंसिंह : इतनी बड़ी रकम जब उन्होंने अपने अधिकार के बाहर खर्च की है तो सरकार ने अब तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री बरकतुल्लाखां : हमने उनको पहला नोटिस ३-६-६२ को दिया, दूसरा नोटिस २०-६-६२ को दिया और तीसरा ३०-६-६२ को दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने नोटिस इस बात का दिया कि कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : पहले नोटिस में यह नोटिस दिया कि बजट क्यों नहीं भेजा ? बजट भेजो । दूसरे में लिखा गया कि क्यों नहीं भेजा ? बजट जल्दी भेजा जाए । अब तीसरा फाइनल दिया जा रहा है कि अगर बजट नहीं भेजोगे तो सख्त कदम उठाये जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : टाउन म्युनिसिपल एक्ट में इस प्रकार के नोटिस देने का आपको अधिकार नहीं है ।

श्री बरकतुल्लाखां : सरकार को अधिकार है कि म्युनिसिपल बोर्ड बजट नहीं भेजे तो सस्पेन्ड कर सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : मगर आपको सख्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । इसका अर्थ यह समझा जावे कि उस धारा के अन्तर्गत नोटिस दिया है जिस धारा के अन्तर्गत आप उसको सस्पेन्ड कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप सोच रहे हैं वह नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : इस धारा के नीचे आप नोटिस देने की सोच रहे हैं । क्या आज राजस्थान में कोई ऐसा कानून है जिसके जरिये आप खर्चे को रेगुलराइज करा सकते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, मैं मेरे दोस्त से निवेदन करूंगा और वे इस बात को मानेंगे कि जिस तरह के दौर से मौजूदा म्युनिसिपैलिटी, जयपुर की गुजर रही है उस कारण वे नहीं भेज सके । पहले म्युनिसिपैलिटी जनसंघ के हाथ में थी...

श्री भैरोंसिह : उसने तो बजट भेज दिया ।

श्री बरकतुल्लाखां : उसके बाद अब फिर कांग्रेस के हाथ में है । इस तरह से यह म्युनिसिपैलिटी एक पोलिटिकल दौर से गुजर रही है । इसके अलावा राजस्थान की राजधानी की म्युनिसिपैलिटी होने के कारण हम इतना लाइटली जितना आप कहते हैं ट्रीट नहीं कर सकते । जिम्मेदारी को वे भी समझते हैं और इसलिये उनको नोटिस दिया गया और अब चूंकि बजट नहीं आया है इसलिये उन पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि बजट भेज दें ।

श्री भैरोंसिह : मेरा मतलब यह है कि सरकार अब किस कानून के अन्तर्गत इस खर्चे को रेगुलराइज़ कर सकती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : अगर रेगुलराइज़ नहीं कर सकेगी तो इस हाउस के सामने आ जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार की यह नीति है कि राजस्थान की राजधानी की म्युनिसिपैलिटी होने के नाते उसके साथ दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ से भेद-भाव किया जावे ?

श्री बरकतुल्लाखां : कई म्युनिसिपैलिटीज़ ५-६ महीने तक नहीं भेजती हैं ।

श्री भैरोंसिह : क्या कोई ऐसी धारा है कि बाकी की टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ पर लागू न करें और जयपुर की म्युनिसिपैलिटीज़ पर इसको लागू करें ?

श्री बरकतुल्लाखां : किसी भी म्युनिसिपैलिटी का बजट समय पर नहीं पहुंचने पर उसको सस्पेन्ड किया जावे । मगर जैसा मैंने कहा कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ने बजट नहीं बनाया और टाइम मुकर्रर पर पास नहीं कर पाये और अगर उनको सस्पेंड कर दिया जावेगा तो वह एक प्रकार का खिलवाड़ हो जायेगा । उनको मेसेज भेजा जाता है, नोटिस दिया जाता है । इस प्रकार ये तमाम तरीके एडॉप्ट किये जाते हैं और उस पर भी नहीं भेजते हैं तो फिर सख्त शब्द काम में लिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कृपया मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि निश्चित अवधि में नगरपालिका का बजट सरकार के पास न आने पर आप उसको नोटिस देते हैं, पर किसी का बजट टाइम में आने पर सरकार उसकी स्वीकृति नहीं भेजती है, उस हालत में सरकार को कौन नोटिस देता है ?

श्री रामकिशन (वैर) : यह व्यवस्था का प्रश्न है, सरकारी बैंच के सदस्य सो रहे हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : विचार कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

Page No.30

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : On a point of order, Sir......

श्री भैरोंसिंह : एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। यह सही है कि सस्पेन्ड नहीं कर सकते, यह भी मान लिया जाय कि राजधानी की नगर-पालिका है इसलिये उसके साथ रियायत बरतनी चाहिये पर आज तक जो खर्चा हुआ है उसको रेगुलराइज् करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विभाजन सम्बन्धी दिये जाने वाले निर्णय विषयक औचित्य प्रश्न

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : On a point of order, Sir, मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर नियम २९४–२९५ के तहत पोइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में है। इन रूल्स के तहत यह व्यवस्था है कि कोई भी पोइंट ऑफ ऑर्डर हाउस में पेश किया जाय तो वह कॉन्स्टीट्यूशनल पोइंट के लिये या कार्य-संचालन के रूल्स के सम्बन्ध में किया जा सकता है। कल हाउस में डिविज़न हुआ था, उसके बाद जब कि फ़ाइनल नहीं हुआ था उसके बीच पोइंट ऑफ ऑर्डर डिविज़न के बीच रेज़ किया गया था। रूल्स के माफिक पोइंट ऑफ ऑर्डर डिविज़न के बीच में रेज़ नहीं किया जा सकता। कल के लिये मैं नहीं कहता, पर आयन्दा के लिये व्यवस्था होनी चाहिये कि डिविज़न के बीच में पोइंट ऑफ आर्डर रेज़ किया जा सकता है क्या ? इस सम्बन्ध में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पोइंट ऑफ ऑर्डर तो उस वक्त रेज़ किया जा सकता है जब कि उस तरह की बहस सदन के सामने हो। कल उस समय पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया जा सकता था। आज जब कि वह पोइंट सदन के सामने नहीं है उस पर पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कल एक रूलिंग रिज़र्व रखी गई थी, उसकी व्यवस्था आज दे दी जाय, यह चाह रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, वह रूलिंग मेरे ही संबंध में रिज़र्व रखा गया था। जिस समय डिविज़न हुआ उस समय मैं वोट देने नहीं गया था क्योंकि मैं बाहर था। बाद में अध्यक्ष की ओर से रूलिंग दी गई कि बाहर से आने वाले भी वोट दे सकते हैं...

श्री अध्यक्ष : पूरा किस्सा नहीं कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : निर्णय रिज़र्व रखा गया था, निर्णय अभी तक नहीं दिया है। यह कहा गया था कि प्रोसीडिंग्ज़ देख कर कल निर्णय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : निर्णय अवश्य दिया जायगा, यह आवश्यक नहीं कि आज ही दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कल रह गया था, इसलिए आपके समक्ष रखा गया है। कल यह कह कर रिज़र्व रखा गया था कि प्रोसिडिंग्ज़ देखने के बाद निर्णय दिया जायगा। अब तो प्रोसिडिंग्ज़ देख ली होंगी।

श्री अध्यक्ष : समय आयेगा, उचित होगा उस समय निर्णय दे दिया जायगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इन्टरप्रिटेशन ऑफ रूल्स के सम्बन्ध में है। अगर इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही में....

Page No.31

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Point of order, Sir, under Rule 295 cannot raise this question. For the question, which the Hon'ble Member is raising, he should first give in writing to the Secretary. Only then it can come before the House. He cannot bring it orally before the House.

(१२. २५. म० प०)

अशासकीय कार्य

राजस्थान मेर्टनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९६२

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मेर्टनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९६२।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित)

राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट बिल, १९६२

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित)

राजस्थान रिलीफ साहाय्य प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, १९६२

(विचारार्थ प्रस्ताव अस्वीकृत)

श्री कुमारानन्द ! राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज (स्पेशल प्रोविजन्स) अमेंडमेंट बिल, १९६२।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष, मेरे नाम पर एक बिल है और एक प्रस्ताव है। बिल के लिये दो घंटा समय है और प्रस्ताव के लिये ३ घंटा। अगर आप आज्ञा दें तो पहले प्रस्ताव को पेश कर दूं फिर बिल को पेश करूं। मैं पहले प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो पहले प्रस्ताव पर बोल लें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कार्य-सूची में क्रमशः दिया हुआ है कि पहले यह होगा बाद में यह होगा, उसी के अनुसार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही माननीय सदस्यों के नाम से कन्सीडर करने के लिये निर्धारित हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बिल में अमेंडमेंट का बिल लाये हैं तो जिस तरह से बिल कायदे से होता है उस तरह कायदे से यह होगा और रिज़ोल्यूशन जनरल तरीके से होगा। इसलिये बिल को डिस्पोज ऑफ करके ही रिज़ोल्यूशन को लिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, एजेण्डा के अनुसार तो पहले बिल ही लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आज बिल को पेश करना नहीं चाहते हों और प्रस्ताव पेश करना चाहते हों तो ऐसा करलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (फलौदी) : माननीय सदस्य इस बिल को विथड्रॉ कर लें, अगर नहीं चाहते हैं तो।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री रामकिशन (वैर) : कुछ निर्णय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिल पेश कर रहे हैं ?

श्री कुमारानन्द : जैसा आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पेश कर दीजिये।

श्री कुमारानन्द : राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्स (स्पेशल प्रोविजन्स) अमेंडमेंट बिल, १९६२।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बिल जो आया है वह सर्कुलेट नहीं हुआ है।

श्री कुमारानन्द : मैं यह मूव करता हूं कि इस बिल को अन्डर कन्सीडरेशन लिया जाय।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं?

श्री कुमारानन्द : बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : तो बोलिये।

श्री कुमारानन्द : ऐसा है कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत हुई, यह मैं बताना चाहता हूं। पहले राजस्थान सरकार ने ब्यावर के एडवर्ड मिल को अपने हाथ में लिया था, चलाने के लिए। एडवर्ड मिल की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी; उसमें भ्रष्टाचार था, इसलिये राजस्थान सरकार ने उसे चलाने के लिये अपने हाथ में लिया। भारत सरकार का १९५१ का नोटिफिकेशन है, उसमें यह है कि किसी भी संस्था को अपने हाथ में लेकर चला सकते हैं, मिल को सुधारने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए, कोई मिल हो, कारखाना हो, कोई अन्डरटेकिंग हो उसको सरकार लेकर चला सकती है। पर भारत सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं जिससे मजदूरों पर आघात हो, ऐसी कोई बात भारत सरकार के नोटिफिकेशन में नहीं है। पर हमारी राजस्थान सरकार ने उसको हाथ में ले लिया है तो मजदूरों के जो असली राइट्स हैं उन पर सरकार ने कुठाराघात किया है। मजदूरों के जितने राइट्स हैं इन्डस्ट्रियल एम्प्लोयमेंट स्टेन्डिग आॅर्डर एक्ट लागू नहीं, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वहां लागू नहीं, मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं, शोप्स एन्ड काॅमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट वहां लागू नहीं होता। मजदूरों को जितने अधिकार हैं सब पर कुठाराघात करके फिर इसको लेना, यह हमारी सरकार की मंशा है। इस बिल में अमेंडमेंट करने के लिए मैंने इसे रखा है, क्योंकि ब्यावर का एडवर्ड मिल सरकार ने हाथ में लिया, भीलवाड़ा का टैक्सटाइल मिल भी सरकार के हाथ में है।

ब्यावर का एड्वर्ड मिल सरकार ने हाथ में लिया तो सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया कि मजदूर न इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और जितने मजदूरों के कानून हैं, हक हैं वे सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। सरकार ने सारे कानून अपने हाथ में ले लिये हैं और मजदूरों के हकों पर कुठाराघात किया है। इसलिए इस बिल की असल मंशा यह है कि :—

"The Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961 takes away the relief and benefits which accrues to a worker under the various laws. The present Bill seeks to remedy this defect.

(श्री कुमारानन्द)

It is suggested by the Bill that the relief and benefits which accrues to a worker under the following Acts be restored and made available retrospectively :—

(1) The Industrial Employees (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act 20 of 1946·).

(2) The Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14 of 1947) as amended by the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1958 (Rajasthan Act 34 of 1958).

(3) The Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948).

(4) The Rajasthan Shops & Commercial Establishments Act, 1958 (Rajasthan Act 31 of 1958),

The Bill also seeks to provide that any employee of the undertaking should be left at liberty to restore to any legal remedies which are available to him under the law of the land and his claims, relief and benefits should not be shut out in any way· "

तो यह है । मेरी अमेन्डमेन्ट लाने की मंशा यह है कि चाहे किसी मत के हों, जितने माननीय सदस्य विधान सभा में हैं, उनमें से ऐसे बहुत से माननीय सदस्य होंगे जो किसी न किसी रूप में मजदूरों से सम्बन्धित होंगे ही । चाहे वे लाल झन्डे के नीचे हों, चाहे वे दूसरे झंडे के नीचे हों और चाहे वे बगैर झंडे के हों, सभी मजदूरों से सम्बन्धित हैं । सरकार जब किसी मिल को, कारखाने को या किसी संस्था को अपने हाथ में लेती है तो सरकार को चाहिये कि जिस मिल में मालिकों की ओर से करप्शन्स हैं पहले उन पर उसको प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । मैं जानता हूं कि यदि सरकार कोई मिल, कारखाना या संस्था चलायेगी तो सरकार को कुछ न कुछ कानून लगाना पड़ेगा लेकिन जो लोग मिलों में काम करते हैं, जो मजदूर कपड़े या और चीजें पैदा करते हैं उन कारखानों में, चाहे वे लाल झंडे के नीचे हों या किसी झंडे के नीचे हो, उन सब मजदूरों के लिए यदि इस प्रकार का कानून लागू हो तो यह बड़े शर्म की बात है । आगे चल कर मैं इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोलूंगा और काफी बोलूंगा । इस बिल को लाने की मंशा यही है कि जब किसी अन्डरटेकिंग को लेते हैं, मजदूरों के जो हक हैं, कानून के अन्तर्गत जो उनको हक मिले हैं उन पर कुठाराघात होता है, वह न हो । मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करके और मजदूरों का दमन करके जो मिलें चलाते हैं और बताते हैं कि काफी मुनाफा कमा लिया; उसी एडवर्ड मिल की हालत इतनी खराब है, वह मैं आपको जब प्रस्ताव पर बोलूंगा तो बताऊंगा । बहुत से लेटर्स मेरे पास हैं, उनसे मालूम होगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार मिलों और कारखानों में पनप रहा है और सरकार जानते हुए भी चुप रहती है । ज्यादा न कहते हुए मैं यह अमेन्डमेन्ट बिल आपके सामने पेश करता हूं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है: "That the Bill be circulated for eliciting Public opinion"]

(श्री भीमसेन)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) अमेन्डमेन्ट बिल, १९६२ प्रस्तुत किया है; उसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि चूंकि मौजूदा जो कानून है उसके अन्तर्गत मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होता है और उससे मजदूरों के हकों पर असर पड़ता है इसलिए इस कानून में संशोधन की आवश्यकता उन्होंने बतायी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट है यह एक एमर्जेन्सी प्रोविज़न है और उसी हालत में यह काम में आता है जब कि किसी इन्डस्ट्री में एमर्जेन्सी हो, इस प्रकार की कोई इन्डस्ट्री हो जिसमें किसी प्रकार की एमर्जेन्सी खड़ी हो गई हो, जैसे वहां मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होता हो, उस इन्डस्ट्री में कोई अव्यवस्था हो तो ऐसी सूरत में उसके लिए इस कानून को वहां लागू किया जाता है। अब हमें यह देखना है कि यह कानून कब बनाया गया था और किस हालत में बनाया गया था। यह कानून उस समय बनाया गया था जब कि स्टेट की बड़ी बड़ी टैक्स्टाइल इन्डस्ट्रीज़ की बड़ी दयनीय हालत थी, जहां मजदूरों को ठीक समय पर वेतन नहीं मिलता था और उनके वेजेज़ पूरे नहीं मिलते थे। इस प्रकार की शिकायतें आती थीं कि मेनेजमेंन्ट अच्छा नहीं था, सरकार द्वारा उनको लाखों रुपयों का लोन दिया हुआ था। और भी किसी तरह की गारन्टी दी हुई थी उससे सरकार को भी नुकसान होता था, सरकार की उनकी वजह से इकोनोमिक कन्डीशन्स पर भी फर्क पड़ता था, इसलिए सरकार ने यह वाजिब समझा कि इस तरह की इन्डस्ट्री को जिनमें मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होता हो, इकोनोमिक कन्डीशन जिनकी अच्छी न हो और जहां अव्यवस्था हो, तो उन इन्डस्ट्रीज़ को वह अपने हाथ में लेकर उनकी हालत को ठीक कर सके। मजदूर जो बेकार हो गये थे उनमें बेकारी को दूर करने के लिए और उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ने यह कानून बनाना वाजिब समझा और सरकार ने विधान सभा से पारित कराया। विधान सभा ने इस प्रकार के कानून को पारित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इससे मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होता है, मैं उनके इस विचार से मतभेद रखता हूं। एडवर्ड मिल ब्यावर और टैक्सटाइस मिल भीलवाड़ा के बारे में जब उनको अन्डरटेक किया गया तो बहुत शिकायतें आयी थीं कि मजदूरों...

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आज भी बहुत शिकायतें हैं।

श्री भीमसेन : ...को समय पर पेमेन्ट नहीं मिलता है, अव्यवस्था है और दूसरी शिकायतें थीं; इसलिए सरकार ने ये मेज़र्स उठाये थे।

दूसरा माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट है, शिड्यूल में जो कानून बताए गये हैं वे ओटोमेटिकली फोर्स में आ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट का क्लॉज ४ है उसमें साफ तौर पर बताया गया है

(श्री भीमसेन)

कि सरकार किसी कानून से एग्ज़ेम्प्ट करने के लिए अलग नोटिफिकेशन निकालती है। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स और एडवर्ड मिल्स के लिए जब केन्द्रीय सरकार ने कन्ट्रोलर नियुक्त करके मैनेजमेन्ट अपने हाथ में लिया तो उसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से इस स्पेशल अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट के अन्तर्गत कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मिनिमम वेजेज़ एक्ट का जहां तक सम्बन्ध है जैसा कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के क्लॉज़ ९ (बी) है उसके अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार है कि उन एक्ट्स के तहत में अगर सरकार वाजिब समझती है मजदूरों और अन्डरटेकिंग्ज़ के लिए कि उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जाय तो सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है और रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ का इसमें असर नहीं पड़ता है। तो राजस्थान सरकार ने एडवर्ड मिल के लिए कहा कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक साल के लिए लागू नहीं होगा। जो माननीय सदस्य कहते हैं कि मजदूरों के हकों पर बहुत कुठाराघात होता है मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि यह जो रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट है वह मजदूरों के हित में है। अगर सरकार इन्डस्ट्री को नहीं चलाती, टेक-ओवर नहीं करती तो हजारों मजदूर बेकार होते और उनको एम्प्लॉयमेन्ट नहीं मिलता। यह मजदूरों के हित में है। सरकार ने मजदूरों को बेकारी से बचाया है, इन्डस्ट्री को बचाया है और सरकार ने अपनी इकोनोमी को भी बचाया है। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स की जहां तक मुझे जानकारी है वहां दो लाख रुपया सरकार के मेनेजमेन्ट में आने के बाद मजदूरों को बोनस के रूप में दिया गया है। जहां यह मिल घाटे में चलता था, मजदूरों को नुक्सान होता था, सरकार के टेक-ओवर करने के बाद सरकार ने मजदूरों को दो लाख रुपया बांटा है।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह बिल पेश किया है और कहा है कि इस शिड्यूल को अलग हटा दें। यदि इस शिड्यूल को अलग हटा दें तो यह एक्ट ही बेकार हो जाता है और जो मजदूरों को रिलीफ पहुंचाने की मंशा है वह पूरी नहीं होती है। मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे चाहें जिस तरह से इसको कर दिया जाय तो मजदूरों का हित होने के बजाय उनका अहित हो जायेगा। सरकार की ड्यूटी है मजदूरों के हित सुरक्षित रखना। मजदूरों का हर वक्त सरकार ध्यान रखती आई है। इस तरह से ये जो स्पेशल प्रोविजन्स हैं वे एमर्जेन्सी में काम में लाने के लिये यह हमारे इन्डस्ट्रीज़ के हित में, मजदूरों के हित में वाजिब हैं। इसलिये एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं वे वैसे के वैसे रहें। इसके लिये जो अमेन्डिंग बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : संशोधन इस प्रकार है: ["That the Bill be circulated for eliciting public opinion"] माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रिलीफ प्रतिष्ठान अमेन्डमेन्ट बिल है उसके सम्बन्ध में मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी रखे । इसमें मेरा मक़सद यह है कि यह जो अमेन्डमेन्ट है इस अमेन्डमेन्ट के बावजूद भी आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उनका निवारण किस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों बातें सामने आ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अभी लूणकरणसर से आने वाले महानुभाव ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों की रक्षा के लिये, उनके हकों की रक्षा करता है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों में ये अधिकार सरकार ने अपने कब्जे में लिये और लेने के बाद में किन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह कार्य शुरू किया जिससे लाभ पहुंचा या नहीं । इससे पहले भी जो परिस्थितियाँ पैदा की गई मालिकों की तरफ से पैदा की गई और उसके बाद सरकार के पास मिल के आने के बावजूद मिल की हालत खराब होती चली जा रही है और मिल मालिकों की जिस प्रकार की प्रवृत्ति चली है जो रेश्नेलाइज करना चाहते हैं अपने जरिये नहीं, सरकार के जरिये तो मजदूरों को सन्देह होता है, उनके सामने एक समस्या आती है कि किन परिस्थितियों में सरकार ने ये मिल अपने हाथ में लिये, उनको चलाने का काम भी अपने हाथ में लिया; तो यह स्वाभाविक है कि स्पीनिंग में जहां दो मजदूर काम करते थे उसकी जगह एक मजदूर से उतना काम लिया । जिस वीविंग डिपार्टमेन्ट में दो सांचों पर एक मजदूर काम करता था अब चार सांचों पर एक मजदूर काम करता है । कहने का मतलब यह है कि वर्क का लोड ज्यादा बढ़ा दिया और वेतन कम कर दिया गया, तो स्वाभाविक है कि मिल प्रोफिट में चलते हैं । उस मिल को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद मुनाफा हो रहा है । एक मुनाफा तो वह होता है जिसमें नियमों के अन्तर्गत हर मिल के मजदूर को मिलता है । आप शोषण करके जहां चार मजदूरों का काम है वहाँ एक मजदूर से ले लें उसके बाद में मुनाफा बतला दें कि इतना मुनाफा हुआ है तो यह मुनाफा नहीं है । यह एक प्रकार से शोषण की व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था नहीं । सरकार कहती है कि हमने लाख रुपये का मुनाफा कर दिया, लेकिन इसको जब देखते हैं तो हमें यह देखना होगा कि पहले जो हालत मजदूरों की थी उसमें क्या तरक्की हुई है ? यह सोचने की बात है ।

अभी कहा गया, दो लाख का बोनस दिया गया । सरकार के हाथ में आने के बाद में १२ लाख का मुनाफा हुआ, १६६१-६२ में दो लाख दिया लेकिन उसके साथ साथ इन ६ महीने पहले ६ लाख का मुनाफा था, उस मुनाफे पर बोनस नहीं दिया गया । इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

तरह से ६ लाख आपने रख लिये। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की बात है।

एडवर्ड मिल ब्यावर को सरकार ने अपने हाथ में लिया, वह लेकर के कानून के अन्तर्गत जिसका फायदा सरकार को मिलना चाहिये वह सरकार को न मिल करके व्यक्तिगत हैसियत से एक व्यक्ति को सौंप दिया गया, रामेश्वर टांटिया को सौंपा। उनको सौंपने के बाद में सरकार ने कानून बनाया था, इसलिये सरकार को जहाँ लाखों का लाभ है उस लाभ में से मजदूरों को दिया जाय। लेकिन वह नहीं दे करके यह व्यक्तिगत मुनाफे के लिये सौंप दिया गया। इस तरह से मजदूरों का शोषण वहां चलता रहा और फायदा व्यक्तिगत मिलता रहा। ये दोनों परिस्थितियां चालू एक मिल के अन्दर हैं। एक समय था जब कि उन परिस्थितियों के लिये सरकार जिम्मेदार थी। आज जो परिस्थितियां बनी हैं, आप देख लीजिये मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स जहां १२ लाख का मुनाफा बताया गया उसके बाद फिर मुनाफा बताया गया। मालूम है इन ६ महीनों में सिर्फ पच्चीस हजार का ही मुनाफा बताया जाता है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। जिस कानून को हम लागू करना चाहते हैं जिस कानून में हम परिवर्तन करना चाहते हैं उस कानून के जरिये यह हुआ कि मजदूरों के लिये जो स्टैंडिंग आर्डर्स थे वे लागू नहीं हुए। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था जिसके जरिये अन्याय के खिलाफ न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचने की छूट थी और जिस मिल में काम करें वहां मिनीमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं किया गया, शोप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट को हटा दिया गया। ये बुनियादी हक जो मजदूरों को हैं जो उनको मिलने चाहिए थे उससे उनको वंचित कर दिया गया।

अभी जो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की हालत जिस तेजी से बिगड़ रही है उसका जिम्मेवार कौन है? उस मिल के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रबन्ध हो गया है कि सरकार के अपने हाथ में कब्जा करने के बाद में मालिक क्या सरकार; क्या मिल को राजनैतिक दृष्टिकोण से चलाना प्रारम्भ कर दिया है। राजनैतिक दृष्टिकोण इस तरह से कि वहां दूसरी यूनियन के मजदूरों को; जैसे हिन्द मजदूर यूनियन को मान्यता न देकर के केवल इन्टक की यूनियन को ही मान्यता दी है। इससे हुआ क्या है, वहां जो अन्य यूनियन के मजदूर हैं उनको तंग किया जाता है। इसका नतीजा यह भी हुआ कि जहां सरकार को मिल मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिये वह न होकरके वहां का काम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है कि दूसरी यूनियन के जो मजदूर थे उनकी अनेकों की छंटनी कर दी गई है। जो इन्टक के मेम्बर नहीं हैं उनको गैरकानूनी तरीके से, कानून तो वहां कोई लागू नहीं; मनमानी तरीके से निकाला गया है। मैं इसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रमाण रखना चाहता हूं। लक्ष्मीनारायण जो पहले इस यूनियन का सेक्रेटरी था, जो रेलिंग डिपार्टमेन्ट में काम कर रहा है उसका काम अच्छा था, उसकी १६ साल के लगभग सर्विस थी, जो हिन्द मजदूर यूनियन के साथ में काम करता था, उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद में उसने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। आखिर फैसला यह हुआ कि इन मजदूरों को गलत तरीके से निकाला गया है, उनको रखा जाय। वहाँ पर क्या होता है कि उनमें से चार मजदूरों ने जो गवाही दी थी; भगवानदास, घनश्याम आदि, चारों को भी वहां से निकाल दिया गया। फैसला यह हुआ कि इनको वापिस रख लिया जाय। वहां पर न रख कर सरकार ने हुक्म दिया, उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"दी मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा,
तारीख २८-६-६२

श्री भगवान आत्मज श्री लालचन्द,
रोलर, दूसरी पाली, भीलवाड़ा।

आपको सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ जो इन्क्वायरी वजह जाहिर करने के नोटिस दिनांक १७-५-६२ के सिलसिले में दी गई थी उसमें मैनेजमेन्ट ने आपको तारीख ६-६-६२ को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन चन्द कानूनी नुक्स के सबब से हुक्म तारीख ६-६-६२ को माननीय इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने मिल की इजाजती बर्खास्त पर तारीख २५-६-६२ को खारिज फरमा दिया था। अब आपको यह नया नोटिस दिया जाता है और तारीख २६-६-६२ तक आपको नौकरी पर माना जावेगा।"

और इसके बाद में कहा जाता है १७-५-६२ को कि इन्क्वायरी में आप दोषी पाये गये; इसलिये मैनेजमेन्ट तुम्हें बर्खास्त करता है। यह है तरीका जो आज लेबर के साथ बरता जाता है! एक तरफ बहाल करने का हुक्म देते हैं और छः दिन बाद फिर बर्खास्त कर देते हैं। आप न्यायालय के फैसले को भी किस तरह से मान्य करते हैं और कानून का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इसका भी यह एक नमूना है।

इन्टक के अलावा दूसरी यूनियन में काम करने वाले मजदूरों को हटाया जाता है। १२-१६ साल के कर्मचारियों तक को हटा रहे हैं। भगवानदास ने गवाही दी, इसलिये हटाया गया।

श्रीमाली साहब वहां आये थे। भगवान दास ने उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की और अपनी आप-बीती बताई तो वे कहते हैं, इस झंझट में क्यों पड़ते हो, इन्टक में चले जाओ। एक मंत्री ने साधारण मजदूर से यह कहा। तो इससे साफ जाहिर है कि किस प्रकार का दृष्टिकोण मजदूरों के बारे में नीचे से ऊपर तक चलता है।

ये चन्दा भी किस तरह से वसूल करते हैं! दूसरों को चन्दा वसूल करने की पर्मीशन मिल प्रेमिसेज़ में नहीं, पर इन्टक के आदमी को केशियर के पास बिठाया जाता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है और कहा जाता है कि इस इन्टक को पैसा दो, नहीं तो तेरे को निकाल दिया जावेगा। नहीं देता तो हाथ से छीन कर ले लिया जाता है। आपके मजदूरों के हित के कानूनों का इस तरह से पालन होता है! आज मजदूरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है? जो इन्टक के खिलाफ काम करता है उसे बेरहमी से निकाल दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक दृष्टिकोण हर सरकारी विभाग में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका पॉवर हाउस हो, चाहे दूसरा कोई विभाग हो। बीकानेर के पॉवर हाउस के दो व्यक्तियों को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने इन्टक के खिलाफ काम किया। निकाला नहीं, ट्रान्सफर किया गया अलवर और जोधपुर। सरकार खुद कहती है छोटे कर्मचारियों को जिनको ६०-८० रुपया मिलता है उनका उनके जिले से बाहर ट्रान्सफर न किया जावे। पर वे प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी थे अपनी यूनियन के, इसलिये उनको अलवर और जोधपुर भेज दिया और वह भी किस आदमी के आदेश पर? यहां से सुना, कि माननीय मन्त्री ने ट्रान्सफर के आदेश दिये। इन्टक वालों का आग्रह था कि अगर उनको नहीं हटाओगे तो हमारी यूनियन काम नहीं कर सकती।

इसी प्रकार बीकानेर पॉवर हाउस में १५० आदमियों को प्रोमोशन फैसले के अनुसार देना था। इंजीनियर ने हुक्म दे दिया इसको देने के लिये। पर इन्टक के लोग मन्त्री महोदय के पास पहुंचे। मैंने जहां तक सुना, वे पी० डब्ल्यू० डी०, बिजली मन्त्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह फैसला नहीं बदला तो हमारी यूनियन टूट जावेगी। प्रोमोशन रोकने के आदेश यहां से दिये गये। आखिर यह क्या है? आप आखिर क्या यह समझते हैं कि आप मजदूरों को कुचल कर और उनके साथ अन्याय करके, मनमाने तरीकों से ट्रान्सफर करके, उनको परेशान करके, उनके प्रोमोशन्स रोक कर किसी मजदूर को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं? हो सकता है, मजदूर परेशान होकर आपकी यूनियन में तो आ जावेगा, पर आपका किसी हालत में हितैषी वह नहीं होगा। दुर्भावनाएं आपके प्रति उनके मनों में पैदा हो जावेंगी। आप जिस मकसद को लेकर, जिस समाजवाद के सिद्धांत को लेकर संगठन करना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे तरीकों से। जुल्म के जरिये किसी संगठन को आप नहीं चला सकते। आपको यह दृष्टिकोण बदलना चाहिये। आपके जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज हैं उनमें परिवर्तन आना चाहिए।

मैं सिलेक्ट कमेटी में रखने के साथ-साथ यह भी सुझाव दूंगा कि आज जो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल आपको मिले, ठीक है, हालत उनकी खराब थी इसलिये आपके हाथ में कानून के जरिये ये मिलें आ गयीं। आपने कानून का नाम लेकर सुविधाएं मजदूरों की छीनीं। हालत उनकी ठीक की। भीलवाड़ा मिल में पहली साल १२ लाख का मुनाफा आपने कमाया। आज भले ही वह कम होता जा रहा है, नफे में चलने से कल समय आ सकता है जब आपको ये कानून की बन्दिशें हटानी पड़ जायं और हटाने के बाद मिल वापिस उनको सौंप देनी पड़े या सरकार के भी पास रहें तो इसके बाद में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू हो सकता है और मिनिमम वेजेज़ एक्ट के मातहत झगड़े हो सकते हैं.......

श्री चन्दनमल बैंद (उप-मंत्री, उद्योग): मिनिमम वेजेज़ एक्ट मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स पर लागू है क्या ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपका काम नहीं पड़ा इनसे ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं यह कह रहा हूं कि आगे जाकर हालत बहुत खराब हो जावे और आप कहने लगें कि अब हम तो ३०) रु० महीना ही देंगे और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो लागू है नहीं, इसलिये आगे चलकर आप यह भी कह सकते हैं कि हम तो २०) रु० महीना ही देंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इसका सम्बन्ध श्रम विभाग से है और श्रम विभाग के मंत्री और उप-मंत्री भी विधान सभा में उपस्थित नहीं हैं । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे श्रम मन्त्रीजी को या उप-मंत्री जी को सदन में उपस्थित रहने का आदेश दें।

श्री चन्दनमल बैंद : इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से इसका सम्बन्ध है और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्ट-मेन्ट के मिनिस्टर और डिप्टी-मिनिस्टर दोनों सदन में उपस्थित हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेबर आपका विभाग नहीं है । लेबर के सम्बन्ध में जब बहस चल रही है तो उसका जवाब वे ही दे सकेंगे, उनको ही इसकी जानकारी है तो या तो लेबर मिनिस्टर या डिप्टी लेबर मिनिस्टर का सदन में रहना जरूरी है । उन्हें बुलाया जाना चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैंद : राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रोवीज़न्स) एक्ट का सम्बन्ध इन्डस्ट्री मिनिस्टर से ही है, वहीं से इन्ट्रोड्यूस हुआ और पारित हुआ; इसलिये यह इससे ही सम्बन्धित है और वे दोनों सदन में उपस्थित हैं ।

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : अगर लेबर मिनिस्टर होंगे तो वे लेबर के हितों की ठीक से रक्षा कर सकेंगे, इसलिए उनको यहां रह कर बहस सुनना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सरकार जिस किसी को भी चाहे अधिकार दे सकती है । इसके लिये केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है, इसलिये माननीय सदस्य अगर संक्षेप में ही कहें तो ठीक होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर मिनिमम वेजेज़ एक्ट के लिये लोग कहेंगे तो आप कहेंगे यह भी नहीं मिलेगा तो इन परि-स्थितियों के निवारणार्थ कुछ होना चाहिये, इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप ये सुविधाएं जो मजदूरों के हित में हैं, उनको अवश्य दें जब तक कि मिल आपके अधिकार में है । नन्दाजी कहते हैं कि हमारी नीति यह है कि हम यह करना चाहते हैं कि किसी भी उद्योग के अन्तर्गत जो भी उसके अन्दर काम करने वाले मजदूर हैं उनका हाथ उस उद्योग की देख-रेख में, उसके मुनाफे में, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में, उसके मैनेजमेन्ट में, उसके लाभ और हानि में रहे, उनके प्रतिनिधि हर जगह बैठें और सब देखें । तो इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आपके हाथ में आये हुए दोनों मिल्स मुनाफे में आज चल रहे हैं तो ऐसी हालत में उन मजदूरों के जो मौलिक

(श्री मुरलीधर व्यास)

अधिकार हैं वे आप उनको लौटा दें, एमर्जेन्सी और घाटे के नाम पर आप उनके अधिकारों का हनन न करें। अगर मुनाफे में चलने के बाद भी आप इन्कार करते हैं और इस कानून के अन्दर से यह रोक नहीं हटाना चाहते तो मैं तो यही कहूंगा कि आप समाजवाद के नाम पर, समाजवाद की आड़ में शोषण को प्रश्रय देना चाहते हैं।

(१ म० प०)

इसलिए इसको तो हटाना चाहिए और इसको हटा करके आगे की व्यवस्था के लिए जिसके लिए आप बारबार कहेंगे कि क्या होगी तो उसके लिए इलाज यह है कि जो मजदूर संगठन है, उसके जो प्रतिनिधि हैं उसको अपने संचालन के अन्दर लें। वे उसके मुनाफे और लाभ की देखरेख में रहें, वे उसके निरीक्षण में रहें और वे हर प्रकार से इसकी जांच कर सकें। तमाम मिलों का संचालन किस प्रकार से होता है उनको नुक्सान होता है तो वह खुद देखें कि नुक्सान कैसे हुआ है, नुक्सान होने के क्या कारण हैं? यदि उनको फायदा होता है तो वे कह सकते हैं कि हमको बोनस दो, हमारी मेहनत से फायदा हुआ है।

तो जैसा कि नन्दाजी कहते हैं कि किसी भी उद्योग के अन्दर काम करने वाले लोगों की देखरेख में हो और वह इस तरीके से हो जाये कि उनको सारी चीजें मालूम रहें। जिस प्रकार से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की ओर से ऑडिट विभाग होता है उसी प्रकार से लेबर की तरफ से भी ऑडिट विभाग हो जी कि यह मालूम करे कि मिलों में नुक्सान किन कारणों से होता है। रुई खरीदना है, बाहर जाते हैं, मालिकों से मिल जाते हैं और बीच में कमीशन खा लेते हैं और रुई ठीक भाव से नहीं खरीदी जाती। इसलिए क्या होता है कि नुक्सान होता है। मजदूर तो ज्यादा काम करेंगे क्योंकि उन्हें तो पता नहीं कि गड़बड़ कहां होती है? इसलिए हम यह चाहते हैं मजदूरों की सारी देखरेख के अन्दर हो। जो यह बिल लाया गया है, उसके अन्दर संशोधन के जरिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें यह परिवर्तन कर दिया जाये ताकि मजदूरों के हक मिल जायें और उनकी देखरेख में ही सारे काम चलें। तो मैं समझता हूं कि यह जो कानून की धारा जिसको हम हटाना चाहते हैं यदि वह हटा दी गई तो वास्तव में मजदूरों को लाभ होगा। इसलिए हमें इन सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। यह बहुत अहम मसला है इसलिए दो दिन बैठकर, तीन दिन बैठकर कर लें और फिर प्रवर समिति में डिस्कस कर लें, तभी इस बिल का लाभ होगा। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है।,

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह विधेयक पहली बार सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय भी जिस प्रकार का विरोध इस विधेयक का सदन में किया गया उससे स्पष्ट जाहिर होता था कि आज राजस्थान के मजदूरों के हित में इस प्रकार

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

के विधेयक की आवश्यकता नहीं है। उस समय चुनावों का समय था और सरकार इस बिल के द्वारा कुछ ऐसे अधिकार अपने हाथों में लेना चाहती थी जिनका कि राजनैतिक दृष्टिकोण से लाभ उठाया जा सके। वह किस प्रकार से लाभ उठाया गया, उसका जिक्र जिस समय श्राम मजदूर नीति के ऊपर बहस होगी, मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब प्रश्न यह आता है कि आज यह विधेयक जो हमने एक श्रम नीति अख्तियार की है उस नीति के अनुरूप है या नहीं ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो श्रमिकों के विषय में नीति अख्तियार की है, जिसमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश का प्रोडक्शन यदि हमें बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार श्रमिक हैं उनके हितों की रक्षा और चिंता करनी पड़ेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात को भी स्वीकार किया है कि मजदूरों के विषय में जितने भी बने हुए कानून हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं होना भी प्रोडक्शन की कमी का एक कारण है। ऐसी स्थिति में यदि हम इस कानून को देखना चाहें तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जो एक अधिकार किसी व्यक्ति का है, उस संबंध में एक डिस्क्रिमिनेशन लेकर चल रही है।

पिछले दिनों में एक बार एक मजदूरों का गिरोह जुलूस लेकर जा रहा था। इलेक्शन के दिन थे और मैं भी उन दिनों भीलवाड़ा में था। कुछ लोग 'मजदूरों एक हो जाओ'; इस प्रकार का नारा लगा रहे थे। उसके कुछ समय बाद मजदूरों से जब मिलने का मौका आया तो पूछने पर उन्होंने कहा कि आज सरकार और सरकार के द्वारा ग्रस्त जितने भी इस प्रकार के यूनियन्स हैं वे सारे यूनियन्स इस प्रकार का नारा लगाने की प्रेरणा देते हैं कि 'मजदूरों एक हो जाओ'। लेकिन मुसीबत यह है कि आज उस आन्दोलन के अन्दर हम जो मजदूर हैं यदि शामिल होते हैं तो हमारे अधिकारों के ऊपर सरकार किसी भी प्रकार विचार नहीं करती है। एक तरफ हम उन मजदूरों को इस प्रकार का अधिकार देते हैं कि मजदूरों के विषय में जितने कानून बने हुए हैं वे लाभ उठा सकते हैं और दूसरी तरफ हम कुछ मजदूरों को चाहे वह मेवाड़ टैक्सटाइल के हों, चाहे एडवर्ड मिल ब्यावर के हों लेकिन कुछ मजदूरों के साथ ऐसा मानकर चलते हैं कि यह कानून इनके ऊपर आयद नहीं होंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इस मजदूर नीति में सरकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों ? आज हमारे संविधान में किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं लिखी है, लेकिन आज आपके यहां डिस्क्रिमिनेशन का प्रमाण मिलता है। उसके बेसिस पर आप मजदूरों में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना चाहें और वह भी मजदूरों के हित में नहीं, बल्कि मजदूरों को चलाने के लिए करना चाहें तो मैं निश्चितरूप से कहूंगा कि इस नीति का जितना विरोध करना चाहें उतना करना चाहिए।

जहां तक मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का सवाल है मैं अध्यक्ष महोदय, डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वहां मजदूरों की किस प्रकार की स्थिति है। पहले मजदूर मालिकों

(श्री भैरोंसिंह)

से लड़ते थे, परन्तु आज सरकारी मशीनरी द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को आपस में किस प्रकार से लड़ाया जाये। फैक्ट्री मैनेजर जनरल मैनेजर को पिटवाता है और जनरल मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर को पिटवाता है। मजदूरों के अनेक ग्रुप्स बने हुए हैं, गाली-गुप्ता हमेशा चलती रहती है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, स्टेबिलिटि ऑफ सर्विस नहीं है। तो जहां ये चीजें हों वहां मजदूरों से उपेक्षा नहीं रख सकते कि वे प्रोडक्शन के अन्दर मदद पहुंचायेंगे। मैं उन सारे आंकड़ों को जो कि सरकार के पास भी आये हैं, सरकार के पास भी समय समय पर मजदूर यूनियन्स ने सूचना भेजी हैं, वे हमारे पास भी हैं। लेकिन उन सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल कर चलें कि वहां प्रोडक्शन बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है तो यह न्यायोचित दृष्टिकोण नहीं है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि हमने हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कुछ लेबर लॉज़ लागू किये हैं तो सरकार को अधिकार नहीं है कि उन लॉज़ से जो मजदूरों को राहत मिलती है उससे उनको महरूम रखे। अब सरकार यह कहे कि एडवर्ड मिल के अन्दर जब कि वह कन्ट्रोलर के अधिकार में है, लाभ हुवा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार अपनी ईमान-दारी सदन में प्रकट करना चाहे तो वह बताये कि इस वर्ष में इतना मुनाफा हुआ है और उसके आधार पर मजदूरों को इतना बोनस मिला है। वह बोनस की मांग न कर सकें, इसलिए आपने कोई मुनाफा नहीं दिखाया। एक खाते से दूसरे खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाये ऐसी हालत में कुछ नहीं कर सकते। तो मजदूर आखिर किसको कहने के लिए जायें? रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ के अन्दर किसी मजदूर का मामला आता है तो लेबर डिपार्टमेंट उसको सोल्व नहीं करता बल्कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट करता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह फण्डामेन्टली रोंग है। लेबर मिनिस्टर लेबरर्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन बदकिस्मती से यदि इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर को लेबर मिनिस्टर का काम दे दिया जाय तो वह दोनों में एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देते हैं और जहां तक इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के प्रभाव में रहेंगे वे मजदूरों का अहित करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रभाव में आते हुए मजदूरों के प्रभाव में कहीं आने वाले हैं नहीं। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ के जरिये आपने दोनों मिलों को अपने अधिकार में लिया उस संबंध में अब आपकी आगे क्या मन्शा है? यह सही है कि सरकार यह कह कर चले कि जिस समय किसी मिल में अव्यवस्था हो, प्रोडक्शन गिरता जाय उस समय सरकार उसे अपने कन्ट्रोल में लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और एक तरफ नई दिशा रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ में; तो इन दिनों में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ इन तीनों के संबंध में सरकार की नीति देखें तो तीनों में आपको मतभेद मालूम होगा। सरकार के जितने भी अण्डर-टेकिंग्ज़ हैं वहां मजदूरों की हालत पब्लिक सेक्टर में देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें और रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ को देखें, जितने भी मजदूर हैं, तीनों के मजदूरों में आपको अन्तर

(श्री भैरोंसिंह)

नजर आयेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार की श्रम-नीति श्रमिकों में भेदभाव डालने की क्यों है? प्राइवेट सेक्टर में जैसे कानून लगे हुए हैं वही पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं लागू होते और दोनों के बीच में रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ आ जाता है वहां वह कानून बिल्कुल ही लागू नहीं होते। इस प्रकार की मजदूरों में तीन श्रेणियां बनाकर चलें तो यह सम्भव नहीं है। बल्कि इसके विपरीत यह होना चाहिए कि सरकार एक आदर्श स्थापित करे, एक आदर्श एम्प्लॉयर के रूप में इस प्रकार की स्थिति पैदा करे कि उसकी नकल करके बाकी के जितने भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जिस प्रकार की स्थिति है उससे प्रेरणा लेकर मजदूरों के हित की चिन्ता करें। प्रेरणा रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज से ली तो प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने ली कि यदि हमारी स्थिति खराब हो जाय और मजदूरों को परेशानी हो और परेशानी के कारण मजदूर काम करना बन्द कर दें, मज़दूरों को बोनस नहीं दें, मज़दूरों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं करें, उनको मेडीकल फेसिलिटीज़ नहीं दें और किसी प्रकार की मदद नहीं करें और जितना मुनाफा आये वह घर ले जायें और इसकी वजह से मज़दूर काम नहीं करें तो सरकार को जाकर कह दें कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं इसलिए इस मिल पर कन्ट्रोल सरकार के सुपरविज़न में हो जाना चाहिए ताकि इसकी वह ठीक व्यवस्था करें।

मैं यह समझता हूं कि इस कानून की मन्शा वास्तव में मजदूरों की स्थिति सुधारने की नहीं, बल्कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की स्थिति सुधारने की है। ऐसा स्पष्ट लगता है कि मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए नहीं बल्कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ का कानून है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी में आप जाकर देखिये......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय स्पीकर, मैं समझता हूं कि बिल क्या है, वह किससे संबंध रखता है उसको निगाह में रख कर बहस की जाय, वर्ना पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और रिलीफ अन्डर-टेकिंग्ज़ के रिज़ोल्यूशन को फिर से लें। लेकिन यहां तो एक्ट में एक स्पेसिफिक एमेंड-मेंट है।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह उचित ही कहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको नहीं समझें तो...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सामान्य श्रम नीति है उसके संबंध में है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक एग्ज़ाम्पल इसलिए दी थी कि सरकार इस प्रकार के कानून इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को प्रोटेक्शन देने की गरज से बनाती है। कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट्स, सरकार से यह कहें कि मैनेजमेंट खराब हो रहा है और मैनेजमेंट खराब होने से कारण से प्रोडक्शन गिर रहा है और सरकार भी यह कहे कि मजदूरों की हालत गिर रही है, मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा है, जैसा कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल के लिए कहा गया था कि वहां मजदूरों को तनख्वाह नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

मिली । यह सारी स्थिति क्यों पैदा हुई ? इसकी अगर जांच की जाय तो मालूम होगा कि वहां पर पहले से ही लेबर लॉज को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया । इस कारण से यह स्थिति पैदा हुई । इस कारण भीलवाड़ा में उत्पादन कम हुआ और मजदूरों का संघर्ष हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि जितने भी लेबर लॉज उस समय वहां एप्लीकेबल थे उनको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया । यदि श्रम संबंधी कानून को उस समय लागू कर देते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की यह हालत जिस समय कन्ट्रोलर ने उस पर अधिकार किया, न होती । उसी प्रकार से एडवर्ड मिल के बारे में है कि वहां पर मजदूरों से संबंधित कानून बनाये गये उनको एक या दूसरे कारण से वहां पर लागू नहीं किया गया और स्थिति खराब होती गई । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसके कारणों का पता कर लें और पता कर लेने के बाद उनको रिमूव करें । वह केवल इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को नुक्सान होता हो, इसलिए नहीं लें बल्कि श्रम की हालत के आधार पर लें । मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार के कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी । जब इस प्रकार का कानून बम्बई सरकार ने पेश किया था तो कांग्रेस ने डटकर इसका विरोध किया था और जेलों में भी गये थे और उन जेलों के सर्टीफिकेट के कारण कई मंत्री बन गये । जिस सर्टीफिकेट को आपने प्राप्त किया है कम से कम उस सर्टीफिकेट की तो आप इज्जत रख लें और इस प्रकार की चेष्टा नहीं करें कि जिस एक्ट का कांग्रेस ने मुकाबला किया; विरोध किया उस कांग्रेस के सरकार में आते ही वह चीज अपने आप में वाजिब हो जाय, यह बात नहीं होनी चाहिए ।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून पूरे भारतवर्ष में नहीं है और हमारी सरकार कहीं पर जनता के विरुद्ध कानून बनता है उसकी नकल करे तो वह प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती है.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : किसकी नकल है ?

श्री भैरोंसिंह : आपने बम्बई की की है और उसी कानून की की है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपकी मौलिकता है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : उसी कानून को आप यहां लाये हैं जिसका पहले आपने विरोध किया है, तो वैसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि.....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : रिलीफ एक्ट कौनसा था ? उसका क्या नाम था ?

श्री भैरोंसिंह : यह कानून का नाम है, उसकी नकल करने में विशेष अक्ल का काम नहीं लिया गया, ऐसा मैं कह सकता हूं ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कानून जो है उसके लिए राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी यह मानकर चलें कि हमको इन्डस्ट्री की प्रोग्रेस करनी है, इन्डस्ट्री का डेवलपमेन्ट राजस्थान में जिस पृष्ठभूमि पर चल

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है, हम आशा करते हैं कि कुछ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। लेकिन श्रम के संबंध में किसी प्रकार की सिक्योरिटी की गारन्टी नहीं करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर सकता हूं कि इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि लेबरर्स के दिमाग में एक प्रकार का संतोष नहीं हो, जब तक उनको सिक्योरिटी नहीं हों। जब इस प्रकार की सिक्योरिटी को राज्य सरकार कानून के द्वारा वापिस लेना चाहती है तो मैं समझता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण मजदूर-विरोधी है और उसी दृष्टिकोण के प्रतिफल में सरकार ने इस प्रकार का कानून पेश किया है। ऐसी हालत में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है उस बिल का मैं समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि उस बिल को तुरन्त पास किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस का उत्तर तो सम्बन्धित मंत्रीजी देंगे, लेकिन मैं बीच में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि सबसे पहले इस बात को स्पष्टतौर से समझ लेने की जरूरत है कि यह कानून असल में क्यों लाया गया? भारतवर्ष में सबसे पहले महाराष्ट्र में जो उस वक्त बम्बई स्टेट थी वहां पर शोलापुर वगैरह में कुछ कारखाने ठीक नहीं चले। उसके बाद में पार्लियामेंट के कानून के अनुसार वहां पर उनको गवर्नमेंट ने टेक-ओवर किया और रिलीफ अन्डरटेकिंग के तौर पर उनको चलाया कि जिससे मजदूर बिल्कुल बेकार न हो जायं, कारखाने बन्द न हो जायं और ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय, उस स्थिति को रोकने के लिए कानून बनाया गया। राजस्थान में भी शायद यह सर्वविदित है कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल बन्द हो गया था, शायद यह भी जानकारी में होगा कि ब्यावर टैक्सटाइल मिल, एडवर्ड टैक्सटाइल मिल भी करीब करीब बन्द हो गया था। उस स्टेज पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, यदि ये उनके पास में रहते या उनके हाथ से चलाये जाते, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको टेक-ओवर करने का फैसला किया। जब गवर्नमेंट किसी कारखाने को चलाती है तो इस दृष्टिकोण से नहीं चलाती है कि उससे मुनाफा करके हमारी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में उसका एडवान्टेज होता हो या और कोई होता हो। इसको चलाने के पीछे बेसिक आइडिया जो है वह यह है कि मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे उस कारखाने की शक्ति के अनुसार।

मैं सबसे पहले जो मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा और एडवर्ड मिल ब्यावर जिनको अब गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, सिर्फ अकेला भीलवाड़े का कारखाना है, एडवर्ड मिल को रिलीज किया जा चुका है, और यह सवाल भीलवाड़े का चल रहा है। तो जो भी रिलीफ अन्डरटेकिग्ज एक्ट में स्पेशल प्रोवीजन कर रखे हैं, और जिन एक्ट को इस पर लागू नहीं होने का फैसला किया गया है सरकार ने अब तक जो भी कार्यवाही इतने अर्से में की है इस कानून के होते हुए भी इस कानून के अन्तर्गत कि हमने मजदूरों के किसी हित पर आघात नहीं किया।.....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ब्यावर में किया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :.........जो ऑलरेडी कानून है और जिस कानून के अन्तर्गत हमको ये अधिकार प्राप्त हैं उस कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जा सकती है वह उन्हीं कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की है । इस कानून के विशेष अधिकारों का उपयोग करने का अवसर नहीं आया । लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए है कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल के अन्दर जो वेज वोर्ड की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार उनकी सेलेरीज़ के अन्दर, उनकी वेजेज़ के अन्दर, कई रुपया बढ़ाने की बात थी उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि २ लाख रुपये पिछले वर्ष बोनस के तौर पर बांटे गये, पिछले वर्ष भीलवाड़ा मिल में जो बहुत कम जगह हुआ होगा बिना किसी डिस्प्यूट के आपसी फैसले से......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बोनस दिया गया ६०–६१ का......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं ।

मजदूरों के नाम पर कहना चाहते हैं, मजदूरों के हित के बारे में; जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं; रात-दिन उनमें काम करते हैं उनका अच्छा हित बने । जिन अन्डर-टेकिंग्ज़ को हमने हाथ में लिया है उससे पूर्व जब कि प्रतिबन्ध का कानून नहीं था उससे पहले जो उनको मिल रहा था या जो राहत थी, आज इस कानून से ज्यादा संतुष्ट हैं या पहले संतुष्ट ज्यादा थे इसकी जानकारी करें । मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि इसे पास करने के बाद मजदूरों के हित में जो कुछ हो सका, किया गया । लेकिन इस कानून की आवश्यकता इसलिए है, हालांकि अब तक इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यदि कल किसी कारखाने को लेना पड़े, जिस कारखाने के मजदूरों को मजदूरी देना बन्द न हो जाय, बिल्कुल बेकार न हो जाय, इससे बचने का प्रश्न आवे तो माननीय सदस्य समझते होंगे कि बिल्कुल बेकारी फैल जावे उससे ५) रु० कम देकर भी रोजगार दे सकें, जैसा कि बॉम्बे में किया गया तो ज्यादा हितकर है । तो यह कहना कि या तो पूरा लागू किया जाय या बन्द होने दिया जाय तो गवर्नमेंट पर यह रेस्पोन्सिबिलिटी डालना कि लाखों रुपयों का घाटा हो और उसकी पूर्ति गवर्नमेंट करे, मैं समझता हूं यह सदन की मन्शा नहीं हो सकती कि जो कारखाने नहीं चल सकते हैं उनको गवर्नमेंट लेकर घाटा पूरा करे । हम चाहते हैं कि रिलीफ के तौर पर जिस चीज को हाथ में लेने के लिए जिस कानून को बनाया है उसके बॉम्बे गवर्नमेंट के यहां ज्यादा कारखाने लिए गए थे, जहां के बारे में शायद यह राय नहीं हो सकती कि बॉम्बे गवर्नमेंट की लेबर पोलिसी है, वैसे लेबर पॉलिसी ऑल इन्डिया की एक है, अलग अलग स्टेट्स की नहीं होती, लेकिन वहां जो कारखाने आये हैं प्रेक्टिकल रूप से इस बात में भी हिन्दुस्तान में विशेष महत्व बॉम्बे रखता है उसको यहां एडॉप्ट किया है, थोड़े से चेन्जेज़ हैं उसमें, बाकी प्रोविज़न्स और एग्ज़ेम्पशन्स हैं उनको उसी आधार पर लिया है । मैं समझता हूं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय सदस्य इसको गम्भीरता से सोचें और राज्य सरकार की कतई मन्शा नहीं, लागू किया तब भी और अब भी कि कोई कानून के द्वारा मजदूरों के हित की बात को दबाना चाहते हैं। मैं अर्ज करूं, आप समझते होंगे कि केपिटलिस्टों को संरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी में होंगा कि जिस बोनस का प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में विरोध किया है उसके लिए गवर्नमेंट ने जोर दिया कि मजदूरों को दिया जाना चाहिये। एक अन्डरटेकिंग को हाथ में लेकर मजदूरों के हित की दृष्टि से चलावें और उनको रिहेबिलिटेट करें और यह नहीं कि पुराने तरीके का बन जाय और काम आगे नहीं चल सके।

कई बार कहा जाता है कि मजदूरों में कमी की गई, और चीजें भी सुनने में आती हैं मजदूरों के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से कोई भी मजदूरों का हित चाहने वाला चाहे इधर बैठा हो, चाहे उधर बैठा हो, यह नहीं चाहता होगा कि हमारी इन्डस्ट्री दूसरों के साथ नहीं खड़ी रहे। यह सोच कर चलें कि १००० स्पिन्डल्स पर राजस्थान में २२-२४ आदमी हों और दूसरी जगह ४-५ ही काम करें तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी इन्डस्ट्री खड़ी रह सकती है या नहीं, यह सोचना होगा। इसलिये रेशनलाइज़ करना होगा मशीनरी को देख कर। हजार स्पिडल्स पर दूसरी जगह चार-पांच आदमी काम करते हैं और हमारे यहां २०-२२ आदमी १००० पर काम करते हैं। तो वेजेज को चलाना, ठीक तौर से रिहेबिलिटेट करना, ये सब प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं; इसलिये कानून बनाया है। अब भी सरकार की यह मंशा नहीं है कि कानून के मातहत मिनिमम वेजेज़ को छोड़ दिया जाये, वेज बोर्ड की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया है। एग्ज़ेम्पशन में और दूसरी बातों में और भी जो कुछ कर सकते हैं उसको करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। जो कुछ किया है वह मजदूरों के हित के लिये किया है। आज नहीं, कल यदि ओब्जेक्टिव दृष्टिकोण से किसी कारखाने को लेना पड़े और इसके लिये कोई और कानून लावें, ऐसा नहीं चाहते। यदि कानून रहता है तो अवसर रहता है। यदि कारखाना कमजोर है तो कारखाने को कह सकते हैं, मजदूरों को रिलीफ दिला सकते हैं, इसलिये केवल रिलीफ के तौर पर अन्डरटेकिंग्ज़ लिये हैं, प्रोफिटियरिंग के लिए नहीं। इस पृष्ठ भूमि से देखेंगे तो माननीय सदस्य इसको एप्रिशियेट करेंगे कि यह कानून गला घोंटने वाला नहीं है, जैसे अभी कहा कि कानून की वजह से जेल गये, दूसरे आदमी कहां कहां पहुंच गये? यह कानून तो अब हुआ है, फैसला पहले हुआ है, उस समय जेल जाने की नौबत आई होगी। वैसे कई लोग प्रयत्न करते हैं, शायद जेल जाने से रास्ता खुलता होगा, लेकिन यह अलग बात है, उसके लिये......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अब तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। आपके मंत्रि-मंडल में कई मंत्री ऐसे हैं जो शायद कभी जेल नहीं गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक इस कानून में पॉवर्स हैं, उसके दायरे में हैं, उस दायरे के होते हुए माननीय सदस्य यदि पोइन्ट आउट कर सकें कि इस कानून की अमुक धारा के अन्तर्गत मजदूरों के फलां वाजिब हितों पर आघात किया गया तब सोचने के लिए ज्यादा अवसर मिल सकता है, बजाय इसके कि केवल भावनाओं को उभार कर हम यह कहें कि यह नहीं होना चाहिये, वह नहीं होना चाहिये। जो आवश्यक रिलीफ के लिए लोंग टर्म पोइन्ट ऑफ व्यू से बनाया गया है; इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कानून रखा गया है उसे स्वयं माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे और यदि वे वापिस नहीं लेंगे तो दूसरे लोग उसे स्वीकार नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय के बोलने के बाद मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया कि इस कानून के अन्तर्गत जो संशोधन पेश किया गया वह अत्यधिक आवश्यक है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि जिन रिलीफ अंडरटेकिंग्ज़ के तौर पर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को रिलीफ के अन्तर्गत लिया था, उसे २ लाख का बोनस डिक्लेयर करके लिया गया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रिलीफ अंडरटेकिंग्ज़ बिल या एक्ट है उसको मजदूरों के बेनिफिट के लिये बनाया है, सरकार जो जिम्मेदारी लेती है वह रिलीफ मेज़र्स के लिये लेती है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात कही कि जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसके पर्व्यू को ध्यान में रखते हुए निवेदन किया जाना चाहिये। इसलिये विशेषतौर से इसके पर्व्यू को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी का ध्यान रिलीफ अंडरटेकिंग्ज़ एक्ट के सेक्शन ४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके विलोपन के लिये संशोधन रखा गया है। सेक्शन ४ में इस बात को कहा गया है :

" Legal proceedings means any proceedings under any law, before any court, Tribunal, officer, authority or arbitrator started on a plaint, petition, application, reference or otherwise."

और यह भी कहा गया है :

"All or any of the agreements, settlements, awards or standing orders made under any law mentioned in schedule to this Act, which may be applicable to the Undertaking immediately before it was acquired or taken over by the State Government or before the issue of the notified area in respect thereof under Section 18A, shall not be applicable."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे मुख्य झगड़ा जुड़ा है वह रिलीफ अन्डर-टेकिंग बिल में सेक्शन ४ के बारे में है, जिसके तहत घोषणा की गई है कि जिस दिन रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ के तौर पर किसी उद्योग को लिया जायगा, उस दिन के पहले जितने इकरारनामे मजदूरों के साथ किये गये हैं, जितने इकरारनामे दूसरों के साथ किये गये हैं, जो सैटलमेंट हुए हैं, अवार्ड से हुए हैं कोर्ट्स से, वे सारे के सारे सैटलमेंट, एग्रीमेंट, और अवार्ड रद्द समझे जायेंगे और जब तक वह उद्योग अन्डरटेकिंग्ज़ के तौर पर सरकार

Page No.50

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के नियंत्रण में रहेगा तब तक वे सैटलमेंट, अवार्ड और एग्रीमेंट लागू नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी उद्योग की हालत खराब है और सरकार उसमें रुपया लगाकर उस उद्योग की हालत को अच्छा करना चाहती है तो जो एग्रीमेंट और इकरार उद्योगपति ने मजदूरों के साथ किये हैं, और कोर्ट्स ने मजदूरों के पक्ष में अवार्ड दिये हैं, उनको जो हक दिये हैं, तो कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि जब सरकार उस उद्योग को अपने हाथ में ले तो वे फैसले, एग्रीमेंट और सैटलमेंट रद्द कर दिये जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस धारा को लोपित करने की मांग इस नये संशोधन में की गई है, वह बिल्कुल जायज़ है और कोई वजह मुख्य मंत्रीजी ने नहीं बताई है जिसके कारण, कमजोर उद्योगपति जिन अवार्ड के तहत बाउन्ड थे, मजदूरों के साथ किये गये सैटलमेंट और एग्रीमेंट के तहत बाउन्ड थे और कोर्ट्स द्वारा किये गये फैसलों के तहत बाउन्ड थे, वे अवार्ड, सैटलमेंट और एग्रीमेंट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लागू होने चाहिएं, जब कि उस उद्योग को रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ के तौर पर लिया गया है। दूसरी दलील यह है कि जब आपके कारखानों में फायदा होता है, बारह लाख का फायदा होता है, वैसे यह अच्छा किया कि आपने दो लाख का बोनस दे दिया, लेकिन अगर न देते तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह मजदूरों को हक था (घंटी) कि वे कोर्ट में जाकर, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाकर कह सकते थे? दो लाख का बोनस उनको दिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार की कृपा पर निर्भर रहना हुआ। इसके साथ ही जब उन्हें दो लाख का बोनस देते हैं तो इसका नतीजा यह निकलता है कि यह उद्योग यहां तक पेमेन्ट करने के लायक है लेकिन अगर इसको देने से सरकार इन्कार करे तो कम से कम कानून में यह प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत मजदूर किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज़ कर सकें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस एक्ट में ऐसा प्रोवीजन इस बिल के द्वारा नहीं किया गया है, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में चार एक्ट्स को सस्पेन्ड कर दिया है, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सस्पेन्ड कर रखा है तो उसके प्रोवीज़न्स को इनवोक करने का प्रश्न नहीं उठता है जब कि दूसरे मजदूरों के लिए खुला है इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की मदद लेना। इसलिए यह मांग की गई है कि जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रॉवीज़न्स हैं, वे जो रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ हैं चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों, उन पर लागू होने चाहिए। यह दलील दी गई है कि टैक्सटाइल मिल्स में मिनिमम वेजेज़ लागू नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब लागू नहीं है और आज उसको लोपित करने की मांग करते हैं तो उसका विरोध क्यों करते हैं? राजस्थान में सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एक इन्डस्ट्री, जो रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ के तौर पर चलती है, उसके जो लेबरर्स हैं उनको इसके तहत बांधा हुआ है और वे इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत रिलीफ मांग नहीं सकते। राजस्थान में सारे मजदूर इसका फायदा लेते हैं। लेकिन मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूर

Page No.51

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसका फायदा नहीं ले सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। उस क्षेत्र का बहुत कुछ सम्बन्ध मुख्य मंत्रीजी से है जिसमें इस एक्ट के प्रोवीज़न्स लागू हैं और जहां इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सस्पेन्ड किया हुआ है और यहां तक किया हुआ है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो पुरानी कार्यवाही मजदूरों की चल रही थी, वे आगे नहीं कर पायेंगे। इसमें यह पाबन्दी लगी हुई है कि जो कार्यवाही चल रही है, वह सस्पेन्ड रहेगी जब तक कि गवर्नमेंट अपनी अन्डरटेकिंग में रहती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रावधान हैं, इनका जायज़ जस्टीफिकेशन नहीं है कि यह स्टेच्युटरी बुक में अभी भी मौजूद रहे जब कि सदन के सामने जानकारी आ चुकी है कि रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ में जो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा, को लिया गया है वह प्रोफिट में चल रही है। फिर कोई कारण नहीं है जब कि इन्डस्ट्री मुनाफे में चल रही है तो मजदूरों को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज़ न करने दें, बोनस की मांग न करने दें, सीनियोरिटी और जूनियोरिटी के पोइन्ट को रेज़ न करने दें, अपनी वेजेज़ को बढ़ाने की मांग न करने दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह अधिकार बुनियादी और मूलभूत है और जब कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना लिया है तब रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ बिल में जो अभी हिन्दुस्तान और राजस्थान में पाबन्दी लगी हुई है, यह नाजायज है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो पब्लिक सेक्टर की बॉडी है, उसमें भी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगा है। जब उसमें लगा है तो क्या वजह है कि सरकार किसी उद्योग को अपने हाथ में ले ले, अपने नियंत्रण में ले ले तो उस पर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वहां लागू नहीं हो सकता, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में यह लागू हो सकता है लेकिन रिलीफ अन्डरटेकिंग्स में लागू नहीं हो सकता ? मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उस संशोधन का इस सदन के माननीय सदस्य बिना पार्टीगत अंतर को देखते हुए, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए समर्थन करेंगे। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के जो प्रोवीज़न्स है, उन पर वे पुनः चिन्तन करें और इसे पार्टी की पॉलिसी का प्रश्न न बनायें क्योंकि यह मजदूरों का प्रश्न है। अगर इसे पार्टी की पॉलिसी के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि कुछ दिनों पहले विधान सभा में इस तरह के प्रोवीज़न्स का विरोध किया गया, संशोधन का विरोध किया, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डेढ़ साल में जो परिस्थिति आज आ गई हैं और जो तथ्य इस सदन में रखे गये हैं, उन पर पुनः चिन्तन की आवश्यकता है और जो पुरानी पॉलिसी है उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को एक स्वर से इस सभा के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन में कई वक्तव्य सुने और मुख्य मंत्रीजी ने भी एक प्रवचन इस सम्बन्ध में रखा और उन्होंने यह आदेश दिया कि जो इस बिल की मन्शा है; हम उसके अन्तर्गत ही बोलें। उनकी दलील है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वह अपने आप में स्वयं कट जाती है। ऐसी उन्होंने दलील दी। उन्होंने एक तरफ इस बात की दुहाई दी कि रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज् एक्ट जब लागू करते हैं जब कि एक संस्थान की, एक मिल की हालत कमजोर हो जाती है और जब वहां के मजदूरों की स्थिति यह होती है कि कहीं मिल बन्द होकर उनका रोजगार न चला जाय। दूसरी तरफ यह हालत है कि कितना प्रोटेक्शन देने की, कितना रिलीफ देने की और कितना इस कानून के तहत कोई कार्यवाही करने की बात सरकार करती है ? जब उनकी यह दलील है और यह दलील सच है तो मैं पूछना चाहूंगा कि आज मेवाड़ की जो टैक्सटाइल मिल है, जिसके बारे में स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की इस सदन के फ्लोर पर कि उसमें मुनाफा चल रहा है, बारह लाख रुपये का मुनाफा है, तो कोई कारण नजर नहीं आता कि मजदूरों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए कोई कदम उठाया जाय। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कानून के तहत केवल एक बात कही गई है और वह बात यह है कि पहली धारा और दूसरी धारा तो केवल औपचारिक तौर की हैं, तीसरी धारा के पहले क्लॉज में काले कानून को खत्म करने की बात कही गई है, जिसमें प्रोवीजन है कि मजदूरों के अधिकार एकदम कुचल दिये जायेंगे। मजदूरों को जो कुछ हुक्म, फर्मान दिये जायेंगे वे आखिरी होंगे। मजदूर कोई दर्ख्वास्त नहीं दे सकते, मजदूर अपील नहीं कर सकते, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, अदालत के दरवाजे पर नहीं जा सकते-चाहे मजदूरों को मारें-पीटें, मजदूर रोयें नहीं, चुपचाप रहें। मैंने जैसा कल कहा था-मारें और रोने नहीं दें, इस तरह का प्रोवीजन धारा चार में था, जिसको लोपित करने की बात धारा चार में कही गई है।

अब क्लॉज जो जोड़ा गया है उसमें कहा गया है कि मजदूर अपने हितों की रक्षा के खातिर अगर कहीं जाना चाहें, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या आदालत के दरवाजे पर जाना चाहें तो अदालत द्वारा अपने हितों की रक्षा कराने के लिए वे ऐसे आदेश प्राप्त कर सकते है, अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट सरकार के हाथ में है, सरकारी मशीनरी के हाथ में है, सरकारी तंत्र के हाथ में कंट्रोल जाता है तो वे उनके हितों की रक्षा कर लें। मैं नहीं समझता, यह कैसे उचित है ? मुझे एक कहावत याद आती है, "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" ! फिर राजस्थान सरकार एक समाजवादी सरकार होने का ढकोशला क्यों रचती है, मेरी समझ में नहीं आता। कहीं अबाड़ी के सेशन में स्वीकृति हुए समाजवादी समाज के ढांचे को तो आज इस तौर पर हिन्दुस्तान और राजस्थान सरकार देश में बनाना नहीं चाहती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार की यह मजदूरों सम्बन्धी नीति है ? मुझे याद है कि मैक्योवेली, इंग्लैंड के विलेन ने कहा था, "प्रीच मोरेलिटी"। उस वक्त उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आज आ रही है। उस विलेन ने जो........

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): अभी कसर होगी ?

श्री रामकिशन (वैर) : साल, दो साल में पूरी समझा देंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं कह रहा था......

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : लाल टोपी से आई दीखे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : १९ वीं सदी में उस Macavali ने यह बात कही थी :

"You preach morality, but you are not bound by it."

आप दुनिया में स्वार्थ की दुहाई दीजिये । आदर्श की बातें कहते रहिये, परन्तु आप आदर्श से बने नहीं है । वह बात वह उस समय कह गया । हम उसको " ब्लेम " की उपाधि देते हैं कि वह उसका प्लान था । मगर मैं यह कहूंगा कि आज की सरकार के बारे में क्या संज्ञा दी जावेगी । यह फैसला तो जनता को करने का है । परन्तु मैं यह कहूंगा कि आज यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है This is a fight between 'haves' and 'have-nots.' यह एक संघर्ष है; एक तरफ तो वे व्यक्ति हैं जो साधन सम्पन्न हैं, दूसरी तरफ वे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर का पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं ......।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप किसमें हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संघर्ष में सरकार का क्या रुख रहता है, इसमें ठंडे दिल से विचार करने की बात है । हमारे भारतीय संविधान में सबको मूलभूत अधिकार दिये हैं । मगर समझ में नहीं आता कि उन मूलभूत अधिकारों को क्यों ठुकरा दिया जाता है ? Equality before laws की बात कहता हूं । वे प्रावधान principles of directive of the State Policy, जो हमारे संविधान में रखे गये हैं कहां पर लुप्त किये जाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारे चीफ मिनिस्टर उस बात को भूल गये जब बम्बई में इस प्रकार के काले कानून का जनाजा निकाला गया था ? मैं यह निवेदन करूंगा कि बम्बई में लाखों मजदूरों ने हड़ताल की और लाखों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । मि० डांगी ने ७ घन्टे तक इस काले कानून का विरोध किया था ।

जैसा मैंने कहा है आज हमारी कांग्रेस सरकार डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में परिणत होती जा रही है और उसके कारण वह काला कानून पास हो गया और हमारी सरकार सोशियलिस्ट सरकार होने का एक ढकोसला मात्र करती है । यह साफ है । कानून बिलकुल साफ है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ जब कभी कोई अत्याचार हो तो हम उसका फैसला न्यायालय से करा लें और यह कानून मजदूरों के फायदे के लिये रखा गया है । हमारे यहां पर मजदूरों के हित के लिये तीन-चार कानून है; जैसे :

1. Industrial Employment (Standing Orders) Act,
2. Industrial Disputes Act,
3. Minimum Wages Act,
4. Shops & Commercial Establishments Act.

ये कानून समान रूप से, समानता के आधार पर सब पर लागू हो जावें । यह बात इस

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

काले कानून से हटा कर लागू करने की बात कही गई है। मैं कहूंगा कि यह तो अपने अपने मन की बात है। सबके देखने की बात है कि आज सरकार क्या रुख अपनाती है ?

इसके अलावा इस मसले को भी ध्यान में रखना है कि जो लोग लाखों रुपये चन्दे के रूप में देकर कांग्रेस को इस योग्य बनाते हैं वह सरकार तो मालिकों की तरफ अवश्य जावेगी और इसलिये मजदूरों के दिलों से निकलती हुई आहें और दुहाएं उन कानों में चिनगारित नहीं होती है। मैं निवेदन करूंगा कि मानव दृष्टिकोण से, सच्चाई और ईमानदारी के दृष्टिकोण से कम से कम भारतीय परम्पराओं और हमारे संविधान ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिये हैं उस पर काम करें और इस भेद-भाव को खत्म करदें और "haves and have-not" की लड़ाई है उस को जरा शांत कर दें; नहीं तो समय अपना कोर्स अपने आप लेगा यह बिल्कुल साफ है। When authorities refuse to understand the truth, revolution breaks out. संसार का यह नियम है कि जब कठोर तथ्यों को ओवरलुक कर दिया जाता है तो देश में महान् क्रांति फट पड़ती है, महान् क्रांति आती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार सच्चाई को समझे और यह समाजवाद क्या है, लेबरवाद क्या है, तब समाजवाद नीति लाने के योग्य बनेंगे। ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि २। बजे तक इस पर बहस होगी, उसके पश्चात डिसीज़न होगा। उसके बाद २॥ बजे तक यह समाप्त होना चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, सही स्थिति तो मैं बतला सकूंगा। मैं सही स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं।

आपने कहा कि सेठ से चन्दा लेकर कांग्रेस के लोग काम करते हैं, यह बात नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि आपको सेठ से चन्दा नहीं मिला है। मिल सरकार के पास है। मिल तो चूंकि सरकार के हाथ में है इसलिए सेठ से चन्दा लेने की बात नहीं। आपको अवश्य सेठ से चन्दा नहीं मिला। सेठ यहां पर राज्य सभा के लिये भी खड़े होते हैं। यह है कि वह सेठ आपको चन्दा देने लायक नहीं रहे हैं और उस मिल को सरकार चलाएगी और वह मिल चलेगी।

एक माननीय सदस्य : इसीलिये वे बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मजदूरों से चन्दा लेते हैं, मजदूर चन्दा देने लायक नहीं रहेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उनकी कोई यूनियन नहीं है। जो दूसरे दफे बोले, उनके ३५ सदस्य हैं। १७ हमारे सदस्य हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप सुनिये। आपमें सुनने की क्षमता होनी चाहिये। सुनने की क्षमता रखिये। क्या यह तमाशा बना रखा है जो बार बार इन्टरप्ट करते हैं ? हम भी आपकी बात को सुनते हैं तो आपको भी हमारी बात को सुनना चाहिए।

(विराम)

जब आप बोलते हैं तो हम भी तो शांति से उसको सुनते हैं।

उनकी यूनियन एक पालतू कुत्तों की यूनियन थी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 'पालतू कुत्तों' की यूनियन की बात कही है। ये 'कुत्तों की यूनियन' आदि शब्द आपत्तिजनक हैं। ये शब्द वापिस लिये जाने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसी यूनियनें अमेरिका में चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस यूनियन को अच्छे ढंग से बतावें, लेकिन वह संसदीय भाषा में हो। भाव भले ही आपके हों।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इन लोगों ने क्या किया कि मालिकों से मिल कर सब काम खराब कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मिल की हालत खराब हो गई और मिल घाटे में गई। मजदूरों को वेतन नहीं मिला, चार-चार महीनों तक मिल के मजदूरों को वेतन नहीं मिला, ८ महीने तक मजदूर भूखे मरे। उस पर केबिनेट के मिनिस्टरों से मिले। सेन्टर में मनू भाई से मिले। आखिर हैरान होकर सरकार ने कहा कि हम इस मिल को अपने हाथ में लेते हैं। मिल को हाथ में लेने से मजदूरों को पैसे चढ़े हुए मिले। इसलिए मैं यह कहूंगा कि हमें इस विधेयक से किसी प्रकार नुकसान नहीं है कि किसी तरह से मिल ली गई। यह जो कहते हैं कि मजदूर इसका विरोध करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि १७०० मजदूरों में से ५० मजदूर भी लाकर खड़े कर दें तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं। पर बात दरअसल यह है कि १७०० मजदूर कहते हैं कि मिल को इसी तरह चालू रखें, सेठ को न दें, अगर सेठ को दे दिया तो हमारी हालत फिर से खराब हो जायगी। इसके मैनेजिंग एजेंट हैं सौभागमलजी लोढ़ा, सेठ इसे वापिस लेना चाहता है, तो यहां हल्ला होता है कि सरकार मिल को छोड़ दे। सरकार मिल को छोड़ देगी तो सेठ के पास जायगा और उन्हें फायदा होगा, इस मंशा से यह बिल यहां लाया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस बिल को उपस्थित किया है यह उनके इन्टेन्शन्स पर एस्पर्शन है। साफ आरोप लगाया जा रहा है कि सेठ से मिल कर यह बिल रखा है, जब कि बिल के प्रोविज़न्स बिल्कुल स्पष्ट हैं कि १७०० मजदूरों के रिलीफ के लिए मांग की जा रही है। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि ये शब्द प्रोसिडिंग्स से एक्स्पन्ज किये जाने चाहियें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि सेठ से मिल कर बातचीत की जाती है......।

श्री अध्यक्ष : Order order ! order please !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सीधे से सवाल लायें; न किसी पर आरोप प्रत्यारोप करें और न किसी पर शक पेश करें। दोनों तरफ से सहयोग पेश करेंगे तभी अच्छे वातावरण में कार्यवाही चलेगी। माननीय सदस्य बहुत संयम से, शुद्ध अच्छी भाषा से काम लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पहले वालों ने, आरोप लगाये उनका क्या होगा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई फर्क नहीं। यहां सेक्शन ४ की बात कही गई है। मिल पर तीस पैंतीस लाख का कर्जा था और मिल पर लोगों की डिक्रियां थीं। सरकार उस समय उस हालत में मिल ले-कर प्रोडक्शन करती तो डिक्रियां आ जातीं, मिल नीलाम हो जाता, मिल बन्द हो जाता, मजदूर बेकार हो जाते। मजदूरों की रोजी कायम रखने के लिये इस सेक्शन को रखना जरूरी था। यों ही अनायास ही थोड़े ही रखा गया है। सात-सात, आठ-आठ महीने तक मजदूरों को वेतन नहीं मिल पाया था। मजदूरों का लाखों रुपया सेठ बाकी छोड़ गया था, वह मजदूरों को दिया गया है। अगर यह धारा ४ हटा दी जाय तो डिक्रीदार डिक्रियां लायेंगे और सारा सामान कुर्क हो जायगा, मिल बन्द हो जायगा और इस तरह रोजगार बन्द होने से लोगों को हल्ला मचाने का मौका मिल सकता है। श्री गिरधारीलाल व्यास जो कि हमारे यहां मेम्बर हैं वे मिल की यूनियन के सेक्रेटरी हैं। सभी लोग, सभी मजदूर चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, सेठ हमें कोई लाभ नहीं देने वाला है, जैसा है उसे वैसा ही लागू रखा जाय। जो भाई गलतफहमी में कह गये हैं वे वहां जाकर देखें कि मजदूर वहाँ आज कितना सुखी है। आठ-आठ, दस-दस रुपया उनका पहले से बढ़ा है, बोनस उनको मिला है जो सेठ ने उन्हें जिंदगी में नहीं दिया।

अब जबरदस्ती कहा जाता है कि इसे सरकार के अन्दर से हटा दें और सेठ के हाथ में दे दें। अगर ऐसा हुआ तो मजदूर दुखी हो जायेंगे और इसके विरोध में आन्दोलन करेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है, उसका विरोध करें।

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय अध्यक्ष, टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के ऊपर आर्थिक संकट आने की वजह से राजस्थान सरकार ने राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट लागू किया; जैसा कि अभी निवेदन किया गया है मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की व्यवस्था पहले सौभागमलजी लोढा के हाथ में थी और उनकी वजह से, उनके साथियों की वजह से जैसा कि हवाला दिया गया है; उन लोगों ने मिल कर किस तरह इस मिल को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया। पांच-पांच, छः-छः महीनों तक वहां लेबर्स को पेमेंट नहीं किया गया, ३० लाख रुपया कर्ज हो गया। इस कारण से मजदूरों की तरफ से राजस्थान सरकार के पास आवेदन-पत्र आये कि अगर राजस्थान सरकार इस पर अधिकार नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इसमें जो १७०० मजदूर काम करते हैं, वे बेकार हो जायेंगे। मजदूरों की उस प्रार्थना पर सरकार ने यह कार्यवाही की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति मांग कर रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट के ये प्रोविजन्स लागू किये। स्टेट अन्डरटेकिंग के बाद १७००, १८०० मजदूरों का बकाया लाखों रुपयों का पेमेंट किया, पांच-छः महीनों की तनख्वाह बाकी थी वह चुकाई, २ लाख रुपये बोनस मजदूरों को दिया गया, जो अभी अभी चुकाया गया है ....

Page No.57

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : आनएपोइन्ट ऑफ आॉर्डर, सर, इस समय हम बिल के सिद्धान्तों पर बहस कर रहे हैं। पर माननीय सदस्य मेवाड़ टैक्सटाइल मिल पर वक्तृता कर रहे हैं.......

एक माननीय सदस्य : हम कुछ लॉ दे रहे हैं तो अभी माननीय सदस्य से कह दिया जाय कि सिद्धान्तों पर बहस करें। उदाहरण देना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिद्धान्त को समझते होते तो इस तरह की बात नहीं करते।

मजदूरों का ५-६ महीने का वेतन बाकी था, मिल पर ३० लाख रुपया कर्ज था, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल पर अगर यह कानून पास नहीं किया जाता तो आज मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का चप्पा चप्पा नीलाम होकर लोगों के पास पहुंच गया होता और भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल नाम की कोई चीज नहीं मिलती। सरकार ने ले लिया तो आज मिल मुनाफे में है। इस कानून के रखने का खास मकसद यह है कि यदि यह कानून नहीं रहता तो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल पर डिक्री लाकर नीलाम करवा सकते हैं। सेक्शन ४ का फायदा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को है। जो लोग पैसा मांगते हैं उनको भी पैसा चुकाया जा रहा है और मजदूरों को भी बाजिब मजदूरी दी जा रही है। आज तक किसी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कानून के अनुसार सबको फायदा मिलता है।

यहां लक्ष्मीनारायण और भैरवलाल का हवाला दिया गया कि उनको निकाल दिया गया, तो उनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने पट्टे तोड़ दिए, इल्लीगल स्ट्राइक की जिसकी वजह से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को एक दिन के लिये बन्द करना पड़ा। १८०० को उससे नुकसान हुआ। इस प्रकार के लोगों को मनमानी करने दी जाय तो टैक्सटाइल इन्डस्ट्री खत्म हो जायगी। यह सारी कार्यवाही इस एक्ट के तहत की गई।

रेशनलाइजेशन की बात कही गई। रेशनलाइजेशन हमारे यहां हुआ है, दस पन्द्रह रुपयों का मजदूरों को फायदा हुआ है। मजदूर वहां बिना किसी ग्रीवान्स के काम कर रहे हैं। जो एक्ट हमारे यहां लागू किया गया है उससे हमारी इन्डस्ट्री को फायदा है। इस इन्डस्ट्री में पहले मनमाने तरीके पर लोग काम करते थे, चापलूस लोग मिल कर फायदा उठाते थे, अब उनको फायदा नहीं है इसलिये वे लोग ग्रीवान्स की बात करते हैं। सरकार का इस पर कन्ट्रोल रहा तो वे लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, सरकार इसको कानूनीतौर पर चलायेगी, इसलिये यह अमेंडमेंट यहां पेश किया गया है।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल ही एक ऐसा है जिस पर राजस्थान सरकार का इस प्रकार का इन्तजाम है और कोई मिल राजस्थान में ऐसा नहीं है जिस पर राजस्थान सरकार का इन्तजाम हो। इस प्रावधान को अमेंड कर दिया जायगा तो सारी स्थिति बदल जायगी।

(२ म० प०)

और उसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। इसलिए जिस माननीय सदस्य ने यह संशोधन बिल पेश किया है और जिन माननीय सदस्य ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है वे उचित नहीं प्रतीत होते हैं। इस इन्डस्ट्री को इनसे कोई फायदा नहीं होगा। जिस इन्डस्ट्री को इस एक्ट के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तहत रिलीफ मिल रही हैं वे नहीं मिल सकेंगी। थोड़े दिनों में सेठ इस इन्डस्ट्री पर कब्जा करके जिस प्रकार पहले मनमानी करता था उसी प्रकार मनमानी करके इन्डस्ट्री को खत्म कर देगा। माननीय मुख्य-मंत्री महोदय ने पहले कहा था कि मजदूरों को जब मुनाफा बंटा तो सेठ ने ऐतराज किया। २॥ महीने का बोनस दिया जा रहा है जो आज तक सेठ ने कभी नहीं दिया, जब कि १५-२० लाख का मुनाफा तक उसने कमाया था। उस सेठ ने इस बोनस का विरोध किया है। इस प्रकार की कार्यवाही के द्वारा वे यूनियन्स जिनकी कोई वहां पर मान्यता नहीं है, उन यूनियन्स के प्रतिनिधि लोग इस चीज़ में रोड़ा अटका कर इस इन्डस्ट्री को जो फलती-फूलती नजर आ रही है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। यह मजदूरों को राहत दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जो राहत आज मजदूरों को इस एक्ट के अन्तर्गत मिल रही है उस राहत को भी नहीं मिलने देना चाहते हैं और मजदूरों का नुकसान करना चाहते हैं। तो यह एक्ट जो हमारे यहां लागू है उसको खत्म कर दें तब ही उनकी मंशा पूरी हो सकती है। वैसे इस एक्ट से उस अन्डरटेकिंग को फायदा है। तमाम पुराने कर्जों का पेमेन्ट किया गया है और आज तक कोई एक भी नजीर नहीं है कि कोई मेम्बर बता सके कि पुराने मजदूर की बकाया की इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या पेमेन्ट ऑफ वैजेज़ एक्ट के अर्न्तगत दी हुई आज्ञा का भुगतान इस अर्से में न किया गया हो। इस अर्से में कुछ भुगतान किया गया है और मजदूरों की कोई मांग बाकी नहीं है। मजदूरों की जो रिकॉग्नाइज्ड़ यूनियन्स हैं उनसे मिल करके हर तरह से उनको रिलीफ दिलाया जाता है। किसी प्रकार की कोई शिकायत मजदूरों की नहीं है, उनको राहत मिल रही है। इसलिए श्रीमान् से अर्ज करूंगा कि यह जो सरकार ने रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट लागू किया है वह मज़दूरों के फायदे के लिए है। इसमें इस प्रकार का संशोधन लाकर इस प्रकार की इन्डस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के सिवाय और कुछ नहीं है यह उन्हीं लोगों की चाल है जो केऑस (Chaos) फैलाना चाहते हैं, अशान्ति फैलना चाहते हैं, मजदूरों में निराशा फैला कर उनको राहत मिलने से वंचित कराना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Point of order, Sir, this is personal aspersion.

श्री कुमारानन्द : Personal attack.

श्री गिरधारीलाल व्यास : किसी प्रकार का कोई एस्पर्शन नहीं है, लोग इस प्रकार की वहां अशान्ति फैला कर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। वे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और अपने स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस एक्ट से हमारे यहां की इन्डस्ट्री के मजदूरों को लाभ है। रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट जब से लागू हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर के कन्ट्रोल में आने के बाद व्यवस्थितरूप से यह इन्डस्ट्री चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट में जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि इसको रद्द कर दिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर हो जाने के बाद जो कि १५ मिनट वे इसके लिए ले लेंगे और १५ मिनिट बिल प्रस्तुत-कर्ता ले लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ समय और दिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आधा घंटा और इसके लिए बढ़ा दिया जाय, जिससे भीलवाड़ा की स्थिति उन्होंने जो बतायी उसके विपरीत वास्तविक स्थिति है, वह हम भी बता सकें।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : एक घंटा बढ़ा दिया जाय। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव ले लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट मैटर मेरे लायक दोस्त लेबर पॉलिसी के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने वाले हैं जबकि उससे अन-इम्पोर्टेन्ट मैटर पर अधिक समय लग गया है और अधिक दिया जावेगा तो वह मैटर रह जायगा।

श्री कुमारानन्द : Agreed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टाइम लिमिट कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सजेशन है कि इस विषय को केरी ओन किया जाय, अगले नॉन ऑफिशियल-डे के दिन और दूसरा विषय ले लें।

श्री अध्यक्ष : यह संभव नहीं है।

मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट के अन्तर्गत ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अमेन्डिंग बिल प्रस्तुत किया है और उस पर बहस हुई है। माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसका विरोध करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट है, उसके अन्दर दो खास मुद्दे की बातें हैं और उन पर बिना विचार किये बहस करते हैं तो निश्चित-रूप से हम अपनी राह से भटकते हैं। पहली बात यह है कि जब तक कोई अण्डरटेकिंग रिलीफ एक्ट के स्पेशल प्रोविज़न्स के तहत रहेगा उस दौरान में सहायक प्रतिष्ठान रहता है उसके विरुद्ध कोई दावा दायर नहीं होगा यानी जब तक कोई रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ रहेगा, कोई दावा दायर नहीं किया जावेगा। यदि कोई दावा दायर हो भी गया तो कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर सरकार चाहे कि कुछ रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ में लेबर लॉज़ को सस्पेन्ड करना है तो वह कर सकती है। ये दो प्रावधान हैं। इनको देख कर करना चाहिये। ज्यादातर बहस हुई है वह सैक्शन ४ और शिड्यूल के अन्तर्गत हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने न मालूम यह कैसे मान लिया कि सैक्शन ४ है उसके अन्तर्गत या तो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया या शिड्यूल में दिये हुए कानूनों को निलंबित कर दिया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के

(श्री चन्दनमल बैद)

लिए बताना चाहता हूं कि सैक्शन ४ के अन्तर्गत दो प्रोविजन्स हैं; एक तो है दावों को सस्पेन्ड करना और दूसरा है वेलफेयर लॉज़ बने हुए हैं उनको निलम्बित करना और उसके लिए अधिकार लिया है राज्य सरकार ने अपने पास। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने आज तक केवल एक ही का उपयोग किया है और दूसरे का कतई आज तक उपयोग नहीं किया है। जैसा कि यहां कहा गया है कि इस एक्ट के बनने के बाद इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉईज़ (स्टेन्डिग आॅर्डर्स) एक्ट लागू नहीं हुआ है, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं हुआ है या मिनियम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत राहत नहीं मिली या राजस्थान शोप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट के तहत राहत नहीं मिली, यह कहना गलत है। सैक्शन ४ के अन्तर्गत सरकार ने जो पॉवर्स लिये, इनको निलम्बित करने के लिए उनको काम में लाया नहीं गया है। बिना लाये ही अच्छी तरह से चल रहा है। जो इन्डस्ट्री उस कानून के तहत हैं, उनमें लेबर वैलफेयर कानून लागू नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, विधान में जो अधिकार दिये हुए हैं उनसे महरूम किया जा रहा है; यह बिलकुल गलत है। मैं बताना चाहूंगा कि कोई नोटिफिकेशन ही उसके तहत जारी नहीं किया गया है। सरकार को सुओमोटो अधिकार नहीं मिलते हैं, तब ही मिलते हैं जब सरकार एक्ट की किन्हीं धाराओं को निलम्बित करे।......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओनएपोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हम बात पूरी तसल्ली के साथ कह रहे हैं कि रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ के तौर पर लेने के बाद में भी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सस्पेन्ड नहीं किया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं तसल्ली के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं किया है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको रद्द समझ लिया जाय, आपकी घोषणा के बाद ? आप क्या नोटिफिकेशन के खिलाफ तो नहीं कह रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे बड़ा दुःख है इस बात का। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय सदस्य मानें या न मानें; यह उनकी मर्जी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में उनको नोटिफिकेशन के जरिये लागू नहीं किया है और सैक्शन ४ के तहत सरकार ने अपने अधिकारों का अब तक कोई उपयोग ही नहीं किया है, जहां तक इसका सम्बन्ध है। माननीय.........

(२. ६ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य सच्चाई के साथ जैसा संशोधित बिल ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका विरोध करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कल प्रिविलेज मोशन दूंगा तब मालूम होगा।

श्री चन्दनमल वैद : जो भी मजदूरों के रिलीफ के लिये वैलफेयर लॉज़ बने हुए हैं उनको निलम्बित करने की हमने कार्यवाही नहीं की। इस मेरे वक्तव्य से मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया उनको भी शंका समाधान हो गया होगा। वैसी हालत में उनसे मेरा निवेदन है कि वे निश्चिततौर से इस बिल का विरोध करेंगे और इस एक्ट का समर्थन करेंगे।

इसी प्रकार से इस एक्ट की भूमिका को समझ लेना चाहिए। जिस समय यह बना था उस समय जिस समय मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध खराब होता जा रहा था वहां के मजदूरों को वेतन नहीं मिला हमने उसको इस एक्ट के नीचे चलाया। वहां के मजदूरों को एम्पलॉयमेंट दिया और जिन मजदूरों को इस कानून के बनने से पहले जो वेतन मिलता था उस वेतन में आठ रुपये की वृद्धि की गई। इसके अलावा दो लाख रुपया बोनस के रूप में बांटा गया। इस प्रकार के कानून को भी हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य काला कानून कहना चाहते हैं, जिस एक्ट के जरिये हमने मजदूरों को एम्पलॉयमेन्ट दिया, मजदूरों के वेतन बढ़ाये, उसके अलावा दो लाख का बोनस दिया; इस प्रकार के मजदूरों की भलाई के कानून को भी काला कानून कहा जायगा तो फिर गोरा कानून किसे कहा जा सकता है। आप मजदूरों को वहां काम पर रखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं या जो मजदूरों के हितकारी कानून बने हुए हैं किसी को भी निलम्बित नहीं किया है। मजदूरों के वैलफेयर के चार ही कानून नहीं है, उनकी संख्या १६-१७ या १८ हो गई है। इसके बारे में ठीक तौर से तो श्रम मंत्री महोदय बतायेंगे, केवल उन कानूनों में से यहां चार कानूनों का हवाला दिया गया है, उनको भी निलम्बित नहीं किया, उनको भी जारी रखा है। किसी एक इन्स्टान्स पर हम कानून को नहीं बना सकते। इसलिये हमें यह ध्यान में रखना होगा कि रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ का जो एक्ट है वह सारे प्रान्त की स्थिति को देखते हुए उसमें टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, और इन्डस्ट्रीज़ भी शामिल हैं। किसी में किसी समय यह स्थिति भी हो सकती है, वैसे सारी स्थितियों का ख्याल भी रखना चाहिये, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमें इन चार कानूनों को निलम्बित करने का अवसर ही नहीं आया और हमने ईमानदारी के साथ सस्पेन्ड नहीं किया। हो सकता है, किसी इन्डस्ट्री में एक कानून की एक ही धारा को सस्पेन्ड करना पड़े। हमें उसे करने के लिये हमारे पास कम से कम साधन होने चाहियें; उस वास्ते ये राइट्स लिये गये हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूं, दो सालों में आज तक इसका उपयोग नहीं किया आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इसकी वेहद जरूरत नहीं आजायगी ये अधिकार काम में नहीं लिये जायेंगे। बहस जो की गई है गलतफहमी के कारण की गई है। मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद माननीय सदस्यों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को वापिस लें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Only the Member who has moved the Bill can reply.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Sir, I have been asking from the very beginning to speak, but I have not been given an opportunity to speak.

श्री उपाध्यक्ष : That opportunity should have been taken before.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Sir, I feel very strongly about this Bill. I have a right to express my opinion.

यह बिल जो इस समय बहस के लिये प्रस्तुत है......

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member that 2-30 P. M. is the Scheduled time when this business should be finished, and keeping that in view the speech should be brief.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will try to be as brief as possible.

इस संबन्ध में जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो माननीय सदस्य उस ओर बैठे हुए हैं जिन्होंने मजदूर वर्ग के आन्दोलनों में किसी न किसी रूप में हिस्सा लिया है या उनसे सम्बन्धित रहे हैं उन्होंने जिस रूप में इस बिल का विरोध किया मैं महसूस करता हूं कि जो भी उन माननीय सदस्यों की भावना रही हो उनकी भावना का आदर करते हुए बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने इस विधेयक की मन्शा को नहीं देखा उन्होंने दो शिकायतें कीं जो वाजिब शिकायतें थीं, फिर भी मजदूर आन्दोलन के नेता को मजदूर वर्ग के प्रति चिन्ता होनी चाहिये, उन्होंने वह व्यक्त की। एक तो यह थी कि यह बिल पास हो गया तो सरकार के हाथ में ऐसे कारखानों को अपने हाथ में लेने की जो शक्ति है वह शक्ति खत्म हो जायगी।

दूसरा यह सन्देह प्रगट किया गया कि मौजूदा बिल को पास कर दिया गया तो जो इस प्रकार के कारखाने हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं कुप्रबन्ध के कारण उनके खिलाफ चाहे क्रेडिटर्स की तरफ से शिकायतें हों, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल के बारे में कुछ डिक्रियां थीं उनके पास अगर यह कानून नहीं हो या यह कानून इस तरह से मन्जूर कर लिया जाय तो मिल का मिल बन्द हो जायगा और मजदूरों को तनख्वाह न मिले। अगर वास्तव में इस बिल की मन्शा यह होती तो हम सब से पहले आदमी होते जो इस बिल का सख्त विरोध करते। जहां हमें अपनी गलती महसूस होती हम उसी समय इस बिल को वापिस ले लेते। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बिल की मन्शा हर्गिज वह नहीं है जिनके बारे में सन्देह प्रगट किया गया है। उससे बिल्कुल उलटा यह बिल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो पांच मिनट भी नही हुए। माननीय उद्योग उप-मंत्री ने इस संबन्ध में उत्तर दिया। उन्होंने यह बताया कि हमने अभी तक इस कानून के अन्तर्गत मजदूर कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी खामोख्वाह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यों ही सवाल खड़ा कर दिया गया। कम से कम इस बात से तो यह बात जाहिर हुई, इस प्रकार टैक्सटाइल मिल्स को चलाने के लिये जिनकी हालत इतनी खराब थीं, मजदूरों के बुनियादी हकूकों को खत्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इसीलिये जो उस कानून के तहत जिस कानून में यह संशोधन करने की मन्शा है उसमें एक बहुत भारी बुनियादी सिद्धान्त पर कुठाराघात किया गया है। जिन ट्रेड यूनियन राइट्स को मजदूर वर्ग ने वर्षों संघर्ष करने के पश्चात प्राप्त किया जिसमें इस थ्योरी को एस्टेब्लिश किया गया कि मजदूर वर्ग को जिस धन्धे के अन्दर काम करते हैं प्रजातंत्रात्मकतौर से अपनी तकलीफों के लिये लड़ने के अधिकार होने चाहियें। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट मजदूर वर्ग के कितने ही वर्षों के संघर्ष का फल है। जो कानून केन्द्रीय सरकार ने बनाया, रेगूलेटिंग कन्ट्रोल एन्ड रेगूलेटिंग एक्ट इन्डस्ट्रीज़, ५१, का जो एक्ट बनाया गया वह भी मजदूरों के बहुत लम्बे संघर्ष का नतीजा था और जो मौजूदा, जो भी इन कारखानों को, चाहे ब्यावर का एडवर्ड मिल हो, चाहे भीलवाड़े का मेवाड़ टैक्सटाइल मिल हो, इनको उस केन्द्र के कानून के तहत सरकार को अपने अधिकार में लेने का हक है और हम इस कानून के उस अधिकार के, इस तरह के उद्योगों को हाथ में लेने के अधिकार के हमेशा समर्थक रहे हैं। हमने उसके लिये संघर्ष किया है और आज भी इस अधिकार को सही समझते हैं लेकिन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य बहस को लम्बी करेंगे तो मेम्बर इन्चार्ज को बोलने का अवसर नहीं रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will take only 3-4 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : Now I would not allow the debate after 2.30

श्री रामानन्द अग्रवाल : Right. I will finish early. उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो धारा ४ है उसके पहले (ए) है उसके तहत तो कुछ इन चार कानूनों को सस्पेन्ड किया जा सकता है। इसकी जो धारा (बी) है उसके तहत तमाम एग्रीमेन्ट्स जो भी एन्टर किये हुए हों, उस रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज एक्ट से उनके लागू न होने की व्यवस्था की गई है और तीसरी यह व्यवस्था है कानून में जिसे राजस्थान सरकार ने ६१ में बनाया जिसका अमेन्डमेन्ट यह है कि कोई दावा नहीं किया जा सकता, कोई दर्ख्वास्त नहीं लाई जा सकती। अब इस अमेन्डमेन्ट के जरिये सरकार के हाथ में यह अधिकार तो रखा है कि क्रेडिटर्स के, मजदूरों के अलावा, डिक्रीज को सस्पेन्ड रखा जा सकता है। इसलिये एक माननीय सदस्य ने जो खतरा जाहिर किया था कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल पर ६ लाख रुपये की डिक्री है और वह इसका इजराय करा लेंगे, तो वह खतरा इस अमेन्डमेन्ट से नहीं है। इससे वह अधिकार प्राप्त रहेगा जिसके लिये इस ओर के और उस ओर के माननीय सदस्यों ने ट्रेड यूनियनों के माध्यम से लड़ाई लड़ी और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्डियन डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत मजदूरों के हकों के लिये लड़ाई की, बुनियादों, अधिकारों के लिये जद्दोजहद की, उनको सस्पेन्ड न किया जावे, इसकी मांग है इस कानून में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चाहे सरकार ने इसका दुरुपयोग किया हो या न किया हो, इस तथ्य को छोड़कर भी बुनियादीतौर पर इस प्रकार का कोई कानून स्टेच्यूट बुक पर रखे जिसके अन्दर मेरे से यह कहा जाय कि आपको बोलने और ऐतराज करने की आजादी नहीं होगी, पर हम दो हजार रुपया घर बैठे आपको दे देंगे, तो मैं एक सभ्य नागरिक के नाते ऐसे कानून का विरोध करना ही पसन्द करूंगा, उस दो हजार की परवाह नहीं करके ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सेठ रामानन्दजी विरोध नहीं कर सकते। सेठ रामानन्दजी विरोध नहीं कर सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी प्रकार से आज कोई हमसे यह कहे कि संविधान में से धारा १६ निकाल दें और इस फण्डामेन्टल राइट्स की धारा को निकाल दें तो इसके लिये न इधर की तरफ के लोग और न उधर की तरफ के लोग तैयार होंगे जो हमारी जिंदगी और प्रजातन्त्र के विकास के साथ जुड़ा है। उस धारा को निकालने के लिये हम कोई भी हर्गिज तैयार नहीं होंगे।

इसलिये कैसा भी बेनेवोलेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो मजदूरों का प्रजातान्त्रिक और बुनियादी अधिकार है उनको वापिस नहीं लेना चाहिये वरना पुराने मालिकों को यह कहने का मौका मिल जावेगा कि सरकार ये अधिकार हमें भी दे दें, हम भी उनसे अधिक लाभ बता सकते हैं। पाटनी साहब और कई और साहब कह देंगे कि चूंकि मजदूरों के बारे में ऐसे अधिकार सरकार को प्राप्त हैं इसलिये सरकार थोड़ा बहुत मुनाफा बता रही है, ये ही अधिकार हमें भी दे दिये जावें तो हम भी अच्छी तरह कारखाने चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जावे और इस कानून को मंजूर किया जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय.... ..

श्री उपाध्यक्ष : Is it a point of order or anything else ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जैसे रामानन्द जी महाशय को समय मिला है वैसे ही मैं भी पांच मिनिट लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से तो समय समाप्त हो जावेगा और समय के अनुसार काम समाप्त नहीं कर सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उनकी तरह टाइम ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस तरह से तो फिर और भी बोलना चाहेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अपनी बात रखने के लिये रास्ता आपने खोल दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर जिस मार्ग पर आप चलेंगे, उस पर मैं भी चलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : After Shri Jwala Prasad the Member-in-charge will give his reply and I will request Hon'ble Shri Jwala Prasad to conclude his speech within 3-4 minutes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो डिस्कशन चला, उसका बहाव कुछ दूसरी ओर चला गया। सरकार ने वही कानून बनाया है जिसे वे स्वामी कुमारानन्दजी इस कानून में समावेश कराना चाहते हैं। वह कानून भी इस सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार ने, अपने जमाने में पास किया है और मजदूरों की सेवा की है तो इसका श्रेय उधर वालों को नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार को है कि मजदूरों को ताकत के साथ खड़ा किया है।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसका इन्टरप्रिटेशन व्यक्तिगत रूप से या सरकार से या किसी से नहीं है। कानून हमेशा के लिये बनता है, आज के लिये या कल के लिये नहीं। सरकार ने यहां की इन्डस्ट्री के लिये, उसकी रक्षा के लिये, देश के विकास के लिये यह किया है कि हम मजदूरों को भूखों न मरने दें। जब फ्री इकोनोमी है तो कोई भी अन्डरटेकिंग, जिस किसी भी कैरेक्टर का हो, वह कारण हम एनविसेज नहीं कर सकते जिसके कारण वह इन्डस्ट्री बन्द हो सकती है। मैं ऐसी भी कल्पना कर सकता हूं कि आज कुछ व्यक्ति विशेष या दस आदमी जो कुछ मजदूरों को गुमराह करके एक इन्डस्ट्री को बन्द करा देते हैं; ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कुसूर नहीं हो फिर भी इन्डस्ट्री बन्द होने वाली हो और दस-बीस आदमी जिनकी पॉलिसी ही है काम बन्द कराने की, देश के विकास से जिनका ताल्लुक नहीं, देश के समृद्ध होने से और आगे बढ़ने से जिनका ताल्लुक नहीं, हमेशा जिनकी हालत यह रहती है कि किसी भी हालत में हो देश को नुकसान पहुंचाया जाय, देश का प्रोडक्शन न बढ़ने पावे, देश का विकास रुके, यहां की इन्डस्ट्री खराब हो, तो ऐसों के लिये यह एमर्जेन्सी कानून है और इसे रखना बहुत जरूरी है, आज की परिस्थितियों में। उस दिन उनके पास नहीं आया जावेगा। रामानन्दजी महसूस करेंगे सौ आदमी के लिये लेकिन हमारे साथ मजदूर होंगे। वे यह समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसी एमर्जेन्सी के लिये इस कानून को बनाया गया है। यह साधारण कानून नहीं है। यह विशेष कानून है। एक दिन के लिये या किसी एक इन्डस्ट्री या किसी खास अन्डरटेकिंग के लिये नहीं बना है। यह सबके लिये है और इमर्जेंसी के लिये है। कभी भी राजस्थान में, सब लोग याद रक्खें उधर वालों को भी पूरी तरह से आगाह करना चाहता हूं, इनको विकास में रोड़ा बनने का अवसर न दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दिल से आप कह रहे हैं या दिमाग से ? कानून बना भी करते हैं और सुधरा भी करते हैं, यह उनको मालूम नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इस तरह ज्यादा टाइम दिलाना चाहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं आगाह करता हूं कि आप जिस तरह से नक्श लगाना चाहते हैं हमारे इस विकास के काम में, उसके लिये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एमर्जेन्सी कानून हमने बना रखा है। उनके ऊपर तुम हमारे ही कानून को इन्टरप्रेट करना चाहते हो। यह आपके लिये जायज नहीं है। हम और मजदूर भी जानते हैं कि आप किस तरफ उनको ले जाना चाहते हो। आज कम्युनिस्ट पार्टी क्या है ? आज इसमें रह कर सेठ रामानन्द और जागीरदार शिवपतसिंह मजदूरों की बातें करते हैं ......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह क्या स्पीच हो रही है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सेठ साहब, मैं क्या गलत कह रहा हूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो सुल्तानी गंवाह की सी बातें हो रही हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्वामीजी के लिये मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है। मुझे वे बचपन से जानते हैं। वे इसको वापिस ले लेंगे। यह मजदूरों के हक का नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार है जिसने मजदूरों के लिये बहुत लड़ाई लड़ी है। आप अब भी जब कहेंगे कि मजदूरों के साथ नाजायज बात हुई है, उसे ठीक करना है तो हम आपका साथ देंगे। पर सरकार के पास एमर्जेन्सी पॉवर रहना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : मैं जवाब देता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इतना ही कहता हूं कि एडवर्ड मिल को सरकार ने जब उसकी हालत बिगड़ी थी तो अपने हाथ में लिया और उसके लिए हमने सरकार को निमंत्रण दिया था। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस एक्ट के आशय को समझा ही नहीं है। इसका नाम रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ बिल है एडवर्ड मिल को सरकार ने हाथ में लेने के बाद भारत सरकार ने मंगल पांडे को वहां कन्ट्रोलर के रूप में नियुक्त किया था। तो भारत सरकार ने कुछ कानून बना कर दिया था, उस पर मैं जाऊं तो वह बहुत लम्बा हो जायेगा उस कानून के बारे में भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि मजदूरों के हकों को छीनो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि सरकार ने मिलों को अपने हाथ में क्यों लिया ? सरकार मिलों को ले। हमने अब भी सरकार से दरख्वास्त की है कि वह हाथ में ले ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट ही वहां पर लागू नहीं होंगे, लेबर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, स्टेन्डिंग ऑर्डर उस पर लागू नहीं होंगे, मजदूरों के जितने राइट्स हैं व उनके ऊपर कानून नहीं रख सकेंगे। ब्यावर में एडवर्ड मिल को सरकार ने लिया था तो लक्ष्मी मिल में वह कानून लागू हुआ लेकिन वहां लागू नहीं हुआ। ६ रु० भारत सरकार ने देने को कहा था वह कृष्णा मिल में मिला, महालक्ष्मी मिल में मिला लेकिन एडवर्ड मिल में नहीं मिला। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भाई कहते हैं यह बिल है, यह अमेन्डमेन्ट पास हो जायेगा और यह अमेन्डमेन्ट पास होने से ज्यादा फायदा होगा और मिल अच्छी तरह से चलेगा और मजदूर मिलों में अच्छी तरह से काम करेंगे। आज हमारी पंचवर्षीय योजना कई जगह पर नाकामयाब हुई है। कारण यह है कि आप मजदूरों को ठीक तरह से पैसा नहीं देते हैं, इसलिए वह कानून

(श्री कुमारानन्द)

भंग करते हैं। मजदूरों के ऊपर जो कुठाराघात होता है, वह नहीं होना चाहिए। यही इस बिल की मन्शा है। बस यही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Bhim Sen, would you like to withdraw your amendment ?

श्री भीमसन (लूणकरणसर) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसेन अपना प्रस्ताव वापिस लें ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री भीमसेन : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं यह चाहता था कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वे पहले यह बता देते कि वे इसको मानते हैं या नहीं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं उसके पहले मैं कैसे कहूं कि विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शायद उसको लेना उनको अस्वीकार होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, वे तो इसके बारे में कुछ कहें; तभी तो मैं कुछ कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने नहीं कहा तो यही समझना चाहिए कि वह अस्वीकार है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं उसको विथड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री मुरलीधर व्यास अपना अमेन्डमेन्ट वपिस लें ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री कुमारानन्दजी ने जो राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रॉवीज़न्स) अमेन्डमेन्ट बिल, १९६२ प्रस्तुत किया है उसको विचारार्थ लिया जाये।

(मत-दान के पश्चात् 'ना' पक्ष जीता)

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I shall again put it to vote.

प्रश्न यह है कि जो विधेयक श्री कुमारानन्द जी ने प्रस्तुत किया है उसको विचारार्थ लिया जाये ?

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

विपक्ष दल के माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We claim division, Sir.

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I shall put the question.

प्रश्न यह है कि जो विधेयक श्री कुमारानन्दजी ने प्रस्तुत किया उसे विचारार्थ लिया जाय।

(अस्वीकृत)

मोशन गिर गया।

(विराम)

Resolution. Shri Kumaranand.

(२.२० म० प०)

राजस्थान सरकार की श्रम नीति सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

"This House disapproves the labour policy of the Rajasthan Government."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि राजस्थान मजदूरों के आन्दोलन में एक पिछड़ा हुआ प्रान्त अब नहीं है। राजस्थान में उद्योग-धन्धे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, राजस्थान में तरह तरह के कल कारखाने और शिल्प की उन्नति हो रही है जिससे मजदूरों की ताकत भी दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन राजस्थान में जो फैक्टरी वर्कर्स हैं, कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या कम से कम दो लाख से ऊपर है, कम नहीं। फैक्टरी वर्कर्स, माइनिंग वर्कर्स को छोड़ दें और दूसरे धन्धों में काम करने वाले हैं उनको छोड़ दें, उनकी संख्या २ लाख से कम नहीं है और जैसी सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना है उससे इनकी संख्या डबल से भी ज्यादा हो जायगी, तो इस समय हम राजस्थान के मजदूर आन्दोलन को बिलकुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

१९५० से पहले एक अजमेर-मेरवाड़ा को छोड़ कर पूरे राजस्थान में लेबर लॉज़ नहीं के बराबर थे। अजमेर-मेरवाड़ा क्योंकि ब्रिटिश रूल के अन्दर में था तो वहां पर लेबर लॉज़ बने हुए थे। वे भी आज बने उतने नहीं थे, लेकिन कुछ थे, मगर देशी रियासतों में लेबर लॉज़ नहीं के बराबर थे। आज हमारे सामने एक लेबर डिपार्टमेन्ट है, आज हमारे सामने लेबर कमिश्नर है, आज हमारे सामने इन्डस्ट्री मिनिस्टर और इन्डस्ट्री डाइरेक्टर हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे।

अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार की लेबर पॉलिसी पर मैं आपको बोल रहा हूं और बोलना चाहता हूं और सदन के सामने लाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि जो बिल्कुल मजदूर-विरोधी है। मैं आपका कुछ तो समय लूंगा लेकिन मैं आपको धीरे धीरे उदाहरण देकर समझाऊंगा।

मैंने गत सदन की जब मीटिंग हुई थी तो एक बात कही थी, हमारे माननीय सदस्यगण ने शायद नोट नहीं की थी, वह बात यह थी कि किसी सरकार को जानने से

(श्री कुमारानन्द)

पहले, किसी गवर्नमेन्ट को जानने से पहले उस गवर्नमेंट का क्लास केरेक्टर क्या है, उस गवर्नमेंट में किसका बोलबाला है, वह सरकार गरीबों की सरकार है, मज़दूरों की सरकार है, वह किसके हितों की रक्षा करती है, यह जानना बहुत ही जरूरी है । इसलिए किसी सरकार को जानने से पहले उसके क्लास-केरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है ।

हमारी भारत सरकार का क्लास–केरेक्टर मोनोपोलिस्ट्स, केपिटेलिस्ट्स, प्रोफिटियर्स, होर्डर्स आदि की रक्षा करना है और मजदूरों के हितों पर आघात करना है । मैं आगे चलकर सुबूत देकर आपको बताऊँगा । पहले आपको भारत सरकार की जो नीति है उस नीति पर हमारी राजस्थान सरकार चलती है और उसको चलना भी चाहिए । समाजवाद की हम बात करते हैं लेकिन समाजवाद के बिल्कुल उल्टे रास्ते पर हम चलते हैं । बात करते हैं समाजवाद की और चलते हैं हम समाजवाद के बिल्कुल उल्टे । अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स हुई थी उस ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में हमारे माननीय श्रम मंत्री, केन्द्र के श्रममंत्री श्री गुलज़ारीलाल नन्दा ने क्या कहा ? आपने सबने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि मज़दूरों का शोषण करके यह मालिक पैसा कमाकर अपना घर बना रहे हैं, इस बात को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जायगा । पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले जब कि कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछा कि हिन्दुस्तान की आम्दनी पहले से काफी बढ़ी है लेकिन आम जनता भूखी है तो यह पैसा कहां गया? वहां पर नेहरू जी ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है वह जांच करेगी कि पैसा बढ़ा; फिर भी जनता भूखी क्यों है ? जिस तरह से भारत सरकार चलती है उसी तरह से हमारी राजस्थान सरकार भी चलती है ।

पहले राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कानून क्या बनाया, वह ताज्जुब की बात है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं । राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट में शॉप्स एण्ड कॉमशियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट का विभाग रहना चाहिए । इसको इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को दे दिया और वह भी चुनाव के कुछ दिन पहले । चुनावों से पहले क्या था कि जहां पर १०,००० की आबादी है वहां पर दुकान का मुनीम काम करता है तो वह एक्ट लागू हो सकता है जो कि उसके फायदे में है । चुनावों से कुछ दिन पहले उस कानून की हत्या करके एक कानून बनाया कि ३०,००० की जहां आबादी है वहां पर यह कानून लागू होगा । फायदा किसका किया ? सेठ का फायदा किया या मज़दूरों का फायदा किया ? हम बचपन से सुनते थे । हमारे बड़े लोग कहते थे कि बड़ों का कहना सुनो, लेकिन बड़े क्या करते हैं, मत देखो । तो वही बात है कि हमारे मिनिस्टर साहब व बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वे क्या करते हैं, उसको मत देखो और वे जो कहें उसको सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शॉप्स एण्ड कॉमशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है इसको इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में दिया और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट में इसको क्या करना है, यह नहीं समझता ।

जयपुर एक औद्योगिक केन्द्र, पूरा औद्योगिक केन्द्र तो नहीं कह सकते हैं लेकिन

(श्री कुमारानन्द)

फिर भी काफी उद्योग हैं यहाँ बॉलबियरिंग फेक्टरी है और दूसरे उद्योग हैं, फिर भी जयपुर एक औद्योगिक केन्द्र है, लेकिन जयपुर को बी क्लास का सिटी नहीं बनाया गया क्योंकि उससे तनख्वाहें मजदूरों को ज्यादा देनी पड़े। लोगों को तनख्वाहें ज्यादा देनी पड़े तो इसका फायदा किसको पहुंचता है? मज़दूरों या गरीबों को फायदा पहुंचता है या पैसे वालों को, यह मैं पूछना चाहता हूं? सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां डियरनेस एलाउन्स के लिए कोई रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स नहीं हैं।

मिनिमम वेजेज़ कहीं कहीं डेढ़ रुपया रोज है और रास्ते में काम करने वाले तीन चार रुपये रोज कमा लेते हैं। डेढ़ रुपया मिनिमम मीन्स ४५ रुपया महीना। ४५ रुपया महीने से आजकल के जमाने में क्या होता है? यह आज राजस्थान सरकार का कानून है। राजस्थान सरकार का इन्डेक्स नम्बर निकल रहा है, पहले नहीं निकलता था लेकिन इन्डेक्स नंबर के सिस्टम पर कोई तनख्वाह राजस्थान में नहीं दी जाती है। इन्डेक्स नंबर से हिन्दुस्तान में सब जगह पर "rises and falls of the prices" का पता चलता है। बॉम्बे में और दूसरी जगह पर इन्डेक्स नंबर के सिस्टम पर दिया जाता है लेकिन राजस्थान एक प्रोविन्स ऐसा है जहां पहले इन्डेक्स नंबर निकलता ही नहीं था लेकिन अब निकलता है पर एप्लाई नहीं करते।

मिलों में मज़दूर काम करते हैं, कारखानों में मज़दूर काम करते हैं और उनको १८-२० साल काम करते हो गये लेकिन वे अब तक परमानेन्ट नहीं हुए। १८ साल हो गये, २० साल हो गये लेकिन वे परमानेन्ट नहीं हो सके। उनको जब चाहें निकाल सकते हैं। उनको कहते हैं कि वर्क चार्ज में उनकी गिनती आती है इसलिए जब चाहें तब उनको निकाल दे सकते हैं और जब चाहें तब रख सकते हैं।

इसके बाद सरकार कहती है कि मज़दूरों के इलाज के लिये हमने अस्पताल खुलवा दिये हैं, मज़दूरों के भले के लिये खोल दिये हैं। ब्यावर इन्डस्ट्रियल सेन्टर है जहां पर ३ मिल्स हैं। ३ मिल्स के मजदूरों के लिये एक अस्पताल खोला है और जब मजदूर अस्पताल में जाते हैं तो उनको पूरी दवाइयां नहीं मिलती हैं।

हमारे मजदूरों के लिए अभी जयपुर के पास, सुना है, देखा नहीं है लेकिन रिपोर्ट हमारे पास आई है, जयपुर के पास टी. बी. अस्पताल है। अभी सरकार थर्ड फाइव ईयर प्लान में और खोलना चाहती है। वहां इतनी बुरी हालत है कि वहां पर लोग जाते हैं लेकिन दवा-दारू का बन्दोबस्त नहीं है। लोग हमको कहते हैं कि हमारे साथ चल कर देखिये कि वहां को हालत क्या है। यहां हमारे मजदूर डिपार्टमेंट, महकमा मजदूर के मंत्री, लेबर कमिश्नर, लेबर इन्सपेक्टर हैं, हमारी सरकार जो लेबर डिमार्टमेंट के लिए ढिंढोरा पीटती है कि हमने यह किया, वह किया लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

विजयनगर में लाल झंडे का यूनियन नहीं है। हमारे बांये हाथ की तरफ जितने महात्मा बैठे है, बापूजी के चेले, उनका यूनियन है.........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह "महात्मा–सहात्मा" क्या होता है ?

श्री कुमारानन्द : "Mahatma" is parliamentary, but if it is unparliamentary, I withdraw. I apologise.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): यह तो सम्मानसूचक शब्द है, महात्मा बोले जाते हैं।

श्री कुमारानन्द: आजकल 'महात्मा' शब्द को बुरा समझते हैं, जमाना ही ऐसा आ गया है इसलिए बुरा समझते हैं। फिर भी मैं वापिस लेता हूं; I withdraw, I apologise, I regret.

तो वहां विजयनगर में मोहम्मद सद्दीक वहां की यूनियन का सेक्रेटरी आई०एन०टी०, राष्ट्रीय मजदूर संघ का सेक्रेटरी है जो उसमें स्थान रखता है, उसकी चिट्ठी मेरे पास है जिसमें लिखा है कि हम भूख-हड़ताल करना चाहते हैं, आपके क्या आदेश हैं ? ६ लाख रुपये मजदूरों को रघुनाथ सेठ ने दिये नहीं और उसने ट्रिब्यूनल के फैसले को ठोकर मार दी, पंच फैसले को ठोकर मार दी, हाई कोर्ट के फैसले को ठोकर मारी। कोर्ट ने फैसला दिया था कि ५६ रुपये माहवार तनख्वाह मजदूरों को मिले। लेकिन उसने मिल बन्द कर दिया, मजदूरों को भूखों मारा और फिर मजदूरों को ३५ रु० पर वापिस मिल में रखा। जब ट्रिब्यूनल को मालूम हुआ कि यह किया जाता है ५६ करके ३५ रुपये कर दिये तब फिर डिक्लेयर किया कोर्ट ने। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि आपने क्या किया? रघुनाथ सेठ के खिलाफ कौनसी कार्यवाही की ?

उदयपुर में पिछले जून में आई.एन.टी.यू.सी. का एक मजदूर है जिसका नाम बतलाना चाहूंगा......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : 'मोहम्मद रफी' कह दीजिये।

श्री कुमारानन्द : नहीं नहीं, मैं उसका नाम बताता हूं......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उन्होंने सही नाम बताया है।

श्री कुमारानन्द : नहीं नहीं वह नहीं है...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : इन्डिविज्युअल्स के नाम कोट करते हैं या जनरल बात करते हैं ?

श्री कुमारानन्द : नूर मोहम्मद उसका नाम है वह आई. एन. टी. यू. सी. का वर्कर था। दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, नूरमोहम्मद को ३ घन्टे में खत्म कर दिया। मंत्री महोदय, आपने क्या किया उसके लिये ? उसी तरह से उदयपुर स्पिनिंग मिल के रिलीफ खाते के एक मजदूर की लाश मिल के कुए पर मिली। उससे पहले वह गायब था। इधर उधर पूछा, आखिर में मिल के कुए पर उसकी लाश मिली। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसकी लाश मिली, जिस लाश के लिये परसों हम यहां इतने चिल्लाये थे। उस गरीब की लाश मिल के अहाते में कूए पर मिली। मैं इसको साबित कर दूं, आप चलें मेरे साथ वह राष्ट्रीय संघ का मजदूर था। उसके लिये उन लोगों के खिलाफ आपने क्या किया ? पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, मंत्रीजी ने कोई कदम नहीं उठाया।

(श्री कुमारानन्द)

उदयपुर मिल के मालिक पाली मिल से और दूसरी जगहों से लोगों को झूठे आश्वासन देकर लाये कि तुमको रहने के लिये जगह देंगे, इतनी तनख्वाह देंगे लेकिन वहां ले जाकर आधी भी तनख्वाह नहीं देते और रहने की जगह भी नहीं देते और जब चाहते हैं तभी ठोकर देकर निकाल देते हैं। मैं इसकी नजीर दे सकता हूं, लेकिन मिनिस्टर साहब आपने ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं ? किशनगढ़ के मजदूरों के बारे में आपकी सरकार ने क्या किया मैं आपसे पूछना चाहता हूं ?

हमारे इधर बैठे हुए माननीय मंत्री महोदय की बात है जिनके अंडर में पॉवर है, बिजली है, नल है, प्रेस है। मैं पूछना चाहता हूं एक बात आपसे। एक नाय मसरूम ग्रोथ प्रेस पैदा हुई, एक महीना हुआ; उसको आपने रिकोग्नाइज़ेशन दिया है और कई पुराने प्रेसेज़ हैं उनको रिकोग्नाज़ेशन नहीं दिया है इसका क्या कारण है ? आपके यहां की ऐसी बहुत सी बातें हैं। आपके यहां एक बिजली—नल यूनियन था उसको आपने खारिज कराया। माननीय मन्त्री महोदय ने पुराने यूनियन को खारिज कराया और एक नये यूनियन को जिसके ३०-३२ मेम्बर्स हैं उसको रिप्रज़ेन्टेशन दिलाया। कैसे दिलाया ?

ब्यावर में अभी थोड़े दिन पहले इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला आया था

(३ म. प.)

कि ग्यारह आदमी, जिनके लिये स्वामी कुमारानन्द ने भूख हड़ताल की है, उनको रख लिया जाय। यह ट्रिब्यूनल ने फैसला किया। लेकिन वे दो साल से घर में बैठे हुए हैं। आपके मिल मालिक कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते। माननीय श्रम मन्त्रीजी आपसे ब्यावर में बातचीत की थी, लेकिन आपने क्या किया उनके खिलाफ ? ब्यावर में इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया कि सात दिन में एक छुट्टी होनी चाहिए। आपके मिल मालिक कहते हैं कि हम नहीं मानते। आपने क्या किया उनके खिलाफ? मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और साफ पूछना चाहता हूं कि जब मजदूर अपनी मांग करते हैं कि यूनियन बनायेंगे तो आपकी पुलिस है वह लाठी से, गोली से, ठोकरों से पीटती है, बेगुनाहों को। हमको, केसरीमल को डेढ़ साल पहले ब्यावर में पुलिस गिरफ्तार करके जेल में ले गई थी। हमने कौनसा कुसूर किया था ? इसकी आप इन्क्वायरी करें। आप डंडा चलायें, बन्दूक चलायें, पिस्तोल चलायें, बम्ब चलायें लेकिन हमने क्या किया था ? हमें यूनियन की तरफ से बोलने का राइट नहीं, मजदूरों की यूनियन बनाने का हक नहीं ! मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी हाई कोर्ट से फैसला हुआ है कि पुलिस कर्मचारी अपनी यूनियन बना सकते हैं। पुलिस कर्मचारी अपनी यूनियन बना नहीं सकते यह सरकार ने कानून बनाया है, यह गलत है। मैं उनका नाम भूल गया......

श्री रामकिशन (बैर): Non-Gazetted.

श्री कुमारानन्द : नॉन गजटेड कर्मचारियों को आपने सस्पेन्ड करके रखा। उसके लिए हाई कोर्ट ने कहा, यह शर्म की बात है, उन्हें रीइन्स्टेट किया जाय और वे अपनी

(श्री कुमारानन्द)

यूनियन बना सकते हैं। आप भले ही सुप्रीम कोर्ट में जायं लेकिन हाई कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया है कि पुलिस कर्मचारी अपनी यूनियन बना सकते हैं और हम यूनियन बनायें तो लाठी और गोली ! ब्यावर में मिल चलाई, पुलिस के डंडे से। यह शर्म की बात है कि कुमारानन्द की छाती पर चढ़ कर लोग मिल के भीतर गये। वहां पुलिस का राज्य हो गया। मिलिटरी एरिया से टीअर गैस, मशीनगन लेकर मिलीटरी घूम रही थी। आपको मालूम है ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये ब्यावर के ही मजदूर थे, बहादुर मजदूर ! हमको जब गिरफ्तार करने आये तो मजदूरों ने मजिस्ट्रेट, डी० एस० पी० और मिलीटरी सबके सामने हमको छीन लिया और गिरफ्तार नहीं करने दिया। यह ब्यावर की हालत है ! हम ब्यावर में यह हालत पैदा कर सकते हैं, फिर पैदा कर सकते हैं। लेकिन वह अंग्रेजों का राज्य था और यह हमारा गौरव है कि हमने वह काम किया। आपने क्या किया ? ब्यावर की मैंने बार बार शिकायत की। महालक्ष्मी मिल के बारे में मैंने कई बार शिकायत की। एडवर्ड मिल, जो पहले आपने लिया था, ठीक है, वह अच्छी हालत में चल रहा था, लेकिन उसे वापिस आपने किसके कहने से दे दिया ? फिर उस मालिक को किसके कहने से दे दिया ? यह वही आदमी है जिसने ४२ आदमियों को निकाला था और मैंने भूख हड़ताल की थी और उसने कहा था कि कुमारानन्द मर जाय तो कोई हर्ज नहीं। यहां आई. एन. टी. यू. सी. के लीडर बैठे हुए हैं, वे प्रेसीडेन्ट हैं। महालक्ष्मी मिल के बारे में कई दफा लिख कर दिया कि वहां कितना काम खराब हो रहा है। महालक्ष्मी मिल है, वह प्राइवेट कन्सर्न नहीं है, वह लिमिटेड कन्सर्न है। आपने कभी इन्क्वायरी की कि उसका मालिक कब आता है मिल में ? साल भर हो गया वह कभी मिल देखने के लिए आया ? जब कि कानून में यह प्रोवीज़न है कि वह साल में एक दिन जरूर आये। आप चाहें तो कानून देख लें कि लिमिटेड कम्पनी के मैनेजर के क्या फर्ज हैं ? वह खुद नहीं आता है और टेलीफोन कर देता है एक पुराने रिश्वतखोर को, जो रिश्वत खा खाकर मिल का सत्यानाश कर रहा है। उसके हाथ में मिल चल रही है। मैं आपको बतलाता हूं, मैं कुछ कागज पॉकिट में ले आया हूं। उन में से एक को पढ़ कर बताऊंगा कि महालक्ष्मी मिल का रुपया किस किस तरह खर्च होता है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सरकारी रिपोर्ट भी बताऊंगा। एक चिट्ठी मैं आप को बताता हूं, जैसा मैंने कहा था कि आज की सरकार मालिक की है या मजदूर की है, यह आपको इस चिट्ठी से मालूम पड़ेगा। एक चिट्ठी आई है, मैनेजिंग डाइरेक्टर, महालक्ष्मी मिल। २०-१-६२ की है। कार्यालय, नगर कांग्रेस कमेटी, सागवाड़ा से आई है......

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रीजी का क्षेत्र है।

श्री कुमारानन्द : इसमें लिखा है–

"प्रिय बन्धु,

आपके द्वारा भेजा हुआ एक हजार रुपये का चैक प्राप्त हो गया है। इस

(श्री कुमारानन्द)

सहायता के लिए मंडल कांग्रेस श्री महालक्ष्मी मिल की आभारी है।

साइन्ड-अध्यक्ष"

तो यह चिट्ठी है। आपको इससे क्या मालूम पड़ता है, माननीय श्रम मंत्री महोदय ? आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे सामने आप बच्चे हो। मैं जब कांग्रेस के मेम्बर्स बनाने जाता था तो अजमेर और ब्यावर तो सेठ लोग क्या कहते थे, हमसे पचास रुपये ले जाओ लेकिन हम कांग्रेस के मेम्बर नहीं बन सकते और अगर किसी मिल मालिक को मालूम पड़ जाता था कि कोई कांग्रेस का मेम्बर बना है तो उसको मिल से निकाल देते थे। वही आज एक हजार रुपये का दान देते हैं। आप देखिये, यह जनता की कांग्रेस है या मिल मालिकों की कांग्रेस है ? आज सदन में कांग्रेस के सदस्य विरोध कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाते ही कहते हैं, स्वामीजी अच्छे बोले......

श्री रामकिशन : ज्वालाप्रसादजी जरूर कहेंगे।

श्री कुमारानन्द : मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की हालत है ! मैं महालक्ष्मी मिल की बात बताता हूं। महालक्ष्मी मिल के हिसाब के बारे में मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ लेकिन आपने माना नहीं। लेकिन महालक्ष्मी मिल के बारे में, यह देखिये, आपके सामने एक कॉन्फीडेंशियल लेटर है, जिसको टेरिफ कमीशन ने लिखा है :—

"The position of record here is far from satisfactory."

महालक्ष्मी मिल के बारे में टेरिफ कमीशन लिखता है—

"The position of record here is far from satisfactory and as a matter of fact, we may have to abandon the material altogether......"

यह कौन लिखता है ? टेरिफ कमीशन ! टेरिफ कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिसाब चैक करने के लिए आया था वह कहता है। यह कागज आपके पास है ? महालक्ष्मी मिल का पेपर है, लेकिन है हमारे हाथ में। तो आपने क्या किया, मंत्री महोदय ? महालक्ष्मी के जो मिल मालिक हैं, मालूम है कि पुराने लोग हैं, हमारे प्रदेश के नहीं हैं, उनके लिए क्या किया है ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारे माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब बैठे हैं। वहाँ एक तीस आदमियों की यूनियन बनाई जब कि पांच सौ आदमियों की एक यूनियन पहले से थी। उसको इग्नोर कर दिया था और हमारे मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं वहां यूनियन बनाने के लिए। हमारे पब्लिक सेक्टर के लोग जानते हैं, मिनिस्टर साहब को बुलाओ, क्योंकि सब कुछ मिनिस्टर साहब हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर के मिल मालिक हैं ही। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक और प्राइवेट चिट्ठी है लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको रख देता हूं क्योंकि पढ़ने से......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सब चिट्ठियाँ पढ़ कर बता दीजिये।

श्री कुमारानन्द : बस ! यह प्राइवेट चिट्ठी है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके हाथ कैसे लगी ?

श्री कुमारानन्द : आपके गांधी टोपी वालों से चिट्ठियें मिल जाती हैं । अलग अलग पार्टी हैं उनसे मिल जाती हैं । तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं......

श्री रामकिशन : नसीराबाद से आने वाले माननीव सदस्य से मिली होगी ?

श्री कुमारानन्द : वह तो मेरा चेला है, उससे क्या मिले ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): चेला बागी हो रहा है, स्वामी जी !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : गुरु और चेले की टक्कर हो गई !

श्री कुमारानन्द : आपका लेबर डिपार्टमेंट और लेबर कमिश्नर बिल्कुल निकम्मा है, वह मालिकों का काम करता है । कितनी बार मिल के मालिक मजदूरों को नौकरी से निकाल देते हैं । आपके पास लिखते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं और अगर मजदूर आवाज उठाते हैं तो आपकी पुलिस का डंडा चलता है ! तब आपकी पुलिस कहां से आ जाती है, मालिकों की रक्षा करने के लिए ? मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप इन्क्वायरी कीजिये, मंत्री महोदय ! आप पर मेरा पूरा विश्वास है । आप इन्क्वायरी कीजिये कि मिल में वर्क लोड किस तरह लगाया है पुलिस के जोर से और किस तरह मजदूरों को बाहर निकाल कर पीटा था । गोली चलने वाली थी मेरे ऊपर केसरीमल पर, परभूजी पर। हमने क्या कुसूर किया था पुलिस का ? एक मिनट पहले मजदूर अगर मिल के भीतर नहीं जाते तो हम पर गोली चलती । हम यह जानते हुए कि गोली चलेगी, हम छाती खोल कर मिल के सामने खड़े रहे ।

(विराम)

दूसरी बात यह कि पुलिस आपकी है । मैंने आॅल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्लेटफार्म से दावा किया था, 'One Union in one Industry' और आज भी आर० टी० यूनियन कांग्रेस कमेटी के सदस्य की हैसियत से दावे के साथ करता हूं, 'One Union in one Industry' आप उसके लिये तैयार नहीं हैं ?

(मा० सदस्यों की ओर से "हम तैयार हैं" की आवाज एवं विरोधी पक्ष की ओर से भी "कम से कम हम तो तैयार हैं ही" की आवाज)

एक माननीय सदस्य : ब्यावर में ही भाग जावेंगे ।

श्री कुमारानन्द : भाग जावेंगे उसकी परवाह नहीं ।

तो इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं ? ब्यावर में हमने चुनौती दी, कोई तैयार नहीं ।

आपकी मजदूर पॉलिसी कुछ कांग्रेस मजदूरों को बनाये रखने की है और इसके लिये कुछ पॉकेट यूनियन बना रखी है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी पॉकेट यूनियनें सारी की सारी करप्शन को बढ़ा

(श्री कुमारानन्द)

रही हैं और जब से इसका फाउन्डेशन रखा गया तभी से करप्शन दिनों दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है।

मैंने भूख हड़ताल की थी। मजदूरों ने मिल बन्द करने को कहा था और आपके जेबी मजदूरों ने कहा कि मिल चलेगा। उन्होंने कहा, स्वामीजी भूख हड़ताल बन्द कर दो। यह भूख हड़ताल ज्यादा चलेगी नहीं। हमको मंगलराम ने चिट्ठी लिखी थी भूख हड़ताल बन्द करने की। मैं उनसे लड़ पड़ा। पंडित सुन्दरलाल लिखते हैं कि श्रद्धेय स्वामीजी नाराज हो गये। आपने ब्यावर की मिल को फिर मालिक के हाथ में दिया।

१९५९ के मार्च महीने में उदयपुर में महालक्ष्मी मिल में तलाशी ले रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने तलाशी लिवाई और उसके कागजात जब्त किये। यह कहा गया कि केस चलेगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ यह माननीय मंत्री बतावेंगे। आपको मालूम होगा। फ्रॉड के कागजात हाथ में लगे, गबन करने के लिये ? मगर क्यों किया पता नहीं।

अब मैं गंगानगर की बात कहता हूं। एक एक करके कहता हूं। वहां पर मिल मालिक ने रामसिंह सेक्रेट्री को निकाल दिया और उसका सामान जब्त कर लिया। वह अपना सामान मांगता है तो नहीं देते। यह एक किस्म की चोरी नहीं तो क्या है ? आपने उसके लिये क्या किया ? मिनिस्टर साहब को भी कहा गया। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपका जो आज रवैया है वह ठीक नहीं है और जैसा मैंने कहा कि किसी सरकार को जमने से पहले उसके क्लास कैरेक्टर को जानना चाहिये। मगर आज मजदूरों पर जुल्म किया जाता है।

इसलिये मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता हुआ और बहस ज्यादा नहीं करूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी मजदूरों के प्रति गलत पॉलिसी है।

एक भाई ने एमेन्डमेंट भेजा उसमें क्या लिखा। वह कहता है "Feels dis-satisfied with" के स्थान पर "disapproves" कर दिया जावे। मैं यह समझता हूं कि इससे भी ज्यादा कड़ा शब्द होना चाहिये। इसलिये मैं इस पर ज्यादा नहीं कहते हुए मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव पेश किया है, सदन इसका समर्थन करे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): [संशोधन इस प्रकार है: Substitute the words "feels dis-satisfied with" for the word 'disapproves'] माननीय उपाध्यक्ष, जो मेरे बुजुर्ग मित्र, श्री कुमारानन्दजी ने प्रस्ताव रखा था उसमें मैंने "Feels dis-satisfied with" रखा है "disapproves" के स्थान पर और वह इसलिये रखा है कि मैं इससे बहुत ही असन्तुष्ट हूं कि हमारे राजस्थान सरकार के मजदूरों के प्रति जो पॉलिसी है उससे मैं बहुत असंतुष्ट हूं। आज हमारे राजस्थान के मजदूर बहुत ही पीड़ित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में चार लाख से ज्यादा मजदूर हैं। कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट में हैं और कुछ कम्पनीज़ में हैं। कहने का अर्थ यह है कि सभी डिपार्टमेंट में हमारे मजदूर हैं। अभी हमारे नसीराबाद के महानुभाव ने फरमाया कि...

एक माननीय सदस्य : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था ।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं भूल गया । ब्यावर से आने वाले, नसीराबाद के वे हैं ।

(विराम)

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको तो जनता की नामजदगी ने राजा बनाया है, प्रजातन्त्रवाद के राजा की कुर्सी हिलने लगी केवल मजदूर दल के कारण ही । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उदयपुर में मजदूर-दल पलता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपकी कुर्सी पहले हिली, इसलिये आप नाराज हैं ।

श्री जोधसिंह चौहान: ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): अगर आप कुर्सी देना चाहें तो ले लेंगे ।

श्री जोधसिंह चौहान: उदयपुर में इन्टक की यूनियन पहले से थी । हमारे यहां जाबर माइन्स हैं पर पहले कब्जा कर लिया । सेठ तो कांग्रेस के पोषक होते ही हैं । इसलिये उन्होंने वहां जाकर कब्जा जमा लिया और वहां के सब मजदूरों को गुलाम बना रखा है, अपने पक्ष में कर रखा है । आज वहां पर कोई भी व्यक्ति जाना चाहे तो नहीं जा सकता । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब स्वतन्त्र भारत में चुनाव होने जा रहे थे तो एक पुलिंग बाथ जाबर माइन्स में रखा और विरोधी दल के आदमियों को जाने के लिये मना कर दिया गया । जब मैं वहां गया तो कहा गया कि वहां पर सरकारी तौर से आना मना है, वहां उनके ही व्यक्ति जा सकते हैं । हालांकि वहां पर सरकारी स्कूलें हैं, मगर फिर भी हम लोगों को नहीं जाने दिया । अकस्मात यह हुआ कि वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर स्कूल के उद्घाटन के लिये निमन्त्रित थे । भूल से मुझे भी निमंत्रण मिल गया । वहां के वाइस चेअरमैन हैं वे मेरे मोटर साइकल के पीछे बैठ गये । वहां के अधिकारियों ने उसको देख लिया कि यह किस प्रकार से जोधसिंह के पीछे बैठ गया । उसको नौकरी से निकाल दिया और यह कहा कि यह यूनियन के खिलाफ था इसी कारण से जोधसिंह जीता है । यह उनका नमूना है !

मैं तो यह कहूंगा कि वहां के मजदूरों की कोई इज्जत नहीं, वहां के मजदूरों को कोई फैसिलिटी नहीं, वहां के मजदूर कांग्रेस के गुलाम हैं । उदयपुर में जब भी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है, लेबर अवैकनिंग की या और किसी प्रकार की खिलाफत करने की जरूरत पड़ती है तो वहां के मजदूरों को मोटरों में भर कर उदयपुर ले आते हैं और हमारे यहां प्रदर्शन कराते हैं ।

उदयपुर में कॉटन मिल है । पहले वहां केवल एक ही यूनियन थी, इन्टक से संबंधित नहीं थी, सेठ ने बना रखी थी । श्री दुर्गावत जो प्रेसिडेन्ट हैं इंटक यूनियन के, वे चाहते थे और जो उदयपुर से एम. एल. ए. जीत कर आये हैं वे भी चाहते थे कि आज राजस्थान में हमारा राज्य है, राजस्थान की सबसे बड़ी कुर्सी पर मैं बैठा हूं तो वहां की यूनियन मेरे हाथ में नहीं है तो उन्होंने उदयपुर इंटक यूनियन के व्यक्तियों को बुला कर डांटा कि तुम्हारी यूनियन होनी चाहिये । वहां के सेठ होशियार थे, उनकी ही यूनियन रही । मिस्टर दुर्गावत ने मिल के अन्दर जबरदस्ती घुस कर वहां के लोगों को बहकाया ।

Page No.78

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir. यहां पॉलिसी पर प्रस्ताव सदन के सामने है और जो लोग यहां पर सदन में नहीं हैं उनके नाम से कोई बात करना सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं हैं कि यहां जवाब दे सकें । उनका नाम लेना, बार बार नाम लेना गलत है । आपसे प्रार्थना है कि आप इस नाम लेने की चीज को रोकने की कोशिश करें ।

श्री जोधसिंह चौहान : जान पड़ता है कि वे सुनना नहीं चाहते ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इस तरह बीच बीच में बोल कर माननीय सदस्य हाउस का टाइम खराब करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर प्लीज !!! मैं माननीय सदस्यों को आगाह करूंगा कि अपने विषय से अलग होकर, ऐसे व्यक्तियों की अपने भाषण में चर्चा न करें, जिनसे सीधा कोई सम्पर्क नहीं है और जो यहां आकर आपके एलिगेशन्स का जवाब नहीं दे सकते ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस संबन्ध में मैं निर्णय चाहूंगा कि जो सदन के मेम्बर हैं और अनुपस्थित हैं उनका जिक्र नहीं किया जा सकता । लॉज़ के इम्प्लीमेन्टेशन में बाहर के व्यक्ति यदि बाधा पहुंचाते हैं तो बिना नाम बताये इसको किस तरह सदन के सम्मुख रखा जा सकता है ? मेम्बर्स हैं और जो अनुपस्थित हैं उनका नाम नहीं लिया जा सकता । गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिये भी परम्परा बनी है कि सदन में नाम नहीं लिया जा सकता, पर लेबर लॉज़ में कोई दिक्कत आ गई हो तो उनका नाम लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : सदन की परम्परा यह रही है कि जो व्यक्ति यहां जवाब देने में असमर्थ है उसका नाम नहीं लिया जाता । हमारे यहां की यह परम्परा है और लोकसभा की भी यही परम्परा है । जो यहां जवाब नहीं दे सकता उसका बार बार नाम लेना सदन की परम्परा के विपरीत है ।

श्री भैरोंसिंह : यह आवश्यक है और इसलिये आवश्यक है उपाध्यक्ष महोदय, कि गंगानगर में जो मर्डर हुआ उसमें परसों यहां सदन में बार बार सब-इन्सपेक्टर का नाम लिया गया, उसका नाम बार बार लिया गया, उसका नाम नहीं लिया जा सकता था तो इसके माने यह होते कि सदन के बाहर जो अपराध करते हैं, इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको हमेशा के लिये मनमानी करने की हम छूट देते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष, जो अब इस प्रकार की आपत्ति उठा रहे हैं वे उप-मंत्रीजी जब पहले उपाध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे कई बार इस बात के लिये प्रेस किया है कि नाम बताइये । तो मैं उनसे पूछता हूं कि आज वे इस प्रकार की बात कैसे करते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भूतपूर्व उपाध्यक्ष ने ऐसे अवसर पर बार बार आग्रह, विनय, विमर्श किया है कि आप नाम न लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सुबह से बराबर इस प्रकार की परम्परा सदन में चल रही है कि नाम लिये जायं, किसी ने ऐतराज नहीं किया। अब इस समय सहसा इस प्रकार की आपत्ति उठाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ?

श्री उपाध्यक्ष : यहां के सदन की स्वस्थ परम्परा की रक्षा करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि किसी विभाग में त्रुटि हो, विभागीय व्यक्ति ने सही तरीके से काम नहीं किया है तो उसके पद का, उसके विभाग का नाम लिया जा सकता है पर व्यक्ति विशेष का नाम लेना अनुचित है और इसी बारे में पहले भी इस सदन में रूलिंग हुआ है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं :

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति को देने के सम्बन्ध में श्री श्रीमानसिंह के संशोधन पर श्री मुक्तिलाल मोदी बोल रहे थे। अपने भाषण में विषयान्तर होते हुए उन्होंने राजधानी समिति के सदस्यों का जिक्र किया, जिस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा :

'...ऐसे व्यक्ति जो यहां हाउस में नहीं हैं, उनके ऊपर बहस करना उचित नहीं।'

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का है। इसको मैं भी मानता हूं, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स असेम्बली में आकर डिफेन्ड नहीं कर सकते, पर पब्लिक के आदमी इन्वोल्वड हों तो उनका नाम लेना परम आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतया पब्लिक के आदमी भी हों तो भी साधारण व्यवहार तकाजा करेगा कि जहां तक हो सके उनका नाम नहीं लें। इंटक से सम्बन्धित, किसी ओर्गेनाइजेशन से सम्बन्धित हैं तो उनके पदों के नाम, ओर्गेनाइजेशन का नाम बखूबी लिया जा सकता है।

इसलिये मैं समझूंगा कि जहां तक हो सके भाषण के दौरान में व्यक्ति विशेष का नाम छोड़ कर उनके पदों का नाम लिया जाय तो अच्छा रहेगा। जहां नाम लेना लाजमी ही हो जाय तो और बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो व्यक्ति सदन में......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): रूलिंग होने के बाद किताबें उलटने की परम्परा बन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Yes, आप प्रारम्भ रखिये।

श्री जोधसिंह : भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय हमारे चेयरमैन रह चुके हैं। वहां उदयपुर में उन्होंने हट्टे कट्टे मजबूत आदमियों को पाल रखा है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। जनता आये दिन इनके उन मजबूत आदमियों से पीड़ित है, डरती है, उनकी हालत वे जानते हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक दम गलत है............

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!! आप जारी रखिये।

श्री जोधसिंह : अपने आपके , लिये सुनने के लिये असमर्थ हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर नगर की जनता इस इंटक से पीड़ित है । हमारे उदयपुर कॉटन मिल में एक सेठ ने यूनियन बनाई थी । इंटक के प्रेसिडेन्ट रात में वहां गये और जबरदस्ती मिल के एरिया में घुस गये । मिल मालिक ने पुलिस में इत्तिला की कि इंटक के प्रेसिडेन्ट हमारे मिल एरिया में जबरदस्ती घुस आये और हमारे मजदूरों को बहका कर चले गये पर इस रिपोर्ट की कोई भी सुनवाई नहीं हुई । इंटक के प्रेसिडेन्ट तीन-चार रोज बाद फिर आये और जबरदस्ती मिल के एरिया में घुस गये । फिर पुलिस में सूचना की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई ।

मुख्य मंत्री उदयपुर में गये तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमारे कांग्रेस के इंटक के सदस्यों को बुला कर डांटा...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : लेबर पॉलिसी के बारे में तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है ।

श्री जोधसिंह : बिल्कुल लेबर पॉलिसी के वारे में जिक्र है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !! You will continue please.

श्री जोधसिंह : मैंने निवेदन किया कि हमारे लेबरर्स वहां पर पीड़ित हैं और जिस प्रकार पीड़ित हैं उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप यूनियन बनाओ । फिर सेठ को बुलाया गया, उसको धमकी दी गई । यूनियन बनने दी जाय । उसने इन्कार किया । मैं क्या जानूं ? पहले यूनियन बनी हुई है, चाहे जो कर सकता है । ८ व्यक्ति इंटक के थे । एक दिन अवसर देख कर जबरदस्ती, एक आदमी पहले की यूनियन का मेम्बर था उसको रास्ते में पीटा, वह भागा-भागा कॉलोनी में गया और एक मजदूर को बुला लाया, आपस में झगड़ा हो गया और नूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति को मार दिया । इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, उसने हमारे मजदूर को मरवाया...

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : On a point of order, Sir, my submission is that the case is pending under section 302, if I am not wrong, or under Sec. 304 and it has been committed to the Sessions Court or it is before the Magistrate and therefore all emphasis, so far as the facts of the case are concerned, including all the individuals, should not be raised on the floor of the House, Sir, as the case is sub-judice.

श्री उपाध्यक्ष : I think, the Member will keep regard of it and avoid a reference of such a case which is sub-judice.

श्री जोधसिंह : मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि इस प्रकार लड़ाई-झगड़े करवा कर उस मजदूर को मरवाया गया ।

बात यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती है । वहां जाकर इंटक के लोगों ने हमारे पहले के व्यक्ति को पकड़वाया । चार दिन तक थाने में पुलिस के द्वारा उसके जूते पटकवाते रहे और उसे कहा गया कि तू यह कह दें कि मैंने मारा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो चर्चा कर रहे हैं वह इंटक और दूसरे मामलों से सम्बन्ध रखती है, वह गवर्नमेन्ट की लेबर पॉलिसी से किस प्रकार सम्बन्धित है। मैं यह चाहूंगा कि वे अधिक विस्तार में न जाकर केवल लेबर की पॉलिसी पर ही बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने इंटक को ही लेबर पॉलिसी समझ लिया है।

श्री जोधसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि कांग्रेस राज्य में हमारे मजदूरों के प्रति क्या किया जाता है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जाता है और किस प्रकार मजदूरों की हत्या होती है!

तो मैं बता रहा था कि हमारे नूरमोहम्मद नाम के व्यक्ति को इस प्रकार उन्होंने मरवा दिया। पहले का जो सेक्रेटरी था उसको डरा कर सारी यूनियन पर कब्जा करवा लिया और उनका कब्जा हो गया।

उदयपुर पी. डब्ल्यू. डी. यूनियन जहां हमारी पार्टी का अधिकार नहीं है केवल वहीं के व्यक्तियों ने अधिकारियों से मिल कर यूनियन बना रखी है, वहां लोग पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियर को मांगें रखी थी। उन्होंने हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को भी निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी वहां पधारे थे। जब उन्होंने हड़ताल की थी, आवेदन किये थे। उदयपुर के एम.एल.एज़. ने भी देखा था। लेकिन उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। यूनियन वालों का जगह जगह ट्रान्स्फर कर दिया जाता है। एक पी. डब्ल्यू. डी. का व्यक्ति शंकरलाल जो अस्पताल में टी. बी. से पीड़ित था उसको इस प्रकार के आदेश मिलते हैं कि तुम नौकरी में आज से नहीं रहोगे। यही नहीं एक यूनियन का अधिकारी था उसका ६० मील दूर पर ट्रान्स्फर कर दिया। कई ऐसे व्यक्ति हैं। एक आदमी बीमारी के कारण छुट्टी चाहता था और दो दिन देर से पहुंचना चाहता था। उसकी १५ साल की पी. डब्ल्यू. डी. की नौकरी थी, उससे उसको मुक्त कर दिया। पी. डब्ल्यू. डी. की स्वतंत्र यूनियन है, उसको तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। वे ही महोदय हैं जो पी. डब्ल्यू. डी. की यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर में आये। उदयपुर में आये बीछीवाड़ा और प्रतापनगर में मीटिंगें की। मजदूरों को बुला कर दूसरी यूनियन बनाने का यत्न किया। जनतन्त्रबाद में किस प्रकार गवर्नमेन्ट के अधिकारी अपने अधिकारों को काम में लेते हैं, यूनियनें किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार हमारे मजदूरों पर कुठाराघात करते हैं! यह सरकार कहती है कि सबसे पहले हमने मजदूरों को अधिकार दिये, हमने उनको हक दिलवाये हैं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन मजदूरों ने आपको राजा बनाया है, जनतंत्र में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचाया है व आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आप उनकी आवाज सुनें, उनकी जो मांगें हैं उनको ठीक प्रकार से सुनें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का हाल राजस्थान में रहा, कांग्रेस सरकार का इस प्रकार का रवैया और हाल रहा तो एक दिन वह आवेगा, मजदूर भाई डिपार्टमेन्ट के और मिलों के यूनियनें बनाने का हक नहीं रखेंगे। इन्जीनियर से

(श्री जोधसिंह)

आज पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूर डर रहे हैं, उनको खतरा है, नौकरी चली जावेगी, किधर जावेंगे, यूनियन चल सकेगी या नहीं। जितनी वे डिपार्टमेन्टल कार्यवाही कर सकते हैं, सब की। मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया। अगर हमें जनतन्त्रवाद को चलाना है तो आज मजदूरों की आवाज को सुनना पड़ेगा, पहिचानना पड़ेगा; नहीं तो एक दिन वह आ सकता है जब भारत में बहुत बड़ा कलह हो सकता है। जो मजदूर हमारे हैं उनके हकों के लिए हमको लड़ना चाहिये, सरकार को मनाना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। जो उन्होंने हक दे रखे हैं वे काफी नहीं होते हैं। आपको उनकी आत्मा से सम्बन्ध रखना चाहिये। आपको चाहिये कि अधिक से अधिक फेसिलिटीज़ मजदूरों को दें। जब तक हमारे राष्ट्र का प्रत्येक मजदूर सफल नहीं हो जावेगा, रहने के लिए उसके पास झोंपड़ियां और खाने के लिए पूरा अन्न और पहिनने के लिए पूरा कपड़ा, पूरे साधन उसके पास उपलब्ध नहीं हो जावेंगे तब तक हमारा भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ सकेगा। भारतवर्ष को आगे बढ़ाने वाले मजदूर ही हैं। ये ही सब कुछ हैं। अगर इस प्रकार मजदूर पीड़ित होंगे तो देश में बाधा होगी।

अनेक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजसुन्दर।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): On a point of order, Sir, मैंने एक संशोधन पेश किया था और पता नहीं किस कारण से वह सामने नहीं आया।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): टाइम लिमिट कर दिया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): एक संशोधन मेरा भी है। मैंने कन्डैम ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष: I will find out your amendments, if any, and if it is there I will allow you time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोग बोलने वाले हैं इसलिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रत्येक माननीय सदस्य १५ मिनिट लेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी आज्ञा है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जिस प्रकार के भाषण अभी पॉलिसी मेटर्स पर सदन में हुए हैं, मैं समझता हूं उसके जवाब में मैं नहीं कहूं तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि पॉलिसीज़ के बारे में तो कोई बात कही ही नहीं गई है। केवल व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ कहा।

मैं समझता हूं कि रिज़ोल्यूशन जो इस सदन के सामने हैं वे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हैं। हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव के जरिये यह रखा है कि राजस्थान की जो श्रम नीति है उसको डिसएप्रूव कर दिया जाय।

श्रमनीति राजस्थान सरकार की क्या है, उसको किन कारणों के ऊपर डिसएप्रूव करना चाहते हैं, क्या इन्डिविजुअल इन्डस्ट्री

Page No.83

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

को लेकर रद्दोबदल करना चाहिये, उस सम्बन्ध में विश्लेषण सदन में नहीं रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मित्र जो ब्यावर से आने वाले हैं वे हमारे श्रद्धेय हैं, श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं मजदूरों के प्रति दिल में दर्द होने के कारण कही हों उनके पास वास्तव में शिकायतें आयी होंगी जिनसे प्रेरित होकर उन शिकायतों को रखने के बजाय सारी लेबर पॉलिसी को क्रिटीसाइज़ किया जा रहा है। अभी मेरे से पूर्व जो माननीय मित्र बोल रहे थे मैं तो नहीं जान पाया, उनका मजदूर आंदोलनों में कितना हिस्सा रहा है, कहां कहां के मजदूरों के लिये काम किया, क्या क्या सेक्रिफाइसेज़ किये वे स्वयं किस तबके के रहे हैं ?...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप अपने सेक्रीफाइसेज बता दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन माननीय सदस्य ने किसी भी मजदूर आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया, हो सकता है वे ऐसे तबके से आये हों जिनको मजदूरों के प्रति हमदर्दी हो। खाली जुबान से हो सकती है दिल से नहीं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जैसी आपकी आई. एन. टी. यू. सी. से है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रम नीति का ताल्लुक है राजस्थान सरकार ने कभी अपनी श्रम नीति का निर्धारण अलग से नहीं किया। किसी जगह रेकॉर्ड में ऐसी चीज नहीं जिससे यह कहा जाय कि यह श्रम नीति राजस्थान सरकार की है। जो श्रम नीति भारत सरकार ने बनायी है उसी का परिपालन राजस्थान सरकार करती है। जो श्रम नीति भारत सरकार ने बनायी है उसी से हम लोग वक्त बेवक्त आगे बढ़े हैं। वह नीति त्रिदलीय सम्मेलन में बनायी गई है जिसमें श्रमिक मिल मालिक और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं पर वे नीति निर्देशन करते हैं, उनमें डिसकशन्स होते हैं और त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर ही भारत सरकार ने अपनी नीति बनायी है।

इसके साथ साथ जो कानून हमारे यहां बने हैं उसी नीति के अनुसरण में बने हैं। माननीय विद्वान् मित्र ने भारत सरकार की श्रम नीति और राज्य सरकार की श्रमनीति का अपने भाषण में जिक्र नहीं किया इसलिये मैं तो यह मानता हूं, जो नीति इन कानूनों के जरिये लागू है, जो नीति बनी है उसके बारे में हमारे विद्वान् मित्र को कुछ नहीं कहना है। उसको तो वे समर्थन देते हैं। जो त्रिदलीय कॉन्फरेन्स के जरिये रिजोल्यूशन्स हुए हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को सुविधायें दे सकते हैं, उनको किस तरह से शोषण से बचा सकते हैं, किस तरह से हम हिन्दुस्तान के अन्दर औद्योगिक शान्ति कायम कर सकते हैं जिसके जरिये हिन्दुस्तान तरक्की कर सकता है। हमारे मित्र ने मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में आर्बिट्रेशन के सिलसिले में औद्योगिक न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। जिस प्रगति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसके सम्बन्ध में उनको भी कुछ नहीं कहना होगा। अलबत्ता यह कहा गया कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर इन

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

त्रिदलीय सम्मेलनों द्वारा निर्णय हुए जो हमारे कानून हैं श्रम सम्बन्धी, उनके परिपालन के सम्बन्ध में हमारे माननीय मित्र को शिकायत है। उससे यह नहीं माना जा सकता केवल कुछ शिकायतें रहने से हम सारी श्रम नीति के बारे में यह कह दें कि यह डिसएप्रूव की जाय, उचित नहीं है। उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर के मजदूरों के बारे में कहा, विजयनगर मिल के बारे में कहा और यह भी कहा कि विजयनगर के मिल मालिक ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया। इसी तरह उदयपुर मिल के मैनेजमेन्ट के बारे में भी यह कहा गया कि वहां पर भी गड़बड़ियां की गई। जहां तक इन चीजों का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर और मालिक का संबंध आपसी व्यवहार पर कायम रहता है। हमारे उद्योगों के लिये जो अनुशासन संहिता है उसका कितना पालन होता है, मालिक लोग उसका पालन करते हैं या नहीं, उनके जरिये मजदूरों का शोषण होता है या नहीं, उससे मजदूरों को फायदा मिला है या नहीं, बोनस के बारे में जो नीति बनायी है उसका कितना लाभ हुआ है या नहीं हुआ, उसका विरोध मैनेजमेन्ट द्वारा कितना होता है; इन सवालों पर विचार करना पड़ेगा। आज नई परम्परा त्रिदलीय सम्मेलन के जरिये निर्धारित की गई है; कोर्ट्‌स के जरिये, कन्सीलियेशन के जरिये मामले नहीं निपटते हैं तो कन्सीलियेशन फेल हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आर्बिट्रेशन के जरिये उन मामलों को निपटाया जाय। इन हालात को ध्यान में रखते हुए हमें श्रम नीति का विश्लेषण करना होगा।

जहां मजदूर और मालिक का सम्बन्ध खराब है तो यह आवश्यक है कि मजदूरों को राहत दिलाने के लिये जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाय। कोर्ट्‌स के जरिये फैसले होते हैं उसमें काफी समय लगता है, वे मामले आर्बिट्रेशन के जरिये तय किये जाते हैं, ताकि मजदूरों को जल्दी इन्साफ मिल सके, न्याय मिल सके। लेकिन आज के दिन हमारे यहां के मैनेजमेन्ट इसको मानने के लिये तैयार नहीं। हम उम्मीद यह करें, मालिक और मजदूरों में सद्‌भावना पैदा हो, मालिकों में इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी की भावना पैदा हो, अपने झगड़े कौंसिल्स के जरिये जो मजदूरों और मालिकों की बनी हुई है उनसे तय करायें। किन्हीं परिस्थितियों में यदि ये झगड़े तय नहीं हो पाते हैं तो आर्बिट्रेशन के जरिये हो, इस सिद्धान्त को हमें मानना चाहिये।

यहां जो कुछ वहस हुई उसके जरिये जो कुछ भी तथ्य सामने रखे गये उनके बारे में सरकार के मंत्रिगण ही ठीक प्रकार से जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं जिससे हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, किस तरह से हम राजस्थान के अन्दर जो श्रम नीति बनी हुई है उसका पालन करते हैं या नहीं, उस नीति का कितना पालन होता है, कितने हम आगे बढ़े हैं, उससे हमें कोई फायदा हुआ है या नहीं। सबसे पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस श्रम नीति को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं; एक तो इन्डस्ट्रियल लेजिस्लेशन जिनमें श्रम सम्बन्धी कानून बने हुए हैं, उनका पालन करने-करवाने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जहां सम्बन्ध आता है लेबर डिपार्टमेन्ट अपने अफसरों के जरिये प्रबन्ध करवाता है। दूसरा है श्रमिक हितकारी कानून और तीसरा है औद्योगिक विवाद। जो कुछ भी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों के बारे में शिकायत की, उन्होंने पहले जो एमेन्डमेन्ट बिल रखा था वह प्रस्ताव तो उनका गिर चुका; मैं तो यह कहूंगा कि भारत सरकार ने जो कानून बनाये हैं उन कानूनों से हम आगे बढ़े हैं। राजस्थान इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में अमेन्डमेन्ट पास हो चुका है जिसके जरिये रिप्रजेन्टेटिव ट्रेड यूनियन्स के कहने के अनुसार चेन्ज हुई हैं। शोप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट का कानून बना हुआ है जो राजस्थान सरकार ने बनाया है, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट बनाया है; ये तीन ऐसे कानून हैं जिसमें राज्य सरकार आगे बढ़ी है। भारत सरकार के बनाये हुए कानूनों के अन्तंगत यहां पर लागू किये गये हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : बाकी स्टेटों में भी है ऐसा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट है केवल बम्बई में।

श्री भैरोंसिह : बाकी स्टेटों में भी है इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तो आपका मतलब यह है कि यहां से हटा दें।

श्री भैरोंसिह : इसलिये मैंने नहीं पूछा है, मैंने तो इसलिये कहा है कि इसका श्रेय अकेले आप ही न लें, और जगह भी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बम्बई में इस तरह का प्रावधान है। बाकी की स्टेटों में भारत सरकार का इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, है, मध्यप्रदेश में एक है।

तो इसलिये मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगा कि यह जहां इस मामले में आगे बढ़ी है वहां अब सवाल यह भी आता है कि लेबर वेलफेयर के कानून भी यहां लागू रहें। इसका जहां तक सवाल है इसके खिलाफ हमारे माननीय स्वामीजी ने कोई शिकायत पेश नहीं की श्रम हितकारी मामलों में या और जो कल्याण के मामले हैं इस बारे में उनकी क्या शिकायत है, यह उन्होंने नहीं बताया।

पर असली जो शिकायत का मुद्दा पेश हुआ है वह श्रम सम्बन्धी औद्योगिक विवाद हैं जो कि मजदूरों और मालिकों के सम्बन्धों को लेकर है। हमारे माननीय सदस्य की यह धारणा है कि इन श्रम विवादों को लेकर हमारी सरकार कुछ पूंजीपतियों का ज्यादा समर्थन करती है ऐसी उनकी धारणा बनी है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है चूंकि वे मजदूरों में काम करते हैं इसलिये उनकी धारणा बन गई हो, कई मामले ऐसे हो सकते हैं, जिनमें ऐसी शिकायत हो सकती है क्योंकि जो पूंजीवादी मनोवृत्ति है उसकी हमेशा यह धारणा रहती है कि किसी प्रकार से शोषण करके मुनाफा अपने हाथ में अधिक से अधिक लें और इस बारे में उनकी धारणा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गलत नहीं है। हमारे उद्योगपतियों में जो कुछ भी वे हैं, उनमें यह दकियानूसी प्रवृत्ति मौजूद है आज भी। वे चाहते हैं कि श्रमिकों पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर और उन में फूट फैलाकर मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध बिगाड़े रखें और फिर हर मामले में वे भी सरकार को दोष देते रहें। वे किसी तरह से भी उद्योगों में शान्ति रखना नहीं चाहते। आपस में श्रमिकों में फूट डालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किस तरह कमाया जावे, यह उनकी मनोवृत्ति रहती है, मेरा खुद का तजुर्बा यह है। राजस्थान के उद्योगपतियों को जब तक ऊपर से पूरा दबाव डालकर नहीं कुछ कहा जावे वे मानते नहीं। उनकी यह धारणा हमेशा रहती है कि हम आज के लिये राजस्थान में इसलिये उद्योग करते हैं कि हम राजस्थान के लोगों के लिये रोजगार देने का अहसान करना चाहते हैं और इसमें अपने आपको उनके माई-बाप मानने की प्रवृत्ति आज भी मौजूद है।

वे अपनी इन्डस्ट्री खोलने को आते हैं यहां और जब हम कहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना में हमें काफी इन्डस्ट्रीज़ खोलनी हैं, प्रोडक्शन करना है, तो वे इस मनोवृत्ति का फायदा हर तरह से उठाते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार इस से अधिक से अधिक मुनाफा अपनी जेब में डाला जाय, और इसके लिये श्रमिकों को कभी एक नहीं होने दिया जाय, उनमें हर सम्भव तरीकों से फूट डाली जाय, वे हमेशा झगड़े ही करते रहें, पीस ऑफ लेबर कभी आवे नहीं और इस तरह से अपना अपर हेण्ड रखते रहें; इस प्रकार की कोशिश में वे रहते हैं और हम भी कुछ यह महसूस करते हैं कि आज के दिन राजस्थान में चूंकि इन्डस्ट्रीज़ लगानी हैं और इन्डस्ट्रीज़ लगाने से लेबर की संख्या बढ़ेगी। आर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स ज्यादा होगी, इसलिये सुविधाएं भी उनको देते हैं और हमदर्दी भी होती है, पर इसके माने यह नहीं कि हम इस बात को भूल जावें कि इससे हमें लेबर का भी हित करना है, देश का भी विकास करना है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। यह आवश्यक है कि इन्डस्ट्री लगे, पर यह भी साथ ही उतना ही आवश्यक हम मानते हैं कि काम करने वालों का लेबर का भी स्तर बढ़े, उनके अधिकारों की पूरी रक्षा हो, उनके परिश्रम का पूरा फल उनको मिले, मुनाफे में से भी हिस्सा मिले और तभी जाकर हम सच्चे माने में उद्योग का और श्रमिक का और देश का सब का विकास कर सकेंगे।

आज मजदूर अगर यह मांग करता है तो वाजिब ही करता है कि यदि मैं एक फैक्ट्री में काम करके मुनाफा देता हूं और उद्योगपति को मुनाफा मिलता है तो मजदूर को भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिये और इसलिये इसे सिद्धान्त रूप में मानकर भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि एक कमीशन की नियुक्ति की जावे जो बोनस के प्रश्न पर सिद्धान्त तय करे। उम्मीद यह करते हैं कि इस बोनस कमीशन की उपयुक्तता को उद्योगपति भी मान्यता देंगे; चाहे वे नन्दाजी के दबाव से हो या और फिर किसी के दबाव से हो। पर इस कमीशन के सौंपे जानेवाले मामलों के तय हो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जाने के बाद जैसे वेज बोर्ड के जरिये बड़े उद्योगों में मजदूरों के वेजेज् के सिद्धान्त को तय किया गया इसी तरह बोनस के भी सिद्धान्त को तय कर दिया जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) । मैनेजमेन्ट में भी उनका हिस्सा है, यह भी एक मुद्दा होना चाहिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर उद्योग को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, श्रम की दुनिया में शान्ति रखनी है तो इसके लिये यह आवश्यक है कि मैनेजमेन्ट अत्यन्त कुशल हो और इसकी कुशलता के लिये इस मैनेजमेन्ट में मजदूर का, श्रमिक का भी उचित हिस्सा हो, यह अत्यन्त आवश्यक है । भारत सरकार ने इस तथ्य को समझा है और वह उद्योगपतियों के साथ इस बात पर भी विचार कर रही है । उसने यहां तक इस सिद्धान्त को माना है कि ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स में भी जो उद्योगपति के अपने प्रतिनिधि आये, उन्होंने भी इसकी महत्वता को माना है । उन्होंने सब ने माना है कि इस सिद्धान्त को, वास्तव में हिन्दुस्तान में उद्योग की तरक्की करना है तो मानना होगा और उद्योग के मैनेजमेन्ट में मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जरा टाइम का ख्याल रखा जावे तो आगे बोलने वालों को भी अवसर मिलेगा । दूसरों को भी बोलना है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा, अभी तो पूरा समय भी नहीं हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : १५ मिनट दिये गये थे, बीस हो गये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर मेरे भाषण में पॉलिसी के अलावा कोई व्यक्तिगत चीज हो तो मैं माफी चाहूंगा । मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता । मैं तो केवल मुद्दे की और सिद्धान्त की बात रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Even then the Hon'ble Member will keep consideration of the time.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज के दिन इस सिद्धान्त को उद्योगपति मान चुके हैं कि मजदूरों का हिस्सा भी होना चाहिये और जब तक यहां इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी इस देश में कायम नहीं होगी, तब तक इन्डस्ट्रियल पीस भी इस देश में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेगी और मुझे खुशी है कि जैसे अभी एक उद्योग का यहां जिक्र किया गया, जावर माइन्स का, तो वहां की माइन्स के उस उद्योग के श्रमिकों ने, उनकी यूनियन ने अपने अधिकारों के लिये बड़ा संघर्ष किया और ऐसी स्थिति बनाई कि मैनेजमेन्ट को भी मानना पड़ा कि मजदूरों का हिस्सा उस उद्योग के मैनेजमेन्ट में हो और आज वे मिल-जुलकर सारी बातों का फैसला करते हैं । यह एक ऐसा उद्योग है जिसे इन्टक आज बताती है और इन्टक ने वहां के मालिकों से इस चीज को मनवाया है । इसके अलावा और कोई उद्योग राजस्थान में इस तरह का नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है हमारे यहां बहुत खामियां हैं। हो सकता है, हमारे यहां जो उद्योगपति हैं, दकियानूसी मिडीवियल टाइम की मनोवृत्ति वाले हों और उनको लेकर ही ये खामियां हों। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा श्रम विभाग ज्यादा से ज्यादा इस ओर ध्यान देगा क्योंकि जहां तक डिस्प्यूट का ताल्लुक है मजदूर के ओर्गनाइजेशन के पास में न फाइनेन्स होती है न किसी प्रकार की मदद उनको मिल सकती है कि जिससे वे अपने मामलों को तैयार करके आज के इन दकियानूसी मनोवृत्ति वाले उद्योगपतियों से लड़ सकें और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। ये उद्योगपति १५००) रुपये रोज पर अच्छे से अच्छे बैरिस्टर को लाकर कोर्ट में पेश करते हैं जिस मदद से हमारे मजदूर वंचित रह जाते हैं। वे इतना पैसा कहां से लाएं? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार जहां तक मजदूरों के झगड़ों का और उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का सवाल है और सरकार उन डिस्प्यूट्स को यह समझती है कि ट्रिब्यूनल में देना जरूरी है और सरकार इसे भी जरूरी समझे कि उनके अधिकारों की प्राप्ति में सरकार उनकी मदद करे, उनके लिये अच्छे वकीलों का अपने खर्चे पर इन्तजाम कराए क्योंकि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये, लड़ने के लिए, मजदूरों के पास ताकत नहीं कि वे रु.१५००) रोज का खर्चा कर सकने वाले उद्योगपति का अकेला मुकाबला कर जायं। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इसके लिये प्रावधान रक्खे।

थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकारी उद्योगों के बारे में भी। यह मान लिया गया है सिद्धान्त के तौर पर सरकार द्वारा कि सरकारी उद्योगों में भी जितने भी श्रम कानून हैं वे लागू किये जावें और वे लागू हैं। लेकिन आज उन श्रम कानूनों का पालन जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता। आज ही मेरे सामने एक झगड़ा आया कि जिसमें एक सरकारी उद्योग में वीकली होलीडे नहीं दी जाती। मिनिमम वेजेज का सवाल नहीं है, ओवरटाइम का सवाल नहीं है और कन्सीलियेशन पर मामला चलता है। उद्योगों के अफसर कहते हैं कि अभी तक हमारे पास इन्स्ट्रक्शन्स नहीं आई हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति इनमें है। ऐसी प्रवृत्ति को सरकारी उद्योगों में रोका जाना चाहिये और हमारे श्रम मन्त्रीजी इनमें पर्सनल इन्टरेस्ट लेकर सरकारी उद्योगों में इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करें।

(४ म० प०)

साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे उद्योग हैं कि जहां अभी तक कोई उनकी सर्विस कन्डीशन्स सैटल नहीं हुई। ट्रान्सपोर्ट के बारे में मेरा निवेदन है कि उनका ओवरटाइम, उनका माइलेज, उनका डेली एलाउन्स आदि का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि आज कितनी ड्यूटी देनी है और कल कितनी ड्यूटी देनी है, कितने मील जाना है? हो सकता है कि नया नया काम होने की वजह से कुछ समेटना बहुत मुश्किल है लेकिन जल्दी से जल्दी इस बात का ख्याल रखा जायगा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जहां तक हमारे श्रद्धेय स्वामीजी ने अपनी व्यक्तिगत जो उनके सामने शिकायतें आई हैं, रखी हैं; उन पर मैं उम्मीद करता हूं कि अवश्य जांच की जायगी और जांच करके स्वामीजी को संतुष्ट कराया जायगा। वह नीति का प्रश्न नहीं है, केवल एक इन्डिविजुवल कम्प्लेन्ट है जो राइज़ हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्वामीजी जिस तरह से मजदूरों के हित की बात करते हैं हम भी चाहते हैं कि वन इन्डस्ट्री वन यूनियन हो। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे ढंग अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। उसी लक्ष्य की ओर हम जाना चाहते हैं। वन इन्डस्ट्री वन यूनियन की स्वामीजी जो बात करते हैं तो अपनी यूनियन में स्वामीजी पहले वह करके दिखायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अनेक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि कोई टाइम लिमिट फिक्स-अप कर दिया जाय कि कब गवर्नमेंट का रिप्लाई शुरू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े चार बजे तक।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं)

Order please

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबको मौका दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सबको मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Does the Opposition want to talk it out?

श्री रामानन्द अग्रवाल : What?

श्री उपाध्यक्ष : Just talk the...... ...

श्री भैरोंसिंह : It depends upon the circumstances.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, all right; Shri Hari Prasad Sharma.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार श्रम के हित की कितनी रक्षा करती है, इस विषय में विचार करने के लिए यह प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है। स्वतन्त्र भारत होने के बाद और जिन नारों के साथ में हमने आजादी ली कि मज़दूरों का राज्य होगा, किसानों का राज्य होगा उनकी स्थिति का चिन्तन करें तो फर्क मिलेगा। मज़दूरों की सुविधाओं का खयाल रखा जाय, आज उसको देखते हैं तो मालिक, मैनेजमेंट और मज़दूरों की समानता में कितना फर्क है? आज उनके रहन-सहन, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके खेल-कूद और उनके मनोरंजन की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। वास्तव में अगर आज कहा जाय तो राजस्थान सरकार की जो उनके प्रति नीति है वह एक उदासीन नीति है और उससे श्रमिकों के हित करने का सवाल हल नहीं हो सकता है, अगर यह मैं कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे उद्योग के साथ में रहता हूं, मैं भी एक ऐसे उद्योग में काम करता हूं जहां कि मज़दूर पत्थर से सोना बनाते हैं, वहां रात-दिन पत्थर तोड़कर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सीमेन्ट बनाते हैं जिससे बनी हुई बड़ी बड़ी हवेलियां दिखाई देती हैं जिनमें आज हम बैठकर आराम की सांस लेते हैं । मैं प्रत्यक्ष में देखता हूं कि वे ही मजदूर ५-५ फीट की झोंपड़ियों में बैठे हैं । उनके घरों में दीया नहीं जलता है । सरकार ने उनकी सुविधाओं के बारे में किसी प्रकार का प्रावधान रखने की कोशिश नहीं की । मुझे अच्छी तरह से याद है कि मज़दूर विशल बजने के बाद में पहुंचता है और ४-५ दिन देरी करता है तो वार्निंग मिलती है, चार्जशीट मिलती है और चूंकि यह कानून है कि किसी को भी ३-४ दिन की वार्निंग मिल गई तो उसकी तरक्की पर करीब करीब पानी फिर जाता है । इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिए वे तंग करते हैं । लेकिन जब इनको दूर कराने के लिए संगठन बन गया, यूनियन को गठन करने का अवसर दिया गया है तो जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है । आई० एन० टी० यू० सी० के कार्यकर्ता हों या और कोई कार्यकर्ता हों मैनेजमेंट का तौर-तरीका यही रहता है कि वे उनको अपनी ओर लेने की कोशिश करते हैं और फिर किसी और तरीके से मजदूर कार्यकर्ताओं को दबा देते हैं । हमारी सरकार इसके बारे में उदासीन रहती है । जो अधिकारी इससे संबंधित रहते हैं वे दौरा करने जाते हैं तो मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है कि वे मैनेजमेंट के बंगलों में विश्राम करते हैं और मैनेजमेंट वालों का खाना खाकर चले जाते हैं । वे मजदूर प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, यहां तक कि उद्योग में भी नहीं जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष में जाकर देखने की कोशिश नहीं करते हैं । वे उन मज़दूरों की झोपड़ियों को जाकर देखने की चेष्टा नहीं करते हैं कि वे किस दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, उनकी सही स्थिति क्या है ? अगर मज़दूर कट जाते हैं तो उनकी एक्सीडेन्ट रिपोर्ट का पता नहीं लगता है और अगर कहीं से कोई मज़दूर कार्यकर्ता किसी प्रकार से शिकायत को आगे बढ़ाता है तो आगे आने वाले छोटे छोटे मज़दूरों को डिसमिस कर दिया जाता है, उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है, उनको बदल दिया जाता है । अगर सही मांग को आगे लेकर बढ़ता है तो सारे विवादों को निबटाने के लिए राजस्थान सरकार का ट्रिब्यूनल है; तो उस ट्रिब्यूनल में सभी मज़दूर फैसले नहीं करा सकते हैं और अगर कोई पहुंचते हैं तो पूंजीवादियों के हाथों में बड़े बड़े वकील होते हैं वे आकर उनकी पैरवी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी कानून की किताबें खोली जा सकती हैं । इसके उपरान्त भी अगर ट्रिब्यूनल में किसी प्रकार से मज़दूर कामयाब हो जाय तो उनके सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है । इस तरह से मज़दूरों के प्रति उनके हाथों ज्यादती होती है और कानूनी शिकंजों में उनको १० वर्ष भी लग सकते हैं । तो वह इतने समय तक इन्तजार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने बाल-बच्चों को पालना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान और खासतौर से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय प्रत्यक्ष में लाखेरी पधारें और देखें

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कि वहां के मैनेजर का बंगला हमारे चीफ मिनिस्टर के बंगले से कहीं ज्यादा अच्छा है, उनके बच्चों का रहन-सहन किस तरह का है। वह बीच में पड़ता है और जब भी कोई उच्च अधिकारी जाते हैं तो उस बंगले में ठहर कर उनके सामने सलन्डर (सरेन्डर) हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हमारी मज़दूर बस्ती में एक नाला पड़ता है उसको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रीजी गये तो वहां पर यूनियन के कार्यकर्त्ता चाहे उनकी ही पार्टी के हों उनको, म्युनिसिपेलिटी के अधिकारियों को, एम० एल० एज० को किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं भेजा और केवल क्लेक्टर साहब को सूचना दे दी कि उस दिन वे वहां पधार रहे हैं। एक दिन हम देखते हैं कि मैनेजर साहब के बंगले में बड़े-बड़े अच्छे दरवाजे बनाये जा रहे हैं। उधर से जब मैं निकला तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? क्या आज कोई आने वाला है? तो पता लगा कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रीजी वहां पधार रहे हैं। हमने भी लोगों से कहा और जब हम वहां गये तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए शर्म आती है कि मंत्री महोदय उस बंगले में तब तक बन्द रहे जब तक कि हमारे मजदूरों के प्रेसीडेन्ट ने उनसे जाकर.........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उनको बन्द कर दिया था?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दूसरे रोज जब हम मजदूर लोग और वहां की पंचायत के सरपंच ने उनको मजदूरों की बस्ती का अवलोकन कराया, वहां की पंचायत ने बताना चाहा कि मजदूरों को हाउसिंग स्कीम के अनुसार जमीनें नहीं मिलती हैं, मैनेजमेंट की तरफ से बस्तियां बसाई जाना तो दूर रहा लेकिन जब मजदूर कीमत पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो भी वे मकान नहीं बना सकते हैं। वे ५-५ फुट की झोंपड़ियों में नारकीय जीवन बिता रहे हैं। उस भयंकर यातना से छुटकारा पाने के लिए अपने श्रम से कमाये हुए पैसे से मकान बनाना चाहते हैं तो उनको जमीन नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि मंत्री महोदय सरकारी खर्चे पर वहां पहुंचते हैं, उन्हें मजदूरों की बस्तियों का निरीक्षण करते हुए शर्म आई, लेकिन वहां एक मीटिंग में उनको मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया कि मैनेजर साहब ने इतना अच्छा अच्छा खाना दिया और पार्टी दी और यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे जयपुर पधारें तो उनको नहीं भूलें। अफसोस है, मुझे इस बात के लिए कि न वे मजदूर प्रतिनिधियों से मिले और उसका निरीक्षण किया। यह किस तरह से पक्षपात होता है?

वास्तव में परिवर्तन करना चाहिये। जहां पर मजदूर रहते हैं वहां के सेनिटेशन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वहां के सेनिटेशन की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि वे लोग नरक की तरह रहते हैं। सेनिटेशन की ओर ध्यान देना आपका कर्त्तव्य था। यह ठीक है कि आप कानून के द्वारा मजदूरों का भला करने की बात करते हैं लेकिन आप उन पूंजीपतियों के चन्द चांदी के टुकड़ों पर, उनके पैसों पर चुनाव जीतते हैं तो यह लाजमी कि आप उन्हीं का

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

समर्थन करेंगे। मैनेजमेंट वाले डंके की चोट पर कहते हैं कि राजस्थान के मंत्री हमारी जेब में रहते हैं और भारत सरकार के मंत्रियों को भी हम जेबों में रखते हैं; जिस रास्ते चलाना चाहते हैं उस रास्ते चलते हैं। मैनेजमेन्ट की यह हालत है कि घनी बसी हुई आबादी की जमीन को एक्वायर कराना चाहते हैं। मैं आपके सामने पार्लियामेन्ट का उदाहरण देता हूँ। एक बिल वहां पर आया था कि मजदूरों को रहने के लिए जमीन दी जाय लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने डट कर उसका विरोध किया और दूसरी तरफ हमारे यहां के भूतपूर्व उद्योग मंत्री जो कंपनी के पुराने वकील थे और अब भी हैं उन्होंने अपने समय में इस कंपनी को १०१ मील का माइनिंग लीज़ कायम करके दे दिया। अब वे वहां पर सिनेमा हॉल से लेकर मजदूरों की झोपड़ियों को एक्वायर करवाकर वहां पर कोयलों के लिये स्टोर बनवाना चाहते हैं। हमने इसका विरोध किया। हमने कलेक्टर को कहा कि आप किस आधार पर कोयलों का भंडार बनाने के लिये जमीन लेना चाहते हैं जब कि हमारे देश में कोयले का अभाव है। डबल लाइन डालने के नाम पर भी लोगों को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं जब कि स्टेशन से फैक्ट्री तक डबल साइडिंग डाली हुई है।

अब मैं कुछ शब्द मजदूर-नीति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार मजदूरों के स्तर को कानून के द्वारा कितना ऊंचा उठाना चाहती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण ह। यदि मंत्री महोदय सारे राजस्थान का दौरा करेंगे तो उनको इसका पता चल जायगा। मैं आपको श्रम नीति के बारे में बताना चाहता हूं। सेन्ट्रल वेज बोर्ड ने फैसला किया कि सीमेंट उद्योग के मजदूरों को इस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाय, लेकिन सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में वेज बोर्ड की सिफारिश लागू नहीं हो सकी। आपने उसके खिलाफ क्या किया? मजदूरों ने जब इस मामले को आगे चलाया तब मालिक मजबूर किया गया। आप सब जानते हैं कि इस माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की जीपें चुनावों में रात-दिन दौड़ी हैं। ऐसी हालत में या तो आप मजदूरों का गला घोंट दीजिये या श्रम नीति चलाना चाहते हैं तो हिम्मत के साथ अग्रसर होइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं लेकिन बताना चाहता हूँ कि मजदूरों के हित के लिये आप कमेटी बनाते हैं तो क्या आपने उसकी रिपोर्ट को देखा है। उसने जो शिफारिश की है उसको लागू करने में क्यों डिले करते हैं। आपने बीमा योजना लागू की है और डींग मारते हैं कि उसमें मजदूरों को राहत मिलती है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि उससे कोई राहत नहीं मिलती। मेरे यहां की सीमेंट फैक्ट्री में आज तक यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। आज यह हालत है कि जो लोग ५), ७) रु० माहवार देते हैं उनको आज एक पैसे की भी दवाई नहीं मिलती है। वहां दवाई लिख देते हैं और उनको बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। सरकार के डॉक्टर मैनेजमेन्ट की ज्यादा परवाह करते हैं और मजदूरों की कोई परवाह नहीं करते हैं। मैं पूछना

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

चाहता हूं कि आपकी नीति आखिर है क्या ? आप स्वास्थ्य ठीक नहीं करवा सकते, आप मजदूरों के बाल बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करवा सकते, स्कूल नहीं खुलवा सकते, मजदूरों के मनोरंजन के लिये कुछ नहीं करवा सकते, जब कि दूसरी ओर मैनेजमेंट के लिये बड़े बड़े क्लब और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। फिर आपकी श्रम नीति क्या है और क्या आपने नियम बनाये हैं ?

आप कोटा स्टोन की जानकारी लीजिये। कोटा स्टोन एक बहुत बड़े सेठ की है जिनके इशारों पर कोटा की सारी पोलिटिक्स चलती है। जो मजदूर उस खान में काम करते हैं वे ८ महीने काम करते हैं और ४ महीनों तक उनको खाली बैठा दिया जाता है। वहां पर ठेकेदारी प्रथा चलती है और उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सरकार की नीति को लेबर के प्रति उदासीन नीति मानता हूं। मैंने इसके लिये अलग अलग प्रमाण दिये हैं, भविष्य में कभी समय मिला तो फिर प्रस्तुत करूंगा। मैं आशा करता हूं कि श्रमिकों के बारे में नये मंत्री महोदय ज्यादा चिन्ता करेंगे। श्रमिक सम्मेलन रामकरणजी जोशी के टाइम में हो गया, उसके बाद बंद कर दिया; उसे पुनः चालू करने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

इसके पश्चात ४॥ बजे मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, समय थोड़ा और एक्स्टेन्ड कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। यह लेबर पॉलिसी का मामला है जो बहुत समय बाद हाउस के सामने आया है। मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। मैं समझता हूं ट्रेज़री बेन्चेज़ भी सहयोग देंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रमिक नीति के संबंध में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हुआ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले सरकार की तारीफ अवश्य की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने सरकार की जिस प्रकार से आलोचना की वह स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार श्रम नीति के संबंध में इस प्रकार से व्यवहार कर रही है कि आज प्रत्यक्ष में राजस्थान सरकार की कोई श्रम नीति है, इसका आभास किसी भी प्रकार से नहीं होता। वे कहना चाहते हैं कि हमने कोई घोषणापत्र जारी किया है तो मैं समझता हूं घोषणापत्र इस नीति का द्योतक है। राजस्थान में जहां तक 'श्रमिक' शब्द आता है यदि उसका इतिहास देखना चाहें तो सरकारी आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की कोई श्रम-नीति नहीं है। मैं इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के पैराग्राफ २ से बताना चाहूंगा, जिससे मालूम होगा कि हमारे मैनेजमेन्ट की तरफ से रिलीफ दिलाने के लिये सरकार जो व्यवस्था कर रही है वह किस प्रकार की है:—

"From the examination of the officers of the Department, the

(श्री भैरोंसिंह)

Committee could gather that suitably trained personnel was lacking in the Department. It is really unfortunate that such an important Department, which can be called backbone for the development of industry in the State, is callously ignored by the Government."

यह सरकार को अपने आपसे मालूम होगा कि उनकी कार्यवाही किस प्रकार से चल रही है। उसके आगे यदि सरकार स्वयं देखे तो उनका वर्किंग ट्रेड यूनियन्स का, उनके वर्किंग ग्रुप का रेकॉर्ड है उसको स्वयं देखें तो उससे अंदाज होगा कि हमारी सरकार किन किन चीजों को सामने रख कर चल रही है, लेकिन उनका प्रबन्ध अभी नहीं कर पायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह कह सकती है कि हमने मजदूरों के संबंध में कुछ काम किये हैं। लेकिन मुझे याद है जिस समय यहां पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना पर बहस हो रही थी उस समय हमारी सरकार ने गर्व पूर्वक कहा था कि हम जितना बजट एलोकेशन इस मद में रखते हैं उसको पूर्णतया खर्च कर पायेंगे। लेकिन बावजूद इस बात के कि दूसरी योजना में ६१ लाख रुपये का एलोकेशन किया था, लेकिन सरकार कुल ३१ लाख रुपये ही खर्च कर पाई। कहना यह चाहिये कि ५० प्रतिशत अमाउन्ट लेप्स हो गया और उसका कारण कोई आज यह समझे कि मजदूरों के हित में जो काम करना चाहते थे वे नहीं कर पाये होंगे। वैसी बात नहीं है, बल्कि लिखा है सैकन्ड प्लान में जो हाउसिंग, टर्बाइन आदि नहीं लगा पाये, लेकिन हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और इस वर्ष जिस समय थर्ड फाइव ईयर प्लान मंजूर हुआ, मंत्रीजी सहमत होंगे कि इस वर्ष लेबर वर्क्स पर जितने रुपये खर्च होने चाहिये थे उतने खर्च नहीं हो पाये, लास्ट ईयर भी नहीं हुए। इस वर्ष के बारे में इस समय नहीं कहा जा सकता लेकिन जिस समय बजट पेश होगा उस समय अपने आप आभास होगा कि जितना बजट रखा था उतना खर्च नहीं कर सके। मैं समझता हूं इसमें दिक्कत है, मोटी दिक्कत है, राजस्थान सरकार नहीं कर सकती। इसका आभास बूंदी के माननीय सदस्य के भाषण से होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आज उद्योगपति मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मजदूरों का तो शोषण करते ही हैं लेकिन साथ साथ सरकार का भी शोषण करते हैं और इन दोनों के शोषण द्वारा अपना लाभ किस प्रकार करते हैं उसके होते हुए उनको मजदूरों की चिन्ता नहीं है। अगर अब सरकार कहे कि हम कर रहे हैं तो मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं कि राजस्थान में जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, क्या आपके पास उतने फैक्ट्री इन्सपेक्टर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने फैक्ट्रीज़ का कब कब इन्सपेक्शन किया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में मोर देन ७५ परसेन्ट फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका एक बार भी फैक्ट्री इन्सपेक्टर ने इन्सपेक्शन नहीं किया है।

आज आप कहें कि मजदूर सारे के सारे अपने ग्रीवान्सेज़ सामने रखें तो वे किस तरह

(श्री भैरोंसिंह)

से रखें ? आपने उनके जितने काम थे, उनको बाइफर्केट कर दिया है कुछ को इन्डस्ट्रीज़ को दे दिया है, कुछ को मेडिकल को दे दिया है और आपके पास कोई विशेष काम नहीं रहा है। आप चाहें हाउसिंग को देख लें, जो सब्सीडाइज़ हाउसिंग स्कीम हैं, उसको आप देखिये, मजदूरों के लिए मकान बनाने हैं, आपने जो लेबर कॉलोनी बनाई है उसमें कितनी मजदूरों की संख्या है, उनका अलोटमेन्ट किस तरह से होता है, ऑथोराइज्ड लोग उसमें कितने हैं ? इस तरह की जानकारी करने का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि श्रमिकों के हित की तरफ ज्यादा ध्यान निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट में हैं, उनका हित होता है। मैं समझता हूं कि जो प्रोफिट फैक्ट्री से मिलता है उसके अन्दर जब तक उनका हिस्सा नहीं होगा तब तक मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे। थर्ड फाइव इयर प्लान में जो ऑब्जेक्टिव था उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रोडक्शन का बढ़ना ही सब कुछ नहीं है, देश की इकोनॉमिक कन्डीशन ठीक हो जाय उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही इकोनॉमिक फेक्टर है। इस तथ्य को सरकार ने बुरी तरह से इग्नोर किया है। आप किसी भी फैक्ट्री में जायं, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में जायं; मैं कहूंगा आप उन मजदूरों की झोंपड़ियों में घुस जायं, मैंने घुसने की कोशिश की है, माननीय उपाध्यक्ष, वे तीन फीट से ऊंची नहीं हैं। वहां पानी भर जाता है तो लकड़ियां लगाकर लोग सामान रखते हैं।

वे बोनस के लिए भूख हड़ताल करते हैं तो सरकार उनको दबाने की कोशिश करती है। उनको बोनस नहीं मिलता है। उनको जो रिलीफ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, हाउस का बेनिफिट मिलना चाहिए, मेटर्निटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, इन्श्योरेन्स-मेडिकल एड का बेनिफिट मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मै कहना चाहूंगा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य जो चले गये हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष हैं और जो रिप्रज़ेन्टेशन किया करते हैं; जयपुर की बॉल बेयरिंग फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री का जयपुर राज्य के जमाने में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब एक करोड़ का एस्टेब्लिशमेंट था, आज २१ करोड़ का है। लेकिन आज तक एक पैसा भी बोनस का नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि बिड़ला का मुकाबला करने की राजस्थान सरकार में हिम्मत नहीं है, सेठ उसका मुकाबला कर सकते हैं और सेठों से पैसा लेकर इलेक्शन लड़ने की भावना रखती है और मजदूरों की चिन्ता नहीं करती है।

आपने जो प्लान में आब्जेक्टिव रखा है, जो कानून बना रखे हैं वे कहां लागू हैं ? हम राजस्थान विधान सभा में कहें कि जितने ऐसे कर्मचारी हैं उनके बारे में सरकार क्या कर रही है तो कोई नहीं सुनता। वे लोग चिल्लाते रहते हैं। आपके इन्सपेक्टर कभी जाकर इन्सपेक्शन नहीं करते हैं। ऐसे कर्मचारी हैं इनका वर्किंग ठीक हो, सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे। लेकिन हमारी सरकार यह समझ कर चल रही है कि हमने अगर ऐसे स्टेप्स लिये तो हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वे बन्द हो जायेंगे। व्यावर से आने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सदस्य ने कहा कि प्लानिंग कमीशन ने मूव किया है; जोइन्ट मैनेजमेन्ट के लिए। मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में एक नजीर दी है अभी हाल की, राजस्थान इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के बाद में जोइन्ट मैनेजमेंट का प्रिन्सिपल लागू किया है। आप नहीं कह सकते कि उद्योगपति मानते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप यह कन्डीशन रख दीजिये कि राजस्थान में उद्योग चलाना चाहें तो जोइन्ट मैनेजमेंट के बेसिस के ऊपर जो प्रोफिट होगा उसमें शेयर देने की व्यवस्था इन्डस्ट्री में लागू करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन्डस्ट्रीज़ का नम्बर बढ़ा दीजिये, उससे उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितना कि कम इन्डस्ट्रीज़ हों और जोइन्ट मैनेजमेंट और शेयर बेसिस पर चलने वाली हों उससे होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। आपके रिकन्सीलियेशन, बोनस और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट के केसेज़ पड़े रहते हैं, इनके बारे में कोई चिन्ता नहीं करते हैं, इसकी लेबर डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं रहती है क्योंकि कोई केस डाइरेक्ट मिनिस्टर साहब करते हैं और कोई लेबर डिपार्टमेंट को चला जाता है। केस पड़े रहते हैं, उससे मजदूरों को परेशानी हो जाती है। उसके बाद किसी प्रकार स्टेप लिये जाते हैं, वे आपके महकमे में न जाकर जिस प्रकार सरकार आदेश दे देती है उस तरह लिये जाते हैं।

सरकार कहेगी कि हमने लेबर के लिये वेलफेयर बोर्ड लागू किया है, त्रिसदस्यीय सम्मेलन की योजना बनाई है। आप राजस्थान के आंकड़ों को देख कर बतायें कि कितनी ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स की हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान डिस्प्यूट के मसलों को लेकर, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ के मसलों को लेकर ट्रिपार्टाइट सम्मेलन की व्यवस्था करते तो उतना लाभ होता। लेकिन हमारी सरकार यह करने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जितनी लेबर के हित में चिन्ता करेंगे उतनी ही राजस्थान में इन्डस्ट्रियल ग्रोथ होगी।

आज राजस्थान सरकार उल्टी चल रही है। राजस्थान सरकार यह समझ कर चल रही है कि जितनी इन्डस्ट्रीज़ उद्योगपतियों की मार्फत लगाने की चिन्ता करेंगे और जितनी मजदूरों की चिन्ता नहीं करेंगे, उतना ही लाभ होने वाला है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं पूरा इस बारे में विश्वास करके चलता हूं कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को आना पड़ेगा राजस्थान में क्योंकि राजस्थान ऐसा है जहां रॉ मेटरियल मिलता है और राजस्थान की सोइल को लेकर ज्यादा लाभ उठाने की चेष्टा कर सकते हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि मजदूर यूनियनों के सम्बन्ध में जो अवार्ड दे दिया है, उसके बाद में उसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाय, इस प्रकार की चेष्टा सरकार की ओर से नहीं की जाती है। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि यातायात मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि १९५९ के अन्दर अजमेर डिविज़न के, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जितने मोटर ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज़ थे, उन्होंने माँग की और उस पर

(श्री भैरोंसिंह)

एक ग्रार्बिट्रेटर नियुक्त किया । उसने ग्रवार्ड दिया । उसके बाद में, माननीय यातायात मंत्री जी बतायेंगे कि उसे कब लागू किया । मैं समझता हूं कि ग्राज के दिन तक उसे लागू नहीं किया गया है । भारत सरकार कहती है, प्लानिंग कमीशन कहता है लेकिन राज्य सरकार फिर भी ग्रवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुरेज करती है । सरकार की यह ग्रहम ड्यूटी है, उसके लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए वह करनी चाहिए लेकिन बदकिस्मती है कि उस प्रकार की कोशिश नहीं होती । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां ग्रवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, वेजेज़ का क्वश्चन है, रिलीफ देने का क्वेश्चन है ग्रौर चाहे ग्रौर किसी प्रकार की राहत देने का सवाल है, हमारी सरकार मौन रह कर चलती है, डिपार्टमेंट मौन है ग्रौर डिपार्टमेंट के मौन रहने का सब से बड़ा कारण यह है कि ग्राज जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट है, मैं कहना चाहूंगा कि जो लेबर के मामले हैं, मिल मालिक ग्रौर मजदूरों के बीच के मामले हैं, वहां लेबर डिपार्टमेंट ग्रगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट होकर चलता है तो नेचुरल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट वाली मशीनरी कों सरकार का पक्ष लेना पड़ेगा, उसका लेना है जिसके गाइडेन्स के लिए बड़े पूंजीपतियों द्वारा हाथ रखा हुग्रा है ।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राजस्थान की इन्डिपेण्डेन्ट मशीनरी हो, वह सरकार की हो, लेकिन उसमें जुडिशियल ग्रॉफिसर्स हो सकते हैं, उसमें लेबर डिस्प्यूट के ग्रौर लेबर के सम्बन्ध के मामले नहीं दिये तो लेबर के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई राहत का काम नहीं हो सकता । ग्रापने शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को दिया है, एम्प्लॉईज इन्श्योरेन्स स्कीम ग्रापने इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट को दे दी है । इसका मतलब यह है कि लेबर डिपार्टमेंट का काम समाप्त हो गया है । ग्राप माइका माइन्स में चले जाइये, वहां कुछ लोगों ने मोनोपोली बना रखी है । वहां एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी जांच नहीं करते हैं ग्रौर उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है । उसके पीछे एक कारण है जिसे मैं सदन में नहीं कहना चाहूंगा लेकिन कई व्यक्तियों के एक्सीडेंट्स के बारे में जो सदन में कहा जाता है, उन एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट ग्रापके डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी । डिपार्टमेंट की जो इन्क्वायरी हुई है उसमें वह नहीं मिलेगी ।

मजदूर मरते हैं, पिटते हैं, किसी का हाथ टूटता है, कोई ग्रपंग हो जाते हैं, उनके बारे में सरकार को चिन्ता नहीं है । ग्रब सरकार यह कह कर चले कि हमारी तो नीति है । मैं कहता हूं कि ग्रापकी नीति क्या है ? किस प्रकार की नीति है ? नीति सबसे बड़ी है, जो नीति सरकार की है नहीं ग्रौर जिसका मैंने जिक्र किया है कि जब तक इन्डस्ट्री के ग्रन्दर मजदूरों का हिस्सा मैनेजमेंट के लाभ में नहीं होगा तब तक इन्डस्ट्रियल ग्रोथ ग्रापके कागजों में तो होगा लेकिन फील्ड में नहीं होगा ग्रौर ग्रापका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा । यह सरकार की नीति में नहीं है । ग्रगर है तो सिर्फ जुबान ग्रौर कागजों में है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है । मैं

(श्री भैरोंसिह)

यूनियन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरी मान्यता है यूनियन के सम्बन्ध में कि सरकार का ही नहीं मजदूरों का भी हित नहीं हो पायेगा जब तक कि बाहर के इम्पोर्टेड व्यक्ति यूनियन में रहेंगे और पोलिटिकल भावनायें रहेंगी। क्योंकि इससे एक स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति को लेकर राजनैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है और दूसरी पार्टी भी हो सकती है, इनमें द्वन्द्व हो सकता है। इसके सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि मजदूरों की ट्रेनिंग क्लास चले जिससे उनको एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी हो, यह जानकारी हो कि उनके अधिकार क्या हैं, इस सम्बन्ध में जानकारी उनको बिना लीडर के दे सकते हैं; नहीं तो यह होता है कि आज इन्डस्ट्री मिनिस्टर हैं वे आज इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की पैरवी कर रहे हैं। अगर चुनाव में हार गये तो लेबर लीडर हो गये। कैसे हो गये, यह मैं समझ नहीं पाता। वे जिस समय केसेज़ लेकर चलते हैं तो सरकार से प्रोटेक्शन मिलता है। मजदूर समझते हैं कि लेबर मिनिस्टर थे, इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे, ये हमारा रिप्रजेन्टेशन करते हैं तो मंत्री रहने के कारण इनके दबाव से रिलीफ मिल सकेगी। इस तरह के मेथड अपनाये जाते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि यूनियन वे बनाते हैं, जो आइ० एन० टी० यू० सी० में हैं और किसी प्रकार के संगठन हैं, उनके प्रति एक नीति अख्तियार करके चलना पड़ेगा कि जिस कानून के अन्तर्गत जो रिलीफ मिलना चाहिए, उसी प्रकार रिलीफ दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती है ऐसी चीज नहीं होती। मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज एक प्रश्न ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और खास तौर पर पी० डब्लू० डी० से सम्बन्धित है। आप जयपुर में चले जाइये, राजस्थान में चले जाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। जितने पी०डब्ल्यू०डी० वर्क्स हैं, वाटर वर्क्स हैं, उनके संबंध में आज इस प्रकार की भयंकर स्थिति बनी हुई है कि कुछ पर फैक्ट्री एक्ट लागू हैं, किसी पर राजस्थान सर्विसेज़ रूल्स लागू हैं। दोनों में स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस केडर में राजस्थान सर्विस रूल्स लागू हैं, किस पर फैक्ट्री एक्ट लागू हैं। जब श्रम सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत राहत देने की कोशिश करते हैं तो आपके राजस्थान सर्विस रूल्स बाधक हो जायेंगे और राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत रिड्रेस देने की कोशिश करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट बाधक हो जाता है। सरकार बताये कि कौनसी दिक्कत है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क्स, पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर, मजदूरी करने वाले मजदूर संगठन करके भूख-हड़ताल करें तब सरकार की आँखें खुलें, यह सरकार के लिए शोभा की बात है? सरकार को स्वयं इनीशियेटिव लेना चाहिए कि उनकी प्रेक्टीकल डिफीकल्टी क्या है, उनको सोल्व किस तरह कर सकते हैं। इसके साथ ही केजुअल लेबर का प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा छः महीने सर्विस में रख सकते हैं उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को जाता है तब उसका

(श्री भैरोंसिंह)

कन्फर्मेशन होता है। लेकिन राजस्थान सरकार के विभाग में, बाकी के प्राइवेट इन्डस्ट्री का जिक्र नहीं करता, सरकारी विभाग में आठ-दस साल के केजुअल लेबर पड़े हैं, वे टेम्पोरेरी पड़े हैं, उन्हें छुट्टी का फायदा नहीं मिलता, उन्हें बोनस का फायदा नहीं मिलता। उनको जो भी कानून के अन्तर्गत सहूलियतें मिलनी चाहिए नहीं मिलतीं। सरकार कहती है कि इतनी वेकेन्सीज़ हैं। मैं नहीं समझ पाया कि एक तरफ सरकार यह कहती है कि जगह खाली नहीं है। जब नहीं है तो पेमेन्ट कैसे होता है? मैं फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेम्पोरेरी व्यक्तियों की तनख्वाह रोकी है। हमेशा होता यह है कि अपने लोगों को पनपाने के लिये ऐसा करते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० में जितने टेम्पोरेरी लोग हैं उनको कन्फर्म किया जावे और जो बाकी के लोग हैं, जो आज ८ या ९ सालों से वहां काम कर रहे हैं उनके बीच में जो लोग आते हैं उनको मिटा दिया जावे। मैं इस बात को मानूंगा कि हमारी सरकार इस मामले में सजग है और कुछ कर रही है।

पिछले समय में, प्रेस के कर्मचारियों के साथ हुए अत्याचार के संबन्ध में मंत्री महोदय से मिला था। मगर आज भी आप प्रेस के कर्मचारियों की क्या स्थिति है, देखें तो आपको मालूम होगा कि आज प्रेस में साम्प्रदायिकता का बोलबाला है और वह साम्प्रदायिकता का ऐसा अड्डा बन गया है कि एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को आपस में फंसाने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि प्रेस कर्मचारियों के साथ विक्टीमाइज़ेशन हो रहा है कि एक व्यक्ति को बीकानेर से जोधपुर और जोधपुर से दूसरी जगह महज़ विक्टीमाइज़ करने के लिए बदल दिया जाता है और जब तक वह तंग आकर उनके सामने ईल्ड नहीं कर दे तब तक उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार की नीति प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ की है और सरकारी इन्डस्ट्रीज़ की भी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये कि जो नीति मजदूरों के हित में हो और जो सरकार को करना चाहिये वह सरकार करे, यह सरकार के लिये अच्छी चीज होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की लेबर पॉलिसी के इन्ट्रेस्ट में सुझाव देने के लिये मजदूरों, मालिकों व सरकार के प्रतिनिधियों का एक बोर्ड गठित करे जो श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की जांच कर सरकार को अपनी परामर्श दे, एक इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड बना दिया जावे जो सरकार को सलाह दे। अगर निष्पक्ष रूप से उन्होंने जांच करके अपने सुझाव दिये तो निश्चितरूप से सुधार होगा।

इतना कह कर मैं ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो, एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह इसलिये कहना चाहता हूं कि वह पब्लिक के हित में है और वह है किशनगढ़ के मजदूरों की और माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे। बदकिस्मती कहिये या और कुछ कहिये, सरकार यह कह कर कि यह मिल लिक्विडेशन में

(श्री भैरोंसिंह)

चली गई इसलिये वह कुछ नहीं कर सकती; मैं यह कहूंगा कि आप और कुछ न करें, आप उनको तनख्वाह न दें, नौकरी न दिलावें, न दिलाइये लेकिन उनका जो पी० एफ० का पैसा कटा है वह तो मालिक से दिलावें। आज मजदूरों ने सरकार के विश्वास पर ही तो अपना पी० एफ० जमा कराया था।

सरकार यह कह सकती है कि एसेट्स और लाएबिलिटीज़ का एसेसमेंट हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि एसेट्स रात-दिन बेचे जा रहे हैं। लाएबिलिटीज़ का खर्चा दिखा कर जो बिक्री से आमदनी होती है उसको भी खत्म किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जो स्वयं मजदूरों में रहे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट में ही ऐसा हो रहा है।

फोरेस्ट में आपने कोऑपरेटिव बनाई है, आपने किन किन की एप्लीकेशन्स रिजेक्ट की हैं उसकी जानकारी दिला सकते हैं।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय उपाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि प्लान के नाम पर काफी पैसे का एलोकेशन होता है और काफी पैसा खर्च होता है मगर सरकार का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसलिये इसको ठीक करना उचित होगा। इतना कह कर मैं ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे बोलने का अवसर देने की कृपा करें।

(और भी अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बोलने का समय नहीं मिला है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि एक घन्टा और समय एक्स्टेन्ड कर दिया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऑफिशियल डेज़ होते हैं तब हम भी समय देकर बैठते हैं; आप भी हमसे कोऑपरेट करें और समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि अभी इस विषय का बिल आया इसमें लेबर पॉलिसी पर काफी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो दोनों तरफ से काफी प्रकाश इस पर डाला जाना चाहिये वह डाला जा चुका है। इससे सरकार को काफी प्रेरणा मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इस सारी कार्यवाही को लंबी करेंगे तो कोई अंत नहीं होगा। कभी किसी को और कभी किसी को मौका मिल सकता है। मैं सहयोग की बात चाहूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उधर के माननीय सदस्य आधा आधा घन्टा तक बोले हैं। हमें भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of Order, Sir, यह सदन की परम्परा रही है कि जब कभी कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पॉलिसी का होता है तो सभी पार्टीज़ के सदस्यों को और खास कर लीडर्स को बोलने का अवसर देते हैं और उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि वे अपनी पार्टी की नीति को हाउस के सामने रख सकें। सोशियल पार्टी को मौका बोलने का नहीं मिला है। इसलिये एक व्यक्ति को तो बोलने का मौका दिया ही जाना चाहिये आप व्यवस्था दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : This is no point of order.

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अलग अलग पार्टी के नेताओं की लिस्ट आ जावेगी तो व्यवस्था की जाएगी। मेरे पास लिस्ट नहीं आई इसलिये जो मेरी आईज़ केच करते हैं उनको कॉल कर लेता हूं।

श्री कुमारानंद (ब्यावर) : समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद देख लेंगे।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया और उस पर विभिन्न भाषण हुए उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना। माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश करते हुए खास तौर पर कुछ इन्डिविजुअल केसेज़ का उल्लेख किया। मुझे यह ख्याल था कि हमारे वयोवृद्ध नेता जिनका हम आज भी आदर रखते हैं और हमें आदर करना चाहिये वे यदि कुछ नीति की बातें बताते तो नीति की बातों का सहारा लेकर आगे बात कर सकते थे पर यहां पर श्रम नीति के बारे में जो बातें कही जानी चाहिये थीं वे बातें यहां नहीं हुई।

जहां तक श्रम नीति का सवाल है, राजस्थान की श्रम-नीति भारत सरकार की श्रम-नीति से सम्बन्धित है और उस पर आधारित है और भारत सरकार की श्रम-नीति जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उससे प्रेरित है और उसी पर आधारित है। आइ.टी.ओ. का जो स्टेन्डर्ड है उसी पर आधारित है, उसमें सारे वर्ल्ड की कन्ट्रीज़ के फैसले होते हैं, भारत सरकार भी उसकी मेम्बर है।

हमारे यहां, जैसा कि मैंने निवेदन किया राजस्थान सरकार भी वहां से प्रेरणा लेती है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि जब विभिन्न रियासतें थीं तब राजस्थान में कोई श्रम विभाग नहीं था, कोई रीति-नीति नहीं थी। तो यह बात अपने आप में इस बात का सुबूत है कि राजस्थान ने एकीकरण के बाद इस विभाग को सुसंगठित करने के बाद भारत सरकार के जो जो कानून बने उनको हमारे यहां अपनाया है।

श्रम का विषय कॉन्करेंट लिस्ट में है और भारत सरकार ने जो कानून बनाये, फैक्टरीज एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, लेबर इन्श्योरेंस एक्ट, इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टेन्डिग ऑर्डर्स एक्ट, शोप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, बेनिफिट ऑफ प्रोविडेन्ट फंड एक्ट; कोई १८ कानून भारत सरकार ने बनाये हैं, उनको राजस्थान सरकार ने ज्यों का त्यों तो बनाया ही......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ इन्फोर्मेशन, सर, यह लिस्ट तो बाजार में मिल जाती है। पोलिसी की बातें बताइये, सदन पोलिसी की बातें जानना चाहता है।

श्री भीखाभाई : भारत सरकार ने जो कानून बनाये हैं हमने एक कानून में भारत सरकार से भी ग्रागे कदम बढ़ाया है, राजस्थान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (ग्रमेंडमेंट) एक्ट है उसमें हमने रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स को माना है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा एक जगह एक वर्क की एक ही यूनियन हो, यह ठीक है; ग्राज लेबर लीडर्स को इस दिशा में इस प्रकार का कार्य करने की ग्रावश्यकता है जो राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को पनपावें। ग्राज श्रमिकों के संगठन के बारे में मैं निवेदन करूंगा। राजस्थान में १९५०–५१ में ९ यूनियन्स थीं, उसी साल के ग्राखिर में जाकर २५ ग्रौर रजिस्टर होती हैं; इसके बाद लगातार १९५१-५२ में ४८, ५२-५३ में ५८, ५३-५४ में ८८, ५४-५५ में ११९, ५५-५६ में १२९, ५६-५७ में २१९.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ग्रायुर्वदिक की लिस्ट सुना रहे हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : ५७-५८ में २५१, ५८-५९ में ३०२.........

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir.

श्री भीखाभाई : इसी तरह १९५०-५१ में ६,८०६ ट्रेड यूनियन्स की मेम्बरशिप थी वहां ग्राज ५३,९७८ मेम्बरशिप है।.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो ग्रापने १९६०-६१ में कौंसिल की हैं वे भी हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिये, फिर ग्राप पूछिये। राजस्थान में श्रम-नीति है वह भारत सरकार की जो श्रम नीति है उसी पर ग्राधारित है.........

श्री मुरलीधर व्यास : कितने मामले रेफर हुए, कितनों में कामयाबी हुई, कितने ग्रापके पास ग्राये, कितना लाभ मिला; यह बताइये तो मजदूरों को पता चल जाय।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम नीति का जिक्र कर रहा था उसमें यह कहना कि यह काम नहीं हुग्रा, वह काम नहीं हुग्रा, यह कोई सुबूत नहीं है। श्रम नीति गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है। माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट का क्लास कैरेक्टर क्या है, श्रम नीति की पॉलिसी तभी समझते हैं जब कि क्लास कैरेक्टर मालूम हो।

इसका क्लास कैरेक्टर देखें; हरिजन मजदूर एक परसेंट भी ऐसे नहीं हैं......जो कल्टिवेटर्स हैं.........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : महरबानी करके यह बताइये कि बागडोर किसके हाथ में है ?

श्री ग्रब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : Point of order.......

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!! There is already a point of order by another person.

श्री अब्दुलजब्बार : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया क्लास कैरेक्टर का नमूना है.........

श्री उपाध्यक्ष : It is no point of order.

श्री अब्दुलजब्बार : क्लास कैरेक्टर को जाहिर करने के लिये साफ नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दूसरा क्लास कैरेक्टर बहुत नीचा है, यह कहने का मन्त्री महोदय का तरीका सही नहीं है ।

श्री भीखाभाई : मैं एस्पर्शन नहीं डाल रहा हूं जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था उसका जवाब दे रहा हूं ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : On a point of information, Sir................

श्री उपाध्यक्ष : Point of information can be raised after he talks. It cannot be heard when........

श्री हरदत्तसिंह : On a point of information, Sir.........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम-नीति के बारे में निवेदन कर रहा था । श्रम-नीति के क्या मैजरमेंट्स हैं, क्या यार्डस्टिक हैं जिससे कि श्रम-नीति की बात कर सकते हैं । श्रम-नीति के आंकड़ों से प्रमाणित किया लेबर कॉन्शियसनैस पैदा करना; इससे श्रम-नीति पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, लेबर कॉन्शियसनैस आज राजस्थान में पैदा हुई है; यह आंकड़ों से बताया है; श्रम नीति औद्योगिक ट्रेड यूनियन से रिफ्लेक्ट होती है, मेम्बरशिप से रिफ्लेक्ट होती है, इन सबको देखने से पता चलेगा कि इस सरकार के बनने के बाद लेबर कॉन्शियसनैस बढ़ी है ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह है कि किस प्रकार ये कानून राजस्थान सरकार ने बनाये हैं । मैंने जैसा कि निवेदन किया था कि भारत सरकार ने जो श्रम-नीति के सम्बन्ध में कानून बनाये हैं, १८ कानून हमने बनाये, उनको अपनाया है और उनका पालन किया है । इम्पली-मेन्टेशन के आंकड़े भी मेरे पास हैं । मैं यहां उनको प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन समय कितना है, मैं नहीं कह सकता कि उस समय में मैं आपको, उनको बता सकूंगा या नहीं । किन्तु सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं ।.........

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अब्दुलजब्बार : इन्सानों को देखिये.........

(शोरगुल)

श्री भीखाभाई : तीसरी यार्डस्टिक है औद्योगिक शान्ति । भारत सरकार और दूसरी जितनी चीजें हैं वे सब इस बात पर हावी हैं कि औद्योगिक शान्ति हो, इन्डस्ट्रियल शान्ति हो । मजदूर, मालिक और सरकार तीनों मिल कर कोशिश करें कि किस प्रकार औद्योगिक शान्ति रह सकती है, किस प्रकार सम्बन्धित विवादों का निपटारा किया जा सकता है; इसलिए कोड ऑफ डिसिप्लिन भारत सरकार ने निर्माण किया है । बड़े बड़े नेता हैं, खंडूभाई देसाई, वी० वी० गिरी, गुलजारीलाल नन्दा- सब ने इस ओर अपना सारा जीवन ही खत्म कर दिया है.........

(शोरगुल एवं व्यवधान)

Page No.104

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मजदूरों के हित में कानून न बनने से उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था।

(शोरगुल)

श्री भीखाभाई : श्रम-नीति के लिये ये तीन बातें कल्याणकारी हैं। ये ही मुख्य आधार थे।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कितने पवित्र आधार हैं !

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री भीखाभाई : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नीति का सवाल है वह बिलकुल स्पष्ट है और भारत सरकार की नीति का ही पालन किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं मैं उनका जबाब दिये वगैर नहीं बैठ सकता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रिपार्टाइट सम्मेलन के लिए कहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में लेबर एडवाइज़री बोर्ड बना रखे हैं, उनमें तीनों प्रकार के लोग मौजूद हैं, गवर्नमेन्ट के भी उनमें रिप्रेज़ेन्टटिव हैं......

(व्यवधान)

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मंत्री महोदय की बोलने की स्पीड जरा कम कर दी जाय तो हमारे कुछ पल्ले तो पड़ जाय, वर्ना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है।

(शोरगुल)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : मंत्री महोदय की स्पीड यही रहनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय ने टोप गीयर पर एक्सीलेटर दबा रखा है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please!!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह बतायें कि लेबर एडवाइज़री बोर्ड की कितनी मीटिंग्ज़ हुई ?

श्री भीखाभाई : ६ बार।

श्री भैरोंसिंह : कितने वर्षों में ?

श्री भीखाभाई : वे आंकड़े नहीं हैं। स्टेंडिंग लेबर कमेटी की २४ हुई।

थोड़ी देर पहले कहा था कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : कम से आध घंटा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय ५ मिनिट और बढ़ाया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : औरों को भी टाइम मिलेगा या नहीं ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने प्रतिष्ठानों से बात करके; जैसे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा, शूगर फैक्टरी, गंगानगर आदि जो सरकारी मैनेजमेन्ट के प्रतिष्ठान हैं उनमें जोइन्ट मैनेजमेन्ट को प्रोत्साहन दिया है। बहुत सारे कदम उठाये गये हैं, जिनका ब्यौरा अभी देना मुश्किल होगा। लक्ष्मी मिल्स, एडवर्ड मिल्स, किशनगढ़ मिल्स की बात कही गयी। जहां तक इस प्रकार के मामलों का सम्बन्ध है मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उन मामलों को देखूंगा, व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि क्यों देर हो रही है। किशनगढ़ के मामले में प्रोविडेन्ड फन्ड्स के क्लेम्स हैं, प्रोविडेन्ट फन्ड्स का पैसा तो उनको मिलना ही चाहिये वह क्यों रुके; चाहे तनख्वाह देर से मिले, मैं इसको भी देखूंगा।

इन्डस्ट्रियल एक्ट पास करने के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि उसका ड्राफ्टिंग हो चुका है।......

श्री नत्थीलाल (नदबई): On a point of Order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री नत्थीलाल : मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें ....

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of order. That is point of information and that can be had after the speaker has finished.

श्री केदारनाथ (गंगानगर): On a point of information, Sir.........

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में कई बातें पी. डब्ल्यू. डी. और प्रेस के विषय में कही गई हैं, मैं उनका पांच मिनट में उत्तर देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि पांच मिनिट का समय बढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा, इससिए मैं हाउस का सैंस लेते हुए सदन का १५ मिनिट का समय बढ़ाता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्षजी, अभी श्रम मंत्रीजी ने आपके सामने, सदन के सामने जो श्रम-नीति है, राजस्थान सरकार की उसकी एक तस्वीर रखी है। यहां पर जो बहस हुई उसमें चन्द बातें मेरे डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिक, माननीय सदस्य जो ब्यावर से आये हैं उन्होंने रखी हैं और जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उन्होंने भी रखी है। मैं उनका स्पष्टीकरण करना जरूरी समझता हूं और इस वास्ते यह निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर से आये माननीय सदस्य ने कहा था और इस तरह के भाव प्रकट किये थे यहां पर कि राजस्थान सरकार दबाव देकर किसी यूनियन को बनाती है या स्वीकार करवाती है, इस तरह की जो भावना यहां पर प्रकट हुई है वह सत्य से बहुत दूर है और मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की नीति राजस्थान सरकार कतई नहीं अपनाती है।

जहां तक फेडरेशन का सवाल था और जो यहां पर उठा था उसके मुतल्लिक मैं निवेदन करूं कि राजस्थान बिजली नल कर्मचारी फैडरेशन एक फैडरेशन था, उसमें दो विंग्स पैदा हुए। क्यों हुए उसका कारण

(श्री हरिश्चन्द्र)

मेरे पास नहीं है। लेकिन दो विंग्स पैदा हुई और दोनों ने रजिस्ट्रेशन मांगा। जब वे वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए गये, बुलाया गया रजिस्ट्रेशन के लिए तो एप्रोप्रियेट अधिकारी के पास नहीं पहुंचे, इस कारण उनका रजिस्ट्रेशन केन्सिल किया गया। जब किसी यूनियन का रजिस्ट्रेशन केन्सिल हो जाता है उसका ओटोमेटिकली रिकॉग्नीशन विथ्ड्रा कर लिया जाता है और वह कर लिया गया विथ्ड्रा हमने किया। चूंकि डी-रिकॉग्नीशन हो गई थी इसलिए रिकोग्नाइज़ कराना जरूरी नहीं था इसलिए विथ्ड्रा किया। इस बीच में एक यूनियन ने अपना रजिस्ट्रेशन कायम किया और उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने हमसे यह कहा कि जब हमारी रजिस्टर्ड बोडी है तो आप हमें रिकॉग्नीशन क्यों नहीं देते? सरकार ने उनके रिप्रज़ेन्टेशन पर विचार करके उसको रिकॉग्नाइज़ किया। यह परिस्थिति सदन के सम्मुख पेश कर रहा हूं, उससे माननीय सदस्यों के दिमाग में जो गलतफहमी पैदा हो गई है वह न हो कि एक यूनियन के साथ तो पक्षपात किया गया है और दूसरे के साथ बेइन्साफी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह सही है कि उस यूनियन ने अपील की थी डिस्ट्रिक्ट जजी में, जो पेन्डिग है। अपील पर फैसला होने से पहले ही आपने दूसरी यूनियन को मान्यता किस आधार पर दे दी?

श्री हरिश्चन्द्र : उससे कोई ताल्लुक नहीं अपील पेन्डिग है उसका; but at that time there was only one union which was registered and that is the reason why we had to give recognition to that union.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब यह साबित हो जाता है कि इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज़ किया है इसमें गलती हुई है तो क्या आप एक्शन लेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो परिस्थिति मेरे सामने थी वह मैंने आपके सामने रखी। आप और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। आपसे कोई भी फैक्ट हाइड करने के लिये तैयार नहीं हूं।

माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने यहां इस तरह की तस्वीर रखने की चेष्टा की कि राजस्थान के बिजली घर के अन्दर, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर, वाटर वर्क्स के अन्दर, ट्रान्सपोर्ट के अन्दर कोई भी कानून नहीं है। मैं समझता हूं, यह भी सत्य से बहुत दूर है। हम लोगों ने काफी कोशिश की है कि जहां तक हो सकता है राजस्थान के श्रमिकों की मदद की जाय, उनकी वाजिब मांग को सुना जाय और उस पर विचार किया जाये। चन्द महीनों पहले एक मीटिंग बुलायी थी जिसमें राजस्थान के कर्मचारी और यूनियन वर्कर्स भी आये थे, वहां पर कई बातों पर डिस्कशन होने के बाद निर्णय भी लिये गये। उन निर्णयों का इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है। इसलिये यह कहना कि मजदूरों के लिये कुछ नहीं हो रहा है, गलत बात होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप पॉकेट यूनियन्स की बातें करते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि तमाम लेबर लॉज़ आप अपने डिपार्टमेन्ट्स में लागू कर रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : बहुत हद तक हो रहे हैं सब हों, यही कोशिश की जाती है। उसके बाद भी कोई बात ध्यान में लायी जायगी तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कौनसी यूनियन की बात करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज करना चाहता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि प्रेस के अन्दर आर. एस. आर. के रूल्स भी चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रेस के लिये नहीं कहा, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में दोनों चल रहे हैं

श्री हरिश्चन्द्र : प्रेस में भी चल रहे हैं। पोज़ीशन यह है कि जो एम्पलॉईज़ ५७ से पहले के हैं डेफीनिट तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि ५७ से पहले जो भरती हुए हैं जिन्होंने आर. एस. आर. मन्जूर किया है। ५७ के बाद के जो कर्मचारी आये हैं वे उस एक्ट के तहत भरती हुए हैं। हम उनको ऑप्शन देना चाहते हैं कि आर. एस. आर. के तहत आना चाहते हैं या फैक्ट्रीज़ एक्ट के नीचे आना चाहते हैं वे खुद अभी तक निर्णय पर नहीं पहुंचे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत रहें या आर. एस. आर. के तहत हम इस सवाल को हल नहीं करना चाहते, हमने उन्हीं पर छोड़ रखा है कि वे यह बतायें कि आर. एस. आर. के नीचे रहना चाहते हैं या फैक्ट्रीज़ एक्ट के नीचे। आर. एस. आर. के नीचे रहते हैं तो फायदा मिलता है, फैक्ट्रीज़ एक्ट के नीचे रहते हैं तो कम फायदा मिलता हैं। वे यह चाहते हैं कि हम दोनों का फायदा उठायें। हम चाहते हैं कि ये मामले निगोशियेशन्स के जरिये तय हों। यह निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इस पर लोग मिलकर बात करें कि फेक्ट्रीज़ एक्ट के नीचे रहना चाहते हैं या आर. एस. आर. के नीचें। मेरी उनसे बातचीत हुई है, मैंने उनसे कहा है आप ही निर्णय इस पर लेकर हमें बता दें। सरकार नहीं चाहती कि कोई निर्णय वह अपनी तरफ से ले ले उससे श्रमिकों के हित पर आघात हो। इसके अलावा एक पोइन्ट और रखा गया, वह यह कि ५६ में एक अवार्ड पेश हुआ था। मेरे पास जैसी सूचना हैं वह अवार्ड नहीं था, किन्हीं वर्कर्स ने क्लेम फाइल किया था। उन्होंने मीनिमम वेजेज़ एक्ट के खिलाफ क्लेम पेश किया था। उसकी रिट पीटिशन हाईकोर्ट में हो रही है। यह मामला सब-जुडिस है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह सूचना मेरे पास हैं। अगर इससे भिन्न कोई आपके पास सूचना है तो मेरे ध्यान में लाया जाय तो मैं इस पर गौर करूंगा। इस तरह से दो चार पोइन्ट्स मेरे विभाग के बारे में उठाये गये थे उनका मैंने उत्तर दे दिया और पिक्चर आपके सामने पेश कर दी।

श्री जोधसिंह : (गिरवा) आपने उदयपुर की पी० डब्ल्यू० डी० यूनियन के बारे में जिक्र नहीं किया।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) माननीय उपाध्यक्ष, लेबर पॉलिसी के बारे में जो मेरा प्रस्ताव था, जो जो चार्ज मैंने राजस्थान की लेबर पॉलिसी के बारे में लगाये उसका एक का भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। मेरे माननीय मित्र जो बूंदी से आये हैं उन्होंने कहा कि मैंने कुछ शिकायतें इधर उधर की थीं, तो उन्हीं को सदन के सामने

(श्री कुमारानन्द)

रखा। मैंने तो लेबर पॉलिसी के बारे में काफी बातें कहीं, लेकिन बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने तो लेबर पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने जितनी बातें कहीं उन बातों का माननीय मंत्री महोदय ने एक का भी सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है ब्यावर में जो अवार्ड मिला उसमें जो निर्णय हुआ वह मालिक के खिलाफ हुआ। वह लेबर पॉलिसी है क्या? बागची कमेटी बनी थी उसका अवार्ड क्या हुआ मंत्री महोदय बता सकेंगे? देशपान्डे रिपोर्ट का क्या हुआ? माइका में मिनिमम वेजेज् एक्ट लागू नहीं किया, क्या यह लेबर पॉलिसी नहीं। जयपुर में टीचर्स को आठ आठ महीने से वेतन नहीं मिल रहा है उनकी यूनियन भी लेबर के अन्डर में आती है उसका क्या हुआ? ये हालात है! ऐसी स्थिति में मैं सदन से निवेदन करूंगा जो प्रस्ताव मैंने रखा है:

"This House disapproves the labour policy of the Government."

इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि श्री जोधसिंह चौहान को ...... First I would like to ask Shri Jodh Singh whether he wants to withdraw?

श्री जोधसिंह : I would like to withdraw?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि श्री जोधसिंह चौहान अपना संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री जोधसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री कुमारानन्द ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

अब आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई और इस तरह सदन की बैठक सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बज कर १० मिनट पर, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, दिनांक १३ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७२३

दूध वितरण योजना।

हरिजन बस्ती, रतनगढ़ में कुएं पर विद्युत् लगाने हेतु प्रदत्त अनुदान।

पुलिस थाना, गंगाशहर के निलम्बित अधिकारी।

सैशन्स कोर्ट, प्रतापगढ़ में निम्बाहेड़ा के मुकदमे।

जिला चिकित्सालयों में कम्प-लेन्ट बुक।

आदिवासी भील कॉलोनी, पंचायत समिति, मनोहरथाना का शिलान्यास

मूलियां बांध।

पशुओं की नस्ल-जालोर।

राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल मुक़दमात।

बीकानेर हॉस्पिटल में साधनों की कमी।

तहसील लाडपुरा व दीगोद के ग्रामों में माइनर केनाल में आई भूमि की अवाप्ति।

बीकानेर नगरपालिका के प्रशासक द्वारा करों में वृद्धि।

भरतपुर जिले में वर्षा के प्रभाव।

सांचोर राजकीय डिस्पेन्सरी।

स्कम्भ

वन विभाग द्वारा निर्मित नर्सरी, तहसील भीम।

प्रसूतिगृह-कस्बा उदावल।

रुगरामसागर तालाब की पाल की मरम्मत।

आयुर्वेद औषधालय-जिला जालोर।

जिला हैडक्वार्टर्स पर दाइयों का प्रशिक्षण।

जंगलात से जलाने की लकड़ी लाने हेतु छूट।

जयपुर नगर परिषद् का सन् १९६२-६३ का बजट।

अतिरिक्त समय में कार्य की मजदूरी की बकाया।

तिजारा में म्युनिसिपेलिटी।

तीखल्या बीड़।

गंगानगर शहर की सीमा का विस्तार।

वैद्यों का उपवैद्यों के पद पर रिवर्शन।

किन्दोई सार्वजनिक उद्यान।

मेजा बांध।

वाटर सप्लाई स्कीम, करौली।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास।

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(क) विधायी कार्य– विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, १९६२ ७८३

श्री कुमारानन्द, सदस्य, विधान सभा, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय सर्व श्री भीमसेन व मुरलीधर व्यास ने क्रमशः विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने व प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव संबंधित सदस्यों द्वारा वापस ले लिये गये एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

(ख) संकल्प ८५७

श्री कुमारानन्द, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"This House disapproves the labour policy of the Rajasthan Government".

इस संकल्प पर श्री जोधसिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, ने संशोधन प्रस्तुत किया। श्री भीखाभाई, श्रम मंत्री व श्री हरिश्चन्द्र, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के उत्तर के पश्चात् सम्बन्धित सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार १५ अक्टूबर, १९६२ की कार्य-सूची

(१) पलाना खान मजदूरों द्वारा कोयला काटने पर पाबन्दी सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन।

(२) स्टेट अन्डरटेकिंग्ज सम्बन्धी प्रस्तुत श्री भैरोंसिंह शेखावत के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर देखिये)

LIST OF FLOOD PROTECTION WORKS

Sl. No.	Name of Scheme (works sanctioned)
1.	Raising of Afflux Bund above seola Regulator
2.	Providing steel gates in AJAN Bund.
3.	Raising of Chiksana Bund and providing new escape.
4.	Raising of Kanwa Bund.
5.	Construction of marginal bund on the right bank of river Gambhir between Villages Dhana and Murka in Tehsil Rupbas.
6.	Flood regulating works for Banganga and Gambhir rivers in Bharatpur.
7.	Remodelling of Girraj Canal.
8.	Protection bund for V. Salabad in Tehsil Bayana.
9.	Construction of protective bund below Khanwa waste weir on the left and right.
10.	Making of protective bund around the villages in Khanwa Bund.
11.	Desilting homos canals from the crossing of Bharatpur Deeg road to Motijheel.
12.	Increasing the capacity of Khanwa waste weir.
13.	Replacing wooden plans system by steel gates on bunds and canal in Bharatpur.
14.	Raising and strengthening of Lalpur, Mudia and Lalta Marginal bunds of Banganga.
15.	Construction of 5 spans regulator in Chiksana bund in Bharatpur.
	WORKS UNDER CONTEMPLATION
16.	Construction of Singhawali Irrigation Bund.
17.	Remodelling Chiksana Canal.
18.	Alampur Bund.
19.	Others.
20.	Kaman Phari Drain.
21.	Kurka
22.	Helak
23.	Ajan Pahuwa Dhanwada.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११८ का उत्तर देखिये)

LIST SHOWING THE DETAILS OF 32 DAIS TRAINING CENTRES ESTABLISHED DURING THE 2nd FIVE YEAR PLAN

Dais Training Centres at Distt. Headquarters. Within intake capacity of 30 candidates per batch.	Dais Training Centres at Qualified P. H. Cs. Within intake capacity of 6 candidates per batch.
1. Sikar	1. Nokha
2. Dausa	2. Naila
3. Partabgarh	3. Sri Karanpur
4. Banswara	4. Abu Road
5. Bhilwara	5. Neem ka Thana
6. Jhalawar	6. Chittorgarh
7. Nagaur	7. Gangapur
8. Jalore	8. Raisinghnagar
9. Dholpur	9. Rajsamand
10. Pali	10. Baran
11. Karauli	11. Pisangan
12. Ganganagar	12. Watika
13. Ratangarh	13. Kishangarh Renwal
14. Tonk	14. Mohanpura (Bassi)
15. Dungarpur	15. Piparcity
16. Sirohi	16. Tijara

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अतिरिक्त समय में कार्य करने की मजदूरी की बकाया

१२१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) Will the *Labour Minister* be pleased to state:-

(1) Whether a case for the recovery of overtime wages for the year, 1959 from the Municipal Board, Bikaner is pending before the Labour Commissioner, Rajasthan in his capacity as Authority under the Payment of Wages Act, 1936 ?

(2) If so, since how long ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) दिनांक १२-४-६२.

तिजारा में म्युनिसिपैलिटी

१२२. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तिजारा पंचायत को म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ?

(२) यदि हां, तो वहां म्युनिसिपैलिटी अभी तक कायम क्यों नहीं की गई तथा अब सरकार कब तक इस क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी बनाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

१- जी हां।

२- तिजारा की जनता से आपत्तियों के आने पर म्युनिसिपैलिटी बनाने का मामला समाप्त (ड्रॉप) कर दिया गया।

तीखल्या बीड़

१२३. **श्री बालचन्द डागा** (किशनगढ़): क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ जंगलात द्वारा तीखल्या बीड़ में नये पेड़ लगाये हैं ?

(२) अगर हां, तो सन् १९५५ से अब तक कितने पेड़ लगाये गये व उनमें से अब तक कितने पेड़ खड़े हैं व इस कार्य में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) क्या यह भी सही है कि सन् ५५ से अब तक लगाये हुए पेड़ों में से बहुत से पेड़ों की ठीक देखभाल नहीं होने से वे जीवित नहीं रहे हैं ?

(४) अगर हां, तो इसका कौन जिम्मेदार है व उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

१- जी हां।

२- लगभग १८,७५० पौधे लगाए गए; उनमें से लगभग १६,००० जीवित हैं। इस कार्य में सन् १९५९ तक ४३,९८० रु० खर्च हुए हैं।

३- २७५० पौधे जीवित नहीं हैं। जिसका कारण देखभाल की कमी न होकर प्राकृतिक है।

४- प्रश्न नहीं उठता।

गंगानगर शहर की सीमा का विस्तार

१२४. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या श्री गंगानगर की जन-संख्या को देखते हुए सरकार शहर की सीमा को आगे बढ़ाने का विचार रखती है ? अगर रखती है, तो कब तक ?

उत्तर

जी, हां । कलेक्टर, श्री गंगानगर की इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मिलने पर सीमा बढ़ाने की कार्यवाही की जावेगी ।

वैद्यों का उपवैद्यों के पदों पर रिवर्शन

१२५. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या मंत्री, आयुर्वेद विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड सवाई माधोपुर को भंग करते समय सरकार ने वैद्यों को यह आश्वासन दिया था कि उनको उनके पदों पर ही रखा जायेगा ?

(२) यदि हां, तो फिर उन्हें उपवैद्य क्यों बनाया जा रहा है ?

उत्तर

१– जी नहीं ।

२– प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

किन्दोई सार्वजनिक उद्यान

१२६. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर ने नगरपालिका कुचामन को कुछ शर्तों के साथ किन्दोई सार्वजनिक उद्यान निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त शर्तों की अध्यक्ष द्वारा अवहेलना करने पर निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर ने उक्त उद्यान के निर्माण पर माह जून सन् १९६१ में स्थगन आदेश जारी कर दिया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि स्थगन आदेश की अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नगरपालिका कुचामन ने अवहेलना कर उक्त उद्यान का निर्माण कार्य चालू रखा और नगरपालिका से करीब ६,०००) रु० का भुगतान भी किया गया ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह भी सही है कि उद्यान के लिये प्राप्त १०,०००) रु० की रकम श्री रंगलाल ने बजाय बोर्ड के कोष में जमा कराने के अपनी दूकान में जमा रखे, जिसका इल्म निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर को था और रुपया २,५००) तो आज भी श्री रंगलाल की दूकान में जमा है।

(६) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगरपालिका कुचामन के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

१– जी हां ।

२– जी हां ।

३– जी हां ।

४– यह प्रश्न विचाराधीन है ।

५– यह सही नहीं है ।

६– प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

मेजा बांध

१२७. **श्री उमरावसिंह** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि भीलवाड़ा के इर्रिगेशन इंजीनियर ने मेजा बांध को ५ फीट ऊंचा करने के लिये सरकार को लिखा है ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सही है कि बनेड़ा की जनता व पंचायत समिति ने कई बार सरकार से प्रार्थना की है कि मेजा बांध की नहर बनेड़ा के रामसरोवर तालाब में लाई जावे ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

१ - जी नहीं ।

२ - जी हां । योजना अधिक खर्चीली एवं पानी की उपलब्धि कम होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

वाटर सप्लाई स्कीम, करौली

१२८. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या नगरपालिका, करौली ने शहर में वाटर सप्लाई के लिए सर्वे करा कर मार्च सन् ६१ में सरकार के पास कोई योजना भेजी थी ?

(२) यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) यह सवाल नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

१२९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) बीकानेर, गंगानगर एवं चूरू में स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में इस वर्ष कितने विद्यार्थियों को स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सका ?

(२) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त छात्रावासों की स्ट्रेंथ बढ़ाना वाजिब नहीं समझती ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में इस वर्ष स्थानाभाव के कारण बीकानेर में ४०, गंगानगर में ५० और चूरू में ३८ छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका ।

(२) राज्य सरकार स्ट्रेंथ बढ़ाना तो वाजिब समझती ही है, किन्तु पर्याप्त धन के अभाव में यह अभी सम्भव नहीं है ।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १३ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७२४	७	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नायूराम मिर्धा
,,	११	,,	,,
,,	१२	मन्जर	मन्जूर
७६२	अन्तिम से ३	वसे के वैसे	वैसे के वैसे
७६३	१३	हो	तो
८२०	अन्तिम से ४	अवार्ड से	अवार्ड्स
८२६	२२	स्वीकृति	स्वीकृत
८४१	१३	मिनियम	मिनिमम
८४६	२	बुनियादों	बुनियादी
९२३	६	सोशियल पार्टी	सोशलिस्ट पार्टी
९२५	२४	आयुवदिक	आयुर्वेदिक
९२८	४	कानन	कानून